खण्ड-328, अंक-10
शनिवार, 23 आश्विन, शक संवत् 1899
(15 अक्टूबर, 1977 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 328 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..११७१–११७४
सदन की कार्यवाही विलम्ब से आरम्भ होने पर आपत्ति	.. ११७५
कानपुर के श्रमिकों में बोनस की मांग पर व्यापक असन्तोष के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	.. ११७५
प्रदेश के मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए छात्रों की संख्या में कमी के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	..११७५–११७६
इलाहाबाद की साधन सहकारी समितियों के लिए नियुक्ति तथा प्रशिक्षित सचिवों को निकालने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	.. ११७६
अन्तू बाजार, प्रतापगढ़ में डकैती के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	.. ११७७
उत्तर प्रदेश सीमेन्ट डीलरों द्वारा सीमेन्ट का कोटा न मंगाये जाने के कारण सीमेन्ट के अभाव के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	.. ११७७
सिरौली बरेली, टाउन एरिया के बाल्मीकी कर्मचारियों के वेतन न मिलने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	.. ११७८
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार में अव्यवस्था व असुरक्षा के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	..११७८–११७९
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७७ (विधान परिषद् की सूचना सदन के पटल पर रखी गयी) ..	११७९
सदस्यों की रिहाई तथा कारावास दिए जाने के सम्बन्ध में सूचना.	..११७९–११८०
सदन में मंत्रियों की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..११८०–११८२
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न	..११८२–११८३
व्यवस्था के प्रश्न उठाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था ..	..११८३–११८७
'स्वतन्त्र भारत' समाचार-पत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	.. ११८७
विधान सभा की कार्यवाही व कार्य सूची को उर्दू में भी छापने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..११८७–११८९
प्रतिनिहित विधायन समिति तथा विशेषाधिकार समिति के सदस्यों का नामांकन	..११८९–११९०
वित्तीय वर्ष १९७७–७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या ५९––विद्युत विकास तथा अनुदान संख्या ९६––ऋण और अग्रिम-विद्युत्––(जारी)	..११९०–१२४४

विषय	पृष्ठ संख्या
सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव---(स्वीकृत)	१२४४
१९७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-- अनुदान संख्या ५६---विद्युत् विकास तथा अनुदान संख्या ६६-ऋण और अग्रिम विद्युत्---(जारी)	१२४५-१२५६
श्री सुन्दर लाल दीक्षित, सदस्य विधान सभा के निलम्बन का प्रस्ताव-- (स्वीकृत)	१२५७-१२६०
१९७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-- अनुदान संख्या ५६--विद्युत् विकास तथा अनुदान संख्या ६६-- ऋण और अग्रिम विद्युत्---(स्वीकृत)	१२६०
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	१२६१
दिनांक ८ अक्तूबर, १९७७ को गोण्डा जनपद की फैजाबाद सीमा पर थाना क्षेत्र नवाबगंज के अन्तर्गत टेढ़ी और सरयू नदी के बीच डाकुओं और पुलिस की मुठभेड़ में थानाध्यक्ष, श्री रामनरेश मिश्र तथा सिपाहियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	१२६१-१२६५
नत्थी	१२६७

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, १५ अक्तूबर, १९७७

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में शनिवार, १५ अक्तूबर, १९७७ के दिन में ११ बजकर ५ मिनट पर अध्यक्ष श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य २९०

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद चौधरी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेई, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन, श्री
कालीचरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्रा, श्री
कृष्ण कुमार, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल निर्भय, श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री

जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
धरम राम, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह भँसोरा, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बदन सिंह, श्री
बरफिया लाल जुवांठा 'अरीवन्द' श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फर नगर)
बल कृष्ण, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भारत सिंह, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्मू खां)
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री

मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द ठाकुर, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिम अली बेग, डाक्टर
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुबर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम गोविन, श्री
राम जनम, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियाकत हुसैन, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव राज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री

श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण, श्री (एडवोकेट)
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट :—मुख्य मन्त्री श्री राम नरेश यादव, गन्ना विकास मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती तथा विद्युत् मन्त्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही भी सदन में उपस्थित थे ।

सदन की कार्यवाही विलम्ब से आरम्भ होने पर आपत्ति

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, सदन को ११ बजे आरम्भ होना चाहिए था घड़ी में ११.५ बजा दें।

श्री अध्यक्ष---

५ मिनट लेट हैं, आपको थोड़ा समय और मिल गया।

कानपुर के श्रमिकों में बोनस की मांग पर व्यापक असंतोष के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शून्य प्रहर में शासन का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूं :---

"कानपुर महानगर में इस समय बोनस की मांग को लेकर औद्योगिक कर्मचारियों में व्यापक असंतोष है। जहां एक ओर केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक कर्मचारियों के लिए ८.३३ बोनस देने की घोषणा करके एक सराहनीय काम किया है, वहीं कानपुर के उद्योगपति इस सरकारी घोषणा को मान्यता देते दिखाई नहीं देते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कानपुर के जयपुरिया द्वारा संचालित स्वदेशी काटन मिल में बोनस की तो बात ही अलग है अभी तक सितम्बर मास का वेतन तक वितरित नहीं किया गया है। जे० के० संस्थान द्वारा चलाए जा रहे किसी भी मिल में बोनस बांटने का नोटिस नहीं लगाया गया है। गणेश पलावर मिल के कर्मचारियों ने मालिकों को बोनस न बांटने के कारण हड़ताल का नोटिस दे दिया है। बोनस के मामले में यही स्थिति कानपुर के हर छोटे बड़े कारखाने की है।

मान्यवर, सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन, जो सरकारी संस्थान है, के द्वारा संचालित लक्ष्मी रतन काटन मिल, अथर्टनवेस्ट मिल, म्योर मिल तथा विक्टोरिया मिल में भी अभी तक बोनस वितरित करने के नोटिस नहीं लगाए गए हैं।"

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि वह कानपुर के मिल मालिकों को दशहरा एवं दीपावली जैसे त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए इन त्योहारों के पूर्व ही बोनस बांटने के लिए विवश करें तथा सरकारी नियंत्रण में चलने वाली मिलों में भी अविलम्ब बोनस बांटा जाय, इसकी व्यवस्था करे। मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि बोनस के विषय पर शासन से सदन में वक्तव्य दिलाने की कृपा करें।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए छात्रों की संख्या में कमी के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा (जिला झांसी)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अति लोक महत्व की अधोलिखित सूचना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं :---

आज उत्तर प्रदेश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए डाक्टरों की संख्या नगण्य है जबकि आवश्यकता बहुत अधिक है। प्रदेश के अनेक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा]

राजकीय चिकित्सालय बिना डाक्टरों के हैं परन्तु आश्चर्य का विषय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना सोचे विचारे प्रदेश के मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए छात्रों की संख्या में कमी कर दी है। अभी तक मेडिकल कालेजों में एम० बी० बी–एस० की भर्ती के लिए ६०० प्रार्थियों का चयन किया जाता था जिसमें से झांसी व गोरखपुर से क्रमशः १००–१०० अभ्यर्थी चुने जाते थे किन्तु इस वर्ष शासन ने ९०० के स्थान पर घटाकर प्रार्थियों के चयन की कुल संख्या ७७९ कर दी है। फलतः झांसी व गोरखपुर मेडिकल कालेजों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा और उक्त दोनों कालेजों में भी ५०–५० अभ्यर्थी चुने जा सके हैं।

अति लोक महत्व के इस प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर अपेक्षा करती हूं कि वह मेडिकल कालेजों में प्रवेश की गई संख्या में कमी सम्बन्धी आदेश को रद्द कर पूर्ववत संख्या किए जाने का आदेश करेगी ताकि प्रदेश में चिकित्सकों की जो कमी है वह दूर हो सके।

इलाहाबाद की साधन सहकारी समितियों के लिए नियुक्त तथा प्रशिक्षित सचिवों को निकालने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)––

माननीय, शून्य प्रहर में आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जिला सहकारी बैंक इलाहाबाद में पिछले १५–१८ वर्षों से साधन सहकारी समितियों के लिए तथा प्रशिक्षित सचिवों को निकाल कर, उनके स्थान पर नियुक्त नये व्यक्तियों को सचिव मनोनीत किया जा रहा है। इन सचिवों ने परिश्रम करके क्षेत्र में सहकारिता का प्रचार एवं प्रसार किया, जोखिम उठाई, वसूली भी अच्छी रही है। मेरी यह सुनिश्चित जानकारी है, कि इनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनहीनता एवं भ्रष्टाचार के भी कोई आरोप नहीं हैं।

इसके बाद भी नौकरी से निकाल कर नये व्यक्ति नियुक्त करना अत्यन्त आपत्तिजनक एवं नियम विरुद्ध है। अब यह लोग अधिक उम्र के हो चुके हैं, जिसके कारण और कहीं कार्य नहीं पा सकेंगे। ऐसे ही सचिव तहसील चायल व तहसील सिराथू, जिला इलाहाबाद में नियुक्त हो चुके हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री से अविलम्ब हस्तक्षेप करने की अपील करता हूं तथा प्रार्थना करता हूं कि निकाले जा रहे सचिवों को भुखमरी से बचाने के लिए पुनर्विचार कर नियुक्त करें। जबकि चायल और सिराथू में पुराने सचिवों को पुर्ननियुक्ति की जा चुकी है। उक्त शिकायत तहसील मंझनपुर की है। इन पुराने सचिवों के प्रार्थना–पत्र व रूप–पत्र ३, १ सहित सम्बन्धित कागजात श्रीमान् डी० आर० इलाहाबाद तथा जिला सहकारी बैंक, इलाहाबाद के माध्यम से एप्रूवल हेतु प्रार्थना–पत्र शैक्षिक योग्यता, जन्म तिथि, कार्य अनुभव तथा वसूली का प्रतिशत १६–८–७७ को दिया गया है। माननीय सहकारिता मंत्री जी को भी उपरोक्त पत्रों सहित प्रार्थना–पत्र १३–९–७७ को उक्त सचिवों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिया गया ह। किन्तु अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके कारण किसान ऋण तथा खाद पाने से वंचित रहा।

अन्तू बाजार, प्रतापगढ़ में भीषण डकैती के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान अन्तू बाजार थाना अन्तू जिला प्रतागगढ़ की भीषण डकैती की ओर आर्कषित करना चाहता हूं। यह घटना १२/१३ अक्तूबर की रात ११ बजे की है। सेठ रामस्वरूप के यहां रात ११ बज उनके मकान के पीछे से कुछ डकैत कूद कर अन्दर घुस आये और औरतों तथा बच्चों को कोई दवा सुंघा कर बेहोश कर दिया तथा उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया कुल मिला कर १३ व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आईं। सभी व्यक्ति एक ही परिवार के हैं। घायल व्यक्तियों में से दो व्यक्ति एक औरत मनोहरी देवी उम्र ६५ वर्ष तथा एक लड़का सनदीप कुमार जिसकी उम्र ३ वर्ष थी चोट के कारण तत्काल मर गये अब कल खबर आई है कि २ व्यक्ति और जिनको गम्भीर चोटें आई थीं, वे भी मर गये। मैंने १३ अक्तूबर को स्वयं अस्पताल में जाकर घायलों को देखा तथा उनके उपचार आदि की व्यवस्था मुख्य चिकित्साधिकारी से कह कर कराया। यह अपने ढंग की निराली तथा अनोखी डकैती है। इस प्रकार की डकैतियां मैंने जासूसी उपन्यासों में पढ़ी थी, अस्पताल में कई घायल लोगों के मुंह से खून की कै भी हुई। घायल व्यक्तियों को जितनी भी चोटें पहुंचाई गयीं सब सर के ऊपर ही पहुंचाई गई। घर के सारे जेवरात डकैत उठा ले गये, लगभग ५० हजार रुपये का नुकसान हुआ। गढ़वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक महीने के अन्दर यह डकैती की चौथी घटना है। इस सम्बन्ध में मैंने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात किया तथा पुलिस अधीक्षक ने सख्ती से डकैती की जांच करने का आश्वासन दिया। जहां डकैती पड़ी है थाना वहां से केवल ४ फर्लांग की दूरी पर है, अभी तक कोई डकैत नहीं पकड़े गये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस भीषण डकैती की ओर आर्कषित करना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश सीमेन्ट डीलरों द्वारा सीमेन्ट का कोटा न मंगाये जाने के कारण सीमेन्ट के अभाव के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान, उत्तर प्रदेश में सीमेन्ट के वितरण प्रणाली से उत्पन्न संकट की ओर आर्काषित करना चाहता हूं।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के अनेक डीलर सीमेन्ट का कोटा नहीं मंगा रहे हैं, जिसके कारण बाजार में सीमेन्ट का कृत्रिम अभाव हो गया है। सीमेन्ट डीलरों से सीमेन्ट कम्पनियां कई महीनों पहले पूरा रुपया जमा कराती हैं। ६-६ महीनों तक डीलरों का पैसा कम्पनियों के नाम पड़ा रहता है। जिसका इस्तेमाल कम्पनियां अन्य धंधों में करती हैं या ब्याज खाती हैं। डीलरों से पहले पूरा रुपया नहीं जमा कराया जाता था। कुछ रुपया एडवांस जमा होता था और शेष माल की बिल्टी आने पर जमा किया जाता था, किन्तु नई व्यवस्था होने से डीलरों का लाखों रुपया कम्पनियों के खातों में महीनों पूर्व जमा हो जाता है। फलस्वरूप बाजारों से सीमेन्ट का कृत्रिम अभाव हो कर उपभोक्ताओं को भारी कष्ट का सामना करना पड़ता है।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप कर ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था करायें कि बाजार में सीमेन्ट उपलब्ध हो। कृत्रिम अभाव पैदा न हो और उपभोक्ताओं को सीमेन्ट की परेशानी न हो।

*वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया।

सिरौली, बरेली टाउन एरिया के बाल्मीकि कर्मचारियों का वेतन न मिलने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व के प्रश्न पर आकर्षित करना चाहता हूं :—

यह कि सिरौली टाउन एरिया जिला बरेली में सफाई करने वाले बाल्मीकि भाइयों का पिछले ११ महीनों से टाउन एरिया सिरौली में वेतन नहीं दिया है। आप जानते हैं उ० प्र० के हरिजन पाड़ित और गरीब हैं और हरिजनों में भी बाल्मीकि भाई सबसे से आर्थिक दृष्टि से पिछड़े और सामाजिक दृष्टि से गिरे हुए समझे जाते हैं। ११ महीने से उनको अपनी तनख्वाह न मिलने के कारण उनके बच्चे भूखों मरने की स्थिति में आ गये। बाल्मीकी भाई समाज के एक आवश्यक अंग हैं और प्रत्येक नगर की शोभा एवं सुन्दरता बढ़ाने वाले हैं। यदि एक दिन के लिए भी वह अपना काम छोड़ दें तो प्रदेश के महानगर, नगर पालिका, टाउन एरिया, नगर न रह कर नरक बन जांये। सिरौली टाउन एरिया के बाल्मीकी भाइयों का ११ महीने का वेतन न मिलने के कारण केवल सिरौली में ही नहीं प्रदेश के सारे नगरों में बाल्मीकी भाइयों में एक असन्तोष की भावना फैल गयी है और मुझे आशंका है कि कहीं प्रदेश भर के बाल्मीकी भाई हड़ताल न कर दें जिससे नगरों के रहने वालों का सुन्दर जीवन नारकीय जीवन बन जाय। इस घटना से उत्पन्न समस्या पर माननीय मंत्री जी तुरन्त ध्यान दें और सिरौली टाउन एरिया के बाल्मीकी भाइयों का वेतन तुरन्त बटवाने की कोशिश करें।

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में अव्यवस्था व असुरक्षा के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री नरेन्द्र सिंह (जिला मेरठ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार में फैली अव्यवस्था, आतंक एवं असुरक्षा की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्रीमन्, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार एक ऐतिहासिक एवं प्रमुख राष्ट्रीय शिक्षा संस्था है। अमरशहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी ने इस शताब्दी के प्रारम्भ में इस संस्था की स्थापना की थी और भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में आर्य समाज की इस संस्था का अनुपम योगदान रहा है। शिक्षा जगत में इस संस्था का भारतीय जन मानस जाग्रत करने में विशिष्ट स्थान रहा है।

श्रीमन्, अत्यन्त चिन्ता का विषय है कि आज यह संस्था दो दलों में लड़ने का अखाड़ा बनी हुई है। प्रशासन एवं अनुशासन नाम की कोई चीज विश्व-विद्यालय में देखने को नहीं मिलती। माह अगस्त, १९७७ में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को गुंडे लोगों ने विश्वविद्यालय परिसर में बुरी तरह से मारा पीटा। एक अन्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर प्राणघातक हमला किया गया और जो अभी तक भी ठीक नहीं हो पाये हैं। कई वर्ष पूर्व रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष की हत्या भी विश्वविद्यालय के परिसर में की गयी थी। प्रायः सभी अध्यापक, कर्मचारी एवं छात्र भयंकर आतंक के वातावरण में जी रहे हैं।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों को जान से मारने की धमकी दी जाती है और प्रायः ५० प्रतिशत अध्यापकों को बिना कारण निलम्बित किया जा चुका है। छात्रों को भी कक्षाओं में जाने से रोका जा रहा है । विश्वविद्यालय के परिसर में अध्यापक, छात्र एवं कर्मचारी कोई भी सुरक्षित नहीं हैं ।

पिछले कई महीनों से कर्मचारियों तथा अध्यापकों को वेतन नहीं मिले हैं।

गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी जो कि विश्वविद्यालय कांगड़ी का एक विभाग है, में लाखों रुपयों का घुटाला बताया जाता है लेकिन बार-बार शिकायत किये जाने पर भी कोई जांच अभी तक नहीं की जा रही है ।

श्रीमन्, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि सरकार को तुरन्त कारगर कदम उठा कर विश्वविद्यालय में शान्ति स्थापित करनी चाहिए और विश्वविद्यालय के अध्यापकों एवं छात्रों की सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए । यदि सरकार तुरन्त कदम उठाने में ढिलाई करती है तो उसके भयंकर परिणाम निकल सकते हैं ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रहर में बहुत ही लोक महत्व के प्रश्न उठाये जाते हैं । इसका नाम हो गया है शून्य प्रहर इसका दूसरा नामकरण करें।"मुक्त प्रहर" कर दें, या जो उचित समझें । "शून्य प्रहर" न करें, "मुक्त प्रहर" कर दें ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७७

सचिव (विधान सभा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७३ की वापसी के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से ११ अक्तूबर, १९७७ को प्राप्त सूचना सदन के पटल पर रखता हूं ।

(विधान परिषद् से प्राप्त सूचना के लिए देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १२६७ पर)

सदस्यों की रिहाई तथा कारावास दिये जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

जिला कारागार, हरदोई के वायरलेस संदेश दिनांक १३-१०-७७, जो इस सचिवालय में दिनांक १४-१०-७७ को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री बिहारी लाल हंस, सदस्य विधान सभा (हरदोई), जिन्हें भारतीय दन्ड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत अपराध संख्या २९०/७७ में दिनांक ९-१०-७७ को उक्त कारागार में दाखिल किया गया तथा भारतीय दन्ड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत अभियोग संख्या ६७४ में चार दिन के कारावास का दन्ड दिया गया था, को दिनांक १३-१०-७७ को रिहा कर दिया गया है । माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना दिनांक १० तथा ११ अक्तूबर, १९७७ को सदन में दी गयी थी ।

जिला मजिस्ट्रेट, आगरा के वायरलेस संदेश दिनांक १४-१०-७७ जो इस सचिवालय में दिनांक १४-१०-७७ को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री सुरेन्द्र कुमार सिन्धु, सदस्य, विधान सभा, आगरा को चीफ, जुडीशियल मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा

[श्री अध्यक्ष]

भारतीय दन्ड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत सिद्ध दोष होने पर दो सप्ताह का साधारण कारावास दिया गया । माननीय सदस्य की गिरफ्तारी आदि की सूचना दिनांक १० अक्तूबर, १९७७ को सदन में दी गयी थी ।

सदन में मंत्रियों की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---

किस बात की व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---

मेरा निवेदन यह है कि आज जब सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्रि-मंडल के केवल एक सदस्य जिनका आज बजट है उपस्थित हैं । पन्त जी के जमाने में और सुचेता जी के जमाने में ११ बजे जब सदन आरम्भ होता था तो सारी मंत्रि-परिषद् की बेंच भरी रहती थीं । जब आज मंत्रि-परिवद् की यह उपेक्षा सदन के प्रति है और सदन में कोरम का न होना और सदन के पांच मिनट देर से प्रारम्भ होने पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी को अगर कष्ट हो रहा है, तो वह अपना मंत्रि-मंडल बढ़ा सकते हैं । बैठने वाले मंत्री दूसरे हों और दौरा करने वाले दूसरे । इस तरह से दो प्रकार के मिनिस्टर आप बना दें जो दौरा करते रहें और दूसरे सदन में हाजिरी दें । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को सलाह देता हूं कि अगर वह ऐसा कर दें तो बड़ा अच्छा होगा ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

श्रीमन् माननीय गोस्वामी जी ने जो प्रश्न रखा है वह किसी न किसी रूप में बराबर इस सदन में आता रहा है, लेकिन आज उन्होंने इसे दूसरे रूप में रखा है जो बड़े महत्व का है, वह इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप देखें करीब-करीब इस सत्र के, आज १५ तारीख है केवल एक दो अनुदान आने के लिए बाकी हैं आज भी हमारे मंत्रिगण पूरी संख्या में उपस्थित नहीं हैं । आपने स्वयं देखा होगा कि एक मंत्री जिसकी जिम्मेदारी है वह तो बैठता है लेकिन ज्यादातर मंत्री सदन में नहीं बैठते । मैंने यहां भी और संसद में भी जिसका मेरा लम्बा अनुभव है, देखा है कि कम से कम अनुदान के समय ज्यादातर सभी मंत्री रहते हैं । चूंकि मंत्रि मंडल की संयुक्त जिम्मेदारी होती है, इसलिए अगर सिंचाई मंत्री अपनी मांगे पेश करता है तो उस पर होने वाली बहस के बारे में न केवल मुख्य मंत्री को मालूम होना चाहिए, बल्कि वित्त मंत्री, विद्युत मंत्री और कृषि मंत्री तथा अन्य मंत्रियों को भी मालूम होना चाहिए । मैं यह नहीं कहता है कि सौ फीसदी मंत्री यहां हर समय मौजूद रहें लेकिन अब आप देखें कम से कम अधिकतर मंत्रियों को यहां उपस्थित रहना चाहिए । मैं आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूं जिससे आगे ऐसा न हो और सदन की परम्परा कायम रहे क्योंकि हम आपकी अध्यक्षता में परम्परायें कायम कर रहे हैं ।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, यह प्रश्न कई बार इसी सत्र में सदन के सामने आ चुका है। २-३ मौके तो ऐसे भी आये, आपको श्रीमन्, याद होगा कि प्रश्नों के समय में आपने, जिस मंत्री से सम्बन्धित प्रश्न था, उनको पुकारा और मंत्री जी उपस्थित नहीं मिले। आपको विदित होगा कि आज के ३ दिन पूर्व मेरा ही एक प्रश्न था उद्योग के सम्बन्ध में, जिस पर आपने मंत्री जी को पुकारा लगभग ३-४ बार और करीब ३ मिनट के समय के बीतने के उपरान्त मंत्री जी का दरवाजे पर पदार्पण हुआ। इसलिए माननीय सुदामा प्रसाद गोस्वामी और जी माननीय मिश्र जो ने जो प्रश्न सदन में उठाया है, यह बहुत ही गम्भीर है और मैंने भी आपकी आज्ञा से कई बार इस प्रश्न को सदन में कह चुका हूं। सरकार की जो जिम्मेदारी इस माननीय सदन के प्रति है उस जिम्मेदारी की उपेक्षा, श्रीमन्, आये दिन हो रही है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने एक दिन आपसे यह भी निवेदन किया था कि यह जो उपेक्षा हो रही है इससे इस माननीय सदन का अपमान हो रहा है। मान्यवर, आपको मालूम होगा और मुझे भी १६-१७ वर्ष हो गये, बड़ा जमाना देखा है, आप भी बैठते थे, किस प्रकार से फंक्शन करते थे और कराते थे। आप कितने एक्टिव रहते थे और सेन्ट परसेन्ट तो नहीं लेकिन ज्यादातर मंत्रिगण बजट के दिनों में सदन में बैठते थे और बातें सुनते थे। अब उसकी उपेक्षा हो रही है, इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। आपने आदेश भी इस सरकार को, इस मंत्रि-मंडल को दिया है कि सदन की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए लेकिन उसके बावजूद भी मौजूद-मंत्रि मंडल ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, बहुत दुःख हुआ है कि श्रीमन् ने इस बात की मंत्रि-मंडल और माननीय मुख्य मंत्री को चेतावनी दी लेकिन उसके बावजूद भी उसका इस मंत्रि मंडल पर कोई असर नहीं हुआ है और सदन की अवहेलना होती रही है।

(एक सदस्य के खड़े पर)

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठिए, आपके नेता बोल चुके हैं।

*(मुख्य मंत्री) श्री राम नरेश यादव---

मान्यवर, मंत्रि-मंडल की सामूहिक जिम्मेदारी है, सामूहिक दायित्व है। आज कोई प्रश्न काल भी नहीं था। शाही जी हमारे मंत्रि-मंडल के एक सदस्य हैं और वे सदन में मौजूद हैं। आज और कार्यों के बाद कुछ विधायी कार्य है। उसके बाद शाही जी आय व्ययक रखते। इसलिए इस तरह से सदन का जो ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है, मैं समझता हूं, कि इससे माननीय सदस्यों ने इस संदर्भ में सदन का समय व्यर्थ रूप में लिया (व्यवधान) जिसकी कोई विशेष उपयोगिता नहीं है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि मंत्रि-मंडल अपनी जिम्मेदारी को समझता है और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे मंत्रि मंडल के सदस्यगण, यह आवश्यक नहीं है कि सब लोग उपस्थित रहें, फिर भी वे उपस्थित रहेंगे। मैं इस प्रकार का आश्वासन देना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्यों को इस सन्दर्भ में आपत्ति करने का मौका न मिले।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बन गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने व्यर्थ में समय लिया है। आप इसको नोटिस लें।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न जो श्री सुदामा प्रसाद जी ने उपस्थित किया और सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये, माननीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज सदन समय पर नहीं बैठ सका और ५ मिनट तक घंटी बजती रही। कोरम का अभाव रहा। और यह पहली घटना है, यह उचित नहीं है और खास तौर से मंत्रि-परिषद् की संख्या ही इतनी है कि जिससे कोरम पूरा हो सकता है। ५ मिनट भी देरी से सदन का बैठना, यह थोड़ा सा प्रतिबिम्ब डालता है और खास तौर से संसदीय कार्य मंत्री जी को इस बात को विशेष रूप से देखना चाहिए....।

(शोर)

आप लोग शान्त रहिये...कि सदन में देरी न हो और कोरम सदन में बना रहे।

जहां तक मंत्रियों का प्रश्न है, पहले भी इस पीठ से इस बात की रूलिंग दी जा चुकी है कि सब मंत्रियों का रहना आवश्यक नहीं है। कोई भी कार्य भार-साधक मंत्री उपस्थित रह सकता है, जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा। प्रायः प्रश्नों के समय इस बात का जरूर प्रयास होना चाहिए कि जो मंत्री यहां रह सकते हैं वह रहें ताकि सदस्यों की भावनाओं से अवगत हो सकें। यह कोई नियम का प्रश्न नहीं है, लेकिन जब सदन में बजट पर विवाद हो तो इस बात का प्रयास करना चाहिए कि जो मंत्रि-परिषद के सदस्य हों, वह उपस्थित रहें, क्योंकि ऐसी परिपाटी रही है और वह भी उससे लाभान्वित होते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी, अब तो सिर्फ दो ही दिन बाकी हैं। लेकिन दो दिन में आप देखें कि जो मिनिस्टर बाहर आवश्यक कार्य पर न हों और यहां पर आसानी से रह सकते हैं, उनको अवश्य रहना चाहिए लेकिन सदन के कोरम का ध्यान तो अवश्य ही रखना चाहिए। जैसी आज ५ मिनट देरी हुई, वह नहीं होना चाहिए।

मुख्य-मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

इस पर आप व्यवस्था दें। हमने कहा है कि विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने व्यर्थ समय बरबाद किया सदन का।

श्री अध्यक्ष--

मैंने सुन लिया, आप बैठें।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मैं एक सूचना दे दूं। मैं आमतौर पर ९, साढ़े ९ बज आ जाता हूं। कभी-कभी ऐसी चीज आ जाती है, माननीय गेंदा सिंह बीमार हैं, बलरामपुर अस्पताल में हैं। मुझे खबर दी गयी कि बाहर से आये हुए नेता भी वहां आ

रहे हैं और मुझे भी वहां पहुंच जाना चाहिये । तो मैं चला गया था और वहां से चला आया । बस, केवल मुझे इतना ही समय ज्यादा लग गया । कभी-कभी अकस्मात ऐसे समय आ जाते हैं । लेकिन जब मुख्य दृष्टिकोण ध्यान में रखकर कुछ चूक हो जाती है तो वह नहीं होना चाहिये । पर जब कोई विशेष कारण हो जाता है तो माननीय सदस्यों को ध्यान में रखना चाहिए कि कोई आकस्मिक घटना घट गयी होगी, तभी लोग नहीं आ रहे हैं ।

श्री ऊदल, (जिला वाराणसी)—

लेकिन पूरा मत्रि-मंडल तो नहीं गया था ।

श्री अध्यक्ष—

आप शान्त रहिये ।

(श्री राज किशोर तिवारी के खड़े होने पर)

श्री राज किशोर जी, आप बैठें ।

माननीय श्यामधर जी ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित किया, यह कोई सदन की अवहेलना का प्रश्न नहीं है । इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना मत प्रकट किया और यह रोज कहते हैं कि सदन का समय . . . ।

(व्यवधान)

श्यामधर जी, मैं व्यवस्था दे रहा हूं, इस पर और सुनने की आवश्यकता नहीं है । नियम ६६ के अन्दर अध्यक्ष को संतुष्ट होना है । तो आज इसलिये मैंने कहा, माननीय मुख्य मंत्री जी ने केवल अपना मत दिया कि इस प्रश्न को उठाकर सदन का समय नष्ट हुआ । यह तो मत है और ऐसा नहीं कि रोज नहीं कहते हैं । इसलिए विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं पैदा होता ।

श्री श्यामधर मिश्र—

उनको क्या अधिकार है यह कहने का . . .

श्री अध्यक्ष—

हमने व्यवस्था दे दी, अब यह समाप्त ।

व्यवस्था के प्रश्न उठाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

व्यवस्था का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय . . .

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

आपको अधिकार है कि यह कहें कि मैं व्यर्थ समय बरबाद कर रहा हूं, केवल आपको अधिकार है । न मेरा अधिकार है और न मुख्य मंत्री जी का . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्यामधर जी, आप मेरी व्यवस्था पर (व्यवधान) ।

[श्री अध्यक्ष]—

मैं कहता हूं, आप बैठिये जरा । मुख्य मंत्री जी के कह देने मात्र से तो आपका कहना बन्द हो नहीं गया । अगर मैं कहता तो मैं रोक सकता हूं लेकिन मुख्य मंत्री जी तो आपको बैठ जाने का आदेश नहीं दे सकते । इसलिए कोई इसमें प्रश्न नहीं पैदा होता है ।

एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना...

(श्री भगवती प्रसाद सिंह के खड़े होने पर ।)

श्री भगवती प्रसाद सिंह जी, आप बैठ जाइये ।

(श्री भगवती प्रसाद सिंह के खड़े रहने पर)

मैं अनुमति नहीं देता, आप बैठ जाइये ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

(श्री अध्यक्ष के बार-बार कहने के उपरान्त भी श्री भगवती प्रसाद सिंह के खड़े रहने पर ।)

आप सदन छोड़िये । मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं । आप बार-बार इस तरह के व्यवहार के आदी हैं । मार्शल, ये यहां पर व्यवधान डालते हैं इनको बाहर निकालिये ।

(श्री भगवती प्रसाद सिंह अपने स्थान पर बैठ गये और बैठे-बैठे कुछ बोलते रहने पर ।)

आपका यह व्यवहार बन्द होना चाहिये । आप यहां बैठ कर फिर विवाद कर रहे हैं । आप बिना अनुमति के नहीं बोलेंगे ।

(श्री भगवती प्रसाद सिंह के बैठे-बैठे बोलते रहने पर) फिर आप अवज्ञा कर रहे हैं । आपको थोड़ा शिष्टाचार सीखना चाहिये । वहां से बैठे-बैठे आप उत्तर दे रहे हैं । यह उद्दण्डता है । कुछ बोलते रहने पर मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री श्यामधर मिश्र—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि कोई माननीय सदस्य उठते हैं यह कहने के लिए कि व्यवस्था का प्रश्न है ...

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

अध्यक्ष जी, माननीय भगवती प्रसाद सिंह को तो आपने डांट दिया और गुस्सा किया जो अध्यक्ष को नहीं करना चाहिये और माननीय मिश्रा जी बार-बार बोलते हैं। . . . इस प्रकार से सदन की कार्यवाही नहीं चलती।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

(श्री भगवती प्रसाद सिंह के कुछ कहने पर।)

आप बैठ जाइये।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

जब तक आज बजट चलेगा तब तक मैं यहां नहीं आऊंगा।

(श्री भगवती प्रसाद सिंह सदन छोड़कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

आपको मालूम होना चाहिये कि नेता सदन और नेता, विरोधी दल के कुछ अधिकार होते हैं। कोई व्यवस्था का प्रश्न तब पैदा होता है जब एक विषय समाप्त हो गया हो। मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न ले रखा था। नियम के अनुसार व्यवस्था का प्रश्न अव्यवस्था के लिए नहीं है। नियम पढ़ लीजिये, जब कोई विषय समाप्त हो गया हो उसके बाद खड़े होना चाहिये। मैं विशेषाधिकार का प्रश्न ले रहा हूं और मैंने बोलना शुरू किया है और फिर आज ही नहीं, यह इनका एक प्रकार का आचरण बन गया है, जिस वक्त चाहें उस वक्त सदन की कार्यवाही में अवरोध पैदा करने के लिये खड़े हो जायं। फिर यह भी समझना चाहिये कि वह अपने दल के एक मात्र सदस्य हैं और यह दलीय प्रणाली है। दलीय प्रणाली में नेताओं का कुछ स्थान होता है। माननीय भगवती प्रसाद सिंह की यह आदत है कि इस प्रकार के क्रोध में आ कर बार-बार खड़े होते हैं। उनको नियम मालूम होना चाहिये। जब मैं विशेषाधिकार का प्रश्न समाप्त कर देता तब अगर कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं और मैं अनुमति दूं, तो वह उठायें, और व्यवस्था का प्रश्न किस के बारे में होता है। नियमों के इन्टरप्रेटशन के बारे में, सदन के कार्यक्रम के बारे में या जब कोई व्यक्ति बोल रहा हो उसमें कोई बात असंगत बोलने लगे या न्यायालय पर कोई प्रहार हो, राज्यपाल की संस्था पर कोई प्रहार हो तब माननीय सदस्य कह सकते हैं कि माननीय सदस्य की बात असंगत है। लेकिन जब मैं एक विषय ले रहा हूं, उस विषय के बीच में मेरे कहने पर भी, अनुरोध करने पर भी न बैठना और यह पहला अवसर नहीं है, एक मर्तबा उनको निलम्बित भी किया जा चुका है। तो इस प्रकार से तो कोई सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती। इस सदन की कुछ गरिमा है। इस प्रकार उत्तेजित होकर कोई सदस्य अपनी बात कहना चाहे, तो उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

*श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन् आपने मुझे आज्ञा दी थी। मैं कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि व्यवस्था की बात जब कोई माननीय सदस्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री श्यामधर मिश्र)

उठाना चाहते हैं तो कभी-कभी आपकी ओर से यह हो जाता है कि आप बैठिये। तो बिना आपको बतलाये हुये कि क्या व्यवस्था का प्रश्न है आपका आदेश होता है तो हमें बैठना पड़ता है क्योंकि आपका आदेश है ...

(व्यवधान)

मैं आपसे कह रहा था कि बिना जाने हुये आप कह देते हैं कि व्यवस्था की बात यह नहीं है। तो हमारे लिये क्या उपाय है ? हम लोग व्यवस्था की बात आपके सामने रखें तभी आप कहें कि गलत है। लेकिन जब व्यवस्था की बात नहीं कह पाते हैं, इस सम्बन्ध में हमारी समझ से माननीय भगवती प्रसाद सिंह जो कहना चाहते थे और आपने पहले ही कह दिया कि नहीं, हम आज्ञा नहीं देते, इस सम्बन्ध में केवल उनकी ही बात नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह--

आपने श्रीमन्, जो व्यवस्था दे दी, उस व्यवस्था के सम्बन्ध में ये दलील कर रहे हैं, मिश्र जी, तो क्या ये सदन में इस तरह से व्यवधान डालेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इस पर तो मैं कहूंगा, आप बैठिये, यह अनुचित है कि आप आपस में बात करते हैं और कम से कम आपको इसलिए बोलने की अनुमति दी गयी कि आप नेता विरोधी दल की अनुपस्थिति में बोल रहे हैं, लेकिन आप भी उसी प्रकार का आचरण करने लगे हैं...

(व्यवधान)

श्री श्याम धर मिश्र—

मैं क्या कर रहा था, श्रीमन् ?

श्री अध्यक्ष--

मैनेजर सिंह जी से आप स्वयं बात कर रहे थे। मैं यह कह रहा था कि व्यवस्था का प्रश्न है कह कर सदन के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। आपने मेरी व्यवस्था पर टिप्पणी की। मैं पहले ही कह चुका था कि व्यवस्था उठाने का एक अवसर होता है। जब मैंने विशेषाधिकार के प्रश्न को ले लिया और आपने एक प्रश्न उपस्थित किया, तो आइटम नम्बर ३ शुरू हो गया। आपने विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित किया, मैंने रूलिंग दे दी, उसके बाद तुरन्त मैंने दूसरा विशेषाधिकार का प्रश्न ले लिया। तो जब मैं बोल रहा हूं, तो मेरे बोलने पर तो कोई व्यवस्था का प्रश्न होता नहीं और मैं स्वयं विशेषाधिकार पर कह रहा हूं और मैं कह रहा हूं, विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं होता। मैं सदन में कई मर्तबा यह सूचित कर चुका हूं कि जब एक विषय समाप्त हो जाय, दूसरा विषय समाप्त होने वाला हो, तो नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई भी व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। व्यवस्था के प्रश्न को लेकर भाषण नहीं हो सकता, वैयक्तिक स्पष्टीकरण नहीं हो सकता, आक्षेप नहीं हो सकता और यह भी मैंने अपनी व्यवस्था दी है, जो नियमों के अनुसार है। यदि कोई व्यक्ति बोल रहा हो, तो उस समय आप तभी खड़े हो सकते हैं, जब मैं बोलने वाले को बैठा दूं। तब आप उनके भाषण पर आपत्ति कर सकते हैं और बीच में व्यवस्था का प्रश्न उठाने

के लिए नहीं है कि चाहे जब खड़े हो जायं। अगर इस प्रकार माननीय सदस्य व्यवस्था के प्रश्न से अव्यवस्था पैदा करेंगे, तो मैं अवश्य कार्यवाही करूंगा, जैसे माननीय भगवती प्रसाद सिंह का कोई औचित्य नहीं था। जब मैंने विशेषाधिकार के प्रश्न को ले लिया, तो यह आपका कर्त्तव्य है कि थोड़ा सा उनको शान्त करें, क्योंकि वह आपके विरोधी पक्ष में हैं। उनको यह समर्थन देना, इस प्रकार का, यह भी एक अनुशासनहीनता पैदा करना है।

'स्वतन्त्र भारत' समाचार-पत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री राम दत्त जोशी, सदस्य, विधान सभा ने "स्वतंत्र भारत" अखबार के विरुद्ध सदन के अवमान तथा विशेषाधिकार भंग के प्रश्न की सूचना दी है और यह अनुरोध किया है कि इस मामले को सदन की विशेषाधिकार समिति को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंप दिया जाय।

माननीय सदस्य का कहना है कि "स्वतंत्र भारत" दिनांक १४ अक्तूबर, १९७७ के प्रथम पृष्ठ के कालम ४ व ५ में प्रकाशित समाचार में छपा हुआ है कि राम दत्त जोशी तथा अन्य विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सड़क व पुलों के निर्माण की मांग की जब कि उन्होंने अपने भाषण में अपने क्षेत्र के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, न अपने क्षेत्र में कोई सड़क या पुल बनाने की मांग की थी। माननीय सदस्य का कहना है कि स्वतंत्र भारत अखबार ने जानबूझ कर सदन की कार्यवाही का गलत प्रकाशन किया है और इस प्रकार सदन का अवमान व उनके विशेषाधिकार की अवहेलना की है। इस सम्बन्ध में मैं यह उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं कि माननीय सदस्य ने केवल "स्वतंत्र भारत" शब्द लिखा है। न तो उसमें सम्पादक का नाम दिया है और न किसी का। इसके अतिरिक्त मैं यह भी समझता हूं कि माननीय सदस्य को पत्रों के बारे में इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिये। मैंने उनके द्वारा, इस उद्धरण को देखा। यह कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है। अगर वह यह प्रश्न मेरी जानकारी में लाते तो जो स्वतंत्र भारत के प्रतिनिधि हैं, मैं उनको अपने कक्ष में बुलाकर उनसे कह देता कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखें कि माननीय सदस्य जो कहते हैं अगर वह पूरा नहीं दे सकते तो न दें लेकिन इस प्रकार से न दें कि जिससे कोई शिकायत हो। मैंने इसको अग्राह्य करार दिया है। लेकिन मैं "स्वतंत्र भारत" के प्रतिनिधि से अनुरोध करूंगा कि वह जो समाचार प्रकाशित करायें उसमें ध्यान रखें कि जो माननीय सदस्य यहां पर बोलते हैं, तो कम से कम उनका नाम और साथ ही साथ जो उन्होंने कहा है, वह प्रकाशित हो।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मेरी बात एक मिनट सुन लें। एक निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष--

राम दत्त जी, आपने जो प्रश्न किया, नियमों के अनुसार मैंने आपकी सहायता की अवश्यकता नहीं समझी। मैंने इस पर अपनी व्यवस्था दे दी।

विधान सभा की कार्यवाही व कार्य सूची को उर्दू में भी छापने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं। वह यह है कि अंग्रेजी का प्रयोग आज भी हमारे सचिवालय और आफिसों और प्रोसीडिंग में होता है। लेकिन

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मुझे अफसोस इस बात का है कि उर्दू इस देश की जुबान है । यह कोई तनहा मुसलमानों की जुबान नहीं है । जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाता ।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन यह औचित्य का प्रश्न कैसे है ? आप बैठिये । आप किसी नियम के अनुसार विवाद के लिये रखें तो मैं समझ सकता हूं उसके लिये आप मेरी अनुमति प्राप्त करें । आप नियमावली को पढ़ें ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न बनता है आप सुन तो लीजिये मेरी बात ।

श्री अध्यक्ष—

कौन से नियम के अनुसार, आप बतला दीजिये ?

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

इस वक्त मेरे पास नहीं है, मैं बतला सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

फिर आप बैठिये ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मेरी बात सुन ल, और व्यवस्था दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने अनुरोध किया है कि व्यवस्था का प्रश्न होता है नियमों के प्रवर्तन, लागू करने और उसकी व्याख्या के बारे में । इसमें नियमावली में है कि यहां की भाषा हिन्दी है और उसकी लिपि देवनागरी है । आप इसको मुख्य मंत्री जी से मिलकर उठायें । इसमें औचित्य का प्रश्न और प्वांइट आप आर्डर का प्रश्न नहीं है ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मान्यवर, यहां उर्दू जानने वाले और हिन्दी जानने वाले मौजूद हैं । बहुत से लोग हिन्दी नहीं समझते । तो मैं चाहता कि यहां पर एजेंडा और जो प्रोसीडिंग है, अगर उर्दू में भी छप जाया करे तो उससे हमारे माननीय सदस्यों को और सब लोगों को जो उर्दू दां हैं, जिनकी जबान उर्दू है, उनको समझने में आसानी हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें । इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मेरा प्रश्न इस हाउस की प्रोसीडिंग और एजेंडा के मुताल्लिक है । इसमें आप व्यवस्था दे सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं बराबर रहा हूं। आप बैठिये। आपने जो प्रश्न उपस्थित किया है वह इस नियमावली के मुताबिक कोई भी औचित्य का प्रश्न नहीं है। आप एक गैर सरकारी प्रस्ताव लायें, आप सरकार से अनुरोध करें कि उर्दू भी इस प्रदेश की भाषा हो। मैं पहले भी कह चुका हूं कि औचित्य का प्रश्न जो आप कहते हैं तो यह नियमों के अनुसार नहीं है। आपने जो समय सदन का लिया वह बिल्कुल नियमों के अनुसार नहीं है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

मैंने उर्दू की जबान का मसला उठाया इसलिए नियमों के अनुसार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

यदि आपको यह प्रश्न उठाना था तो शून्य प्रहर में ला सकते थे। मैं फिर कह रहा हूं कि हिन्दी नहीं जानते हैं तो अंग्रेजी की नियमावली आपको मैं दे दूंगा। नियमावली पढ़कर कम से कम प्रश्न उठायें।

प्रतिनिहित विधायन समिति तथा विशेषाधिकार समिति के सदस्यों का नामांकन

श्री अध्यक्ष--

मैंने वर्ष १९७७-७८ के लिये प्रतिनिहित विधायन समिति तथा विशेषाधिकार समिति के लिये निम्न माननीय सदस्यों को नामांकित किया है :

प्रतिनिहित विधायन समिति

१--श्री उदित नारायण शर्मा, हमीरपुर।
२--श्री हरिकेवल प्रसाद, देवरिया।
३--श्री कमला प्रसाद वर्मा, बहराइच।
४--श्री प्रभू दयाल यादव, एडवोकेट, कानपुर देहात।
५--श्री सुमेर चन्द्र, सहारनपुर।
६--श्री हुक्म चन्द्र तिवारी, मथुरा।
७--श्री कमल किशन पाण्डेय, पिथौरागढ़।
८--श्री शम्भू नाथ, जौनपुर।
९--डा० मोअज्जिज्ज अली बेग, अलीगढ़।
१०--श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी, झांसी।
११--श्री हबीब अहमद, इलाहाबाद।
१२--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी, फर्रुखाबाद।
१३--श्री चेतराम गंगवार, बरेली।
१४--श्री अरुण कुमार, जौनपुर।
१५--श्री रियासत हुसेन, मुरादाबाद।

श्री उदित नारायण शर्मा को उक्त समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

(श्री अध्यक्ष)—

विशेषाधिकार समिति

१—श्री मधुकर दिघे, संसदीय कार्य मंत्री ।

२—श्री ओम प्रकाश, न्याय मंत्री ।

३—श्री कृष्ण स्वरूप, बदायूं ।

४—श्री गनेशी लाल चौधरी, सीतापुर ।

५—श्री देवराम, गाजीपुर ।

६—श्री गोविन्द सिंह मेहरा, अल्मोड़ा ।

७—श्री सोहन वीर सिंह तोमर, गाजियाबाद ।

८—श्री देव बहादुर सिंह, नैनीताल ।

९—श्री देव कुमार, बांदा ।

माननीय उपाध्यक्ष इस समिति के सभापति होते हैं चूंकि उपाध्यक्ष के लिये हम लोगों की यह परम्परा रही है कि उपाध्यक्ष विरोधी पक्ष का होता है तो जब उनका निर्वाचन हो जायेगा, तो वह होंगे । इसके लिये भी अंतिम रूप से २ नवम्बर, १६७७ की तारीख निश्चित कर दी गयी है । इस समय विरोधी दल के नेता से निवेदन करता हूं कि एक तारीख तक नामांकन आयेगा, जो भी नामांकन होंगे, मैं २ तारीख के बाद नहीं टालूंगा । जो भी उपाध्यक्ष होते हैं वह इस समिति के चेयरमैन होते हैं ।

१६७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ५६-विद्युत् विकास तथा अनुदान संख्या ६६-ऋण और अग्रिम विद्युत्

विद्युत् मन्त्री— (*श्री रवीन्द्र किशोर शाही)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १६७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५६-विद्युत् विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८३,३३,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १६७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६६-ऋण और अग्रिम-विद्युत् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६८,२९,७०,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, विद्युत् आज के आधुनिक मानव सभ्यता के सुख और सुविधा की कुंजी है । मान्यवर, दैन्य और दुर्दशा में फंसे हुये लोगों के जीवनस्तर में सुधार की जब हम कल्पना करते हैं, जब हम समाज को बराबरी के दर्जे में लगाकर खड़ा करने की बात करते हैं, तो उसके साथ यह कल्पना जुड़ी है कि उनके आर्थिक उन्नयन और विकास के लिए चाहे खेती हो या रोजगार हो या काम के अवसर हों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विद्युत् की महत्वपूर्ण भूमिका है । मान्यवर, पिछले दिनों में मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय में जितना चिन्तन होना चाहिए था वह नहीं हुआ ।

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)--

मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं । पिछली सरकार का आप नाम लेते हैं । इनकी सरकार में तो पूरा प्रदेश बरबाद होने जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

आप अपने स्थान पर शान्त बैठिये । मैं आपको मौका नहीं दे रहा ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

इस चिन्तन के न होने का परिणाम यह हुआ कि स्वाधीनता के बाद के तीस साल का अवसर ऐसे ही चला गया और विद्युत का जिस स्तर तक विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पाया । कुछ बड़े लोगों को सुख-सुविधा और कुछ बड़े उद्योगों को खड़ा रखने का दृष्टिकोण ही रहा जिसके कारण विद्युत् का उचित विकास नहीं हो पाया । मैं इस माननीय सदन के माध्यम से जो आंकड़े माननीय सदस्यों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं उनको देखकर आपको ताज्जुब होगा कि बिजली के मामले में हमारी स्थिति कहां है । मोटे तौर पर हमारे प्रदेश में १ लाख २५ हजार गांव हैं । पिछले तीस सालों में इनमें से हम केवल १३ हजार गांव को ही छू पाये हैं । लेकिन अब यह तीस वर्ष का अवसर लौटकर आने वाला नहीं है । यह अवसर हमने खो दिया लेकिन हम साधन जुटा कर गांवों तक बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे ।

दूसरे आंकड़े में यह देख रहा था कि ११ करोड़ की आबादी वाले हमारे प्रदेश में कितने कंज्यूमर्स हो सकते हैं । सारे इंडस्ट्रियल और रूरल के कनेक्शन्स और शहरों में जो हैं उनको भी मिला लें तो २० और २१ लाख के बीच में हम हैं । यह हमारी हैसियत है । स्थिति यह है कि बिजली के बारे में गम्भीरता के साथ जो चिन्तन होना चाहिए था वह नहोने के कारण हमारे यहां दूरगामी योजनाओं की कमी भी रही । हमारा क्या रिक्वायरमेंट होगा ? बिजली का औसत कैसे बनता है, उसकी चिन्ता करते हुये जो भी शासन रहे, वह दूरगामी योजनायें/परियोजनायें इस प्रदेश की धरती पर लाने का प्रयास करे । लेकिन, मान्यवर, यह काम पिछले दिनों नहीं हुआ । नतीजा यह हुआ कि यहां पर पिछड़ापन रहा और पिछड़ापन रहा तो बिजली के कनेक्शन के लिये लोग आतुर भी हैं, उतावले भी हैं और कहीं-कहीं तो अनधिकृत ढंग से उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं जिसको कि चोरी की संज्ञा दी जाती है । तो यह भी स्थिति है । यह इसलिये है, मान्यवर, कि मैं देख रहा था कि सारे देश में जब बिजली की आवश्यकता ७-८ वर्षों में दुगुनी होती है...

श्री कृष्णा राय--

मान्यवर, मेरा निवेदन है...

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये । इस समय नहीं ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, सारे देश में बिजली की मांग ७–८ वर्षों में दुगुनी होती है तो पिछड़ेपन के कारण, बिजली का उत्पादन कम होने के कारण और बहुत से घरों में बिजली न पहुंचने के कारण पांच वर्ष में औसत डिमान्ड दुगुनी हो जाती है। ८ वर्ष की जगह ५ वर्ष में यह हो जाती है। इसी तरह से सारे देश में जनरेशन हम चाहे कितना भी करते जायं, जनरेशन का औसत २० प्रतिशत बढ़ रहा है, लेकिन जो भी जनरेट करते हैं, ३० प्रतिशत डिमान्ड बढ़ती चली जा रही है। इसलिये बिजली का उत्पादन चाहे जितना भी कर आज हालत क्या है? हम वचनवद्ध हैं लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिये, और धरती को पानी देने के लिये। तो बिजली का जो भी जनरेशन है, उसकी उपलब्धि है, परियोजनायें हैं, वे समुद्र में बूंद जैसी हैं। अगर यह कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। मान्यवर, हालत यह है कि उस समय जबकि चौथी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो रही थी, हमारे पास १६७४ मेगावाट थर्मल और हाइड्रो सब मिलाकर बिजली थी। सोचा यह गया था कि पंच वर्षीय योजना के अंत तक २४६२ मेगावाट बिजली का हमारा उत्पादन हो जायेगा! लेकिन अनेकों कारणों से यह केवल १७४४ मेगावाट बिजली जुट पायेगी पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत इस तरह से ७१८ मेगावाट बिजली की शार्टेज हमारे पास पंच वर्षीय योजना के अंत तक रह जायेगी।

मान्यवर, अब इस कमी के कारण कई हैं। थर्मल के भी और हाइड्रो के भी। थर्मल स्टेशन बनाने में या हाइड्रो स्टेशन बनाने में २–३ दिक्कते हैं। पहली दिक्कत तो हमें प्रोजेक्ट्स की शर्तें कराने की होती है। पहाड़ की तलहटी के नीचे पानी आता है, स्रोत मिलेगा, कहीं पानी का फ्लो ऐसा मिलेगा जहां हम पावर हाउस इस्टैब्लिश करें। ये चीजें हमें तलाशनी पड़ती है और जब हम ये सब चीजें तलाश कर योजना बनाते हैं तो उसे केन्द्र को भेजना पड़ता है। इस सर्वे में, इनवेस्टिगेशन में, साल भर का, छः महीने का, जितनी लम्बी, छोटी योजना हो, समय लग जाता है और यहां से परियोजना केन्द्र सरकार को जाती है फिर सेन्ट्रल पावर कमीशन को पहुंचती है वहां से प्लानिंग को जाती है और फिर सारे धन का लेखा–जोखा करने के बाद परियोजना सैंक्शन होकर हमारे पास लौट आती है तब हम काम करना शुरू करते हैं। तब तक परियोजना की कास्ट बढ़ जाती है, महंगाई की वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं। फिर योजना को नये सिरे से बनाते हैं ताकि योजना चल सके।

फिर कई जगह लक्ष्य निर्धारित भी किये हैं लेकिन हमारे रास्ते में रोड़े भी अटकते रहते हैं जैसे अभी कई जल विद्युत् परियोजनायें हैं, हमारे हाइड्रो स्टेशन हैं, मनेरी का है, और इसी तरह गोदरी का है, टेहरी का है, विष्णु प्रयाग का है ये सब अटकी पड़ी हैं। कई ज्योग्राफिकल जमीन की तलहटी में जब हम टनल बनाते हैं तो कई टनल ऐसे भी आये जिनमें ज्योग्राफिकल चेन्जेज, ज्योलाजिकल चेन्जेज, हो, पहाड़ की पर्त, मिट्टी बदलनी हो, टनल टिके या नहीं। सारे काम करते जायेंगे और एक किलोमीटर की एरिया जब आई तो वह दिक्कत आ गयी। अब उसको परीक्षण एक्सपर्ट को बुलाकर करा रहे हैं। अगर बनते–बनते दो तीन टनल खराब हो गये तो हमारी बिजली का उत्पादन, वहां की सारी परियोजना, सारी चीज ठप्प पड़ जायगी। मान्यवर, यह एक गैप की स्थिति बनती है और यह है कि फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बिजली की सम्पूर्ति के लिए हर सम्भव प्रयास किये जायं और उन सम्भव प्रयासों में मान्यवर, पहला प्रयास यह होता है कि जो हमारे वर्तमान श्रोत हैं हाइड्रो के और थर्मल के उनको हम क्षमता से प्रयोग करें। पूरी क्षमता पर उनका उपयोग हो सकता है, और यह अगर हम

करते हैं तो थोड़ी सी स्थिति में तत्काल परिवर्तन होता है । ऐसा नहीं होता है कि कोई नयी एप्रोच एडड होनी है ।

इस सिलसिले में जब चर्चा कर रहा हूं तो आपको याद दिलाना चाहूंगा पिछले गर्मियों के दिनों की और पिछले नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी की । पिछले जनवरी, फरवरी के अंदर जब हमने अपने प्रोजेक्ट्स को मिसहैन्डल किया, रिहन्द का सारा पानी बिना विवेक के बहा दिया । पीक आवर्स में सारे काम में लगे तो थोड़ी सी राहत जरूर दिखाई दी । लेकिन उसका दुष्परिणाम गर्मियों के आते–आते, मार्च के आते–आते आ गया ।

मान्यवर, इस सदन में उस दिन हिन्डालको को बिजली देने की चर्चा हो रही थी । तो स्थिति इतनी गंभीर बन गयी कि जिनको ८५ मेगावाट बिजली देने की शर्त की गयी थी, इस समय उस पर बाकी नहीं कहना चाहूंगा समय नहीं है, वे तीन महीने के बाद खुद कलम ले करके कटौती करने लगे बिना विचारे बिना विवेक के वह निर्णय था । (व्यवधान) फरवरी में जब इलेक्शन्स खत्म हुए तो उन्होंने ८५ कर दिया और जाते–जाते ३० कर दिया और बाद में स्थिति इतनी बिगड़ गयी कि उस ३० को भी समाप्त करने का फैसला राष्ट्रपति शासन ने ले लिया । कुछ दिन बीते, इस सरकार के आने के पहले जो स्थिति थी वह माननीय सदस्यों से और सारे प्रदेश की जनता से छिपी नहीं है । खेतों के अन्दर खलियान पड़े रह गये, उठ नहीं पाये । सीमेंट जैसी वस्तु के कारखाने पर भी पिछले साल हमने ५० परसेंट कटौती की । फर्टिलाइजर जिसका सम्बन्ध किसान के जीवन मरण से है उसमें भी ५० परसेंट कटौती की बात (व्यवधान) बतला रहा हूं, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष––

माननीय सदस्यों से कहूंगा कि इस विधान सभा को चौपाल न बनायें । कृपया शान्ति से सुनें ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही––

प्रदेश की सारी रोलिंग मिलें और फर्नेसेज सब बन्द हो गयीं । जनरेशन ठीक करने का परिणाम क्या होगा ? नई सरकार ने कोई नया पावर हाउस बना कर खड़ा नहीं कर दिया । थोड़ा सोचा विचारा और इन संकटों से मुक्ति पाने की कोशिश की गयी । सीमेंट के कारखानों का जहां तक सम्बन्ध है उनको १०० फीसदी बिजली दे दी गयी । आज सीमेंट की सप्लाई अधिक बढ़ गयी है और कीमतें भी बाजार में कम हो गयी हैं । जहां तक रोलिंग मिल्स का सम्बन्ध है १४० मिलें बन्द थीं । २४३ और २४५ रुपये क्विन्टल लोहा बिक रहा था । वह घट कर १८३ से १६० रु० क्विन्टल तक चला आया है और उसमें ५८ रु० से ५३ रु० क्विन्टल गिरावट ली है । जब हमने सुधार की ओर ध्यान दिया तो यह परिणाम आया । यह भी नहीं कि पिछली सरकार को हम इसके लिये कोई दोषी ठहरायेंगे । उनकी अविवेकपूर्ण नीतियों का यह परिणाम था । उन्होंने कोई बेईमानी की नीयत से बिजली रिजर्व की हो, ऐसी बात नहीं है । हमारे पास कोई स्टैंड बाई सपोर्ट नहीं है कि बिजली जो हम पैदा करते हैं उसे वह हजम कर लें । यह नहीं कि आज हम १०० मेगावाट बचा गये तो रिजर्व रखेंगे और कल उसका इस्तेमाल कर सकेंगे । जब स्थिति सुधरी और बदली तो फर्टिलाइजर, रोलिंग मिल्स, गांव के ट्यूबवेल्स और किसानों को भी कनेक्शंस दिये और कुछ नये कनेक्शंस भी देने का विचार है ।

[श्री रवीन्द्र किशोर शाही]

स्थिति यह थी कि लोग कर्जा लिये बैठे हैं। उद्योग के क्षेत्र में लोग पिकअप से कर्जा लिये थे लाखों रुपये का और १०, १५ हजार रुपये महीना अदा कर रहे हैं लेकिन बिजली उनको नहीं मिली जिससे वह दौड़ते थे। मैंने शासन की ओर से एक समिति की रचना कराई जिसमें कृषि मन्त्री, उद्योग मन्त्री, सिंचाई मन्त्री सब बैठे जिनका बिजली से ताल्लुक था और यह तय हुआ कि बिजली का किस प्रकार से वितरण करेंगे। उसका नतीजा यह हुआ कि दो दर्जन ऐसी पिकअप की संस्थाओं को बिजली देने का आर्डर मैंने निर्णय कर लिया। उसी के साथ यह भी फैसला किया कि छटनी कराई जाय। एप्लिकेशंस की उस छटनी में लगभग ५ हजार दरखास्तें मोटेतौर पर २५ हार्स पावर की ऐसी थी जिनका अनुबन्ध हो चुका था। लेकिन पिछली सरकार ने बिजली की सप्लाई रोक दी थी और निर्णय लिया था कि एक भी नया कनेक्शन नहीं देंगे, एक हार्स पावर लोड नहीं देंगे। जहां अपनी अकर्मण्यता के कारण ऐसा अविवेकपूर्ण निर्णय ले लिया था उसको हमने तय किया कि एग्रीमेंट वालों को देंगे। तो ५ हजार दरखास्तें नजर आई और १५ अगस्त को हमने कहा कि उनको कनेक्शन दें और काम शुरू कर दिया। उसी तरह से तीन सौ जो थे २५ हार्स पावर से ऊपर ३ सौ हार्स पावर तक जिनके अनुबंध हो गये थे उनको भी बिजली देने का फैसला किया और बिजली दी गई।

जब यह सरकार बनी तो लोगों की आशा बढ़ी किसानों में एक नई आशा आई और हमने बिजली देने की कोशिश की। जो बात सूखे थे, मैं इस बात को मानने से इनकार नहीं करता कि २४ घंटे बिजली देने की हमारी घोषणा थी वह लक्ष्य गिर गया और ग्रिड की खराबी होने से इंटरप्शन हुआ लेकिन यह बात सही है कि आन एन एवरेज १८ घंटे बिजली मिली। हमारा इरादा २४ घंटे देने का था। सूखे के दिनों में जब सारे ट्यूबवेल चलाये गये और डिमांड एकदम पीक पर चली गई सूखे की कल्पना नहीं थी। तो वह भी सरकार का परीक्षण था और विद्युत परिषद् की कार्यकुशलता का परीक्षणकाल आया क्योंकि पानी के दिनों में हम अपने थरमल स्टेशनों की मरम्मत शुरू कर देते हैं। तो इकट्ठा सूखा आ गया उसका परिणाम यह हुआ कि पौने तीन हजार प्राइवेट ट्यूबवेल और १४ हजार स्टेट वेल हैं इनको हमें चलाना पड़ा। उसे हमें बिजली देनी पड़ी और इंडस्ट्रीज को बिजली में कोई कटौती हमने नहीं की। इसके अलावा जितने उद्योग बिजली से चलने वाले थे चाहे रोलिंग मिल हों, या रि-रोलिंग मिल हो, चाहे दूसरी इंडस्ट्रीज हो जिनको १२ घंटे बिजली मिलती थी उसमें एक घंटे की भी कमी नहीं की। उन्हें बिजली देते हुए आपात स्थिति का मुकाबला किया। थोड़े बहुत डिफेक्ट रहे हैं मैं मानता हूं और वह डिफेक्ट एक दिन में नहीं जा सकते। कहीं तार खराब है, कहीं लाइन खराब है और कहीं साधन नहीं है, हमारे पास उतनी गाड़ियां नहीं है या हमारे इंजीनियर तीन दिन बाद पहुंच रहे हैं, बिजली जिले में है लेकिन उस लाइन में नहीं है। यह बात हुई होंगी यह मैं मानता हूं लेकिन मान्यवर, यह सब बात करने के बाद बिजली की स्थिति आज फिर नये सन्दर्भ में एक बार फिर कसौटी पर है। इसलिए माननीय सदस्यों के माध्यम से जनता को उस वस्तु स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं। हमारे पास मोटे तौर पर १४२५·७० मेगावाट के थर्मल जनरेशन प्लांट हैं और इस थर्मल जनरेशन में बी० एच० ए० एल० के ७५० मेगावाट प्रोजेक्ट हैं। यह जो बी० एच० ए० एल० के प्रोजेक्ट हैं मान्यवर, ठीक है देश में प्रयास हो रहा है और बी० एच० ए० एल० ने इसका टेक्निकल डिजाइन डवलप किया है। इसमें हमें गौरव है कि प्रदेश में उसका साज सामान लगा रहे हैं।

तो साम्यवर पनकी में उसके बायलर लगा रहे हैं लेकिन उनमें कुछ खराबियां हैं। हमारा पनकी में जो पावर हाउस चल रहा है उसमें एक दिन मई में मैंने देखा कि पावर हाउस में मरम्मत चल रहा है मेरी समझ में नहीं आया कि इस काम में बी० एच० ए० एल० के लोग लगे हैं या कोई ठेकेदार मरम्मत कर रहा है। आखिर क्या बात है और जब फाइल देखी तो निष्कर्ष यह निकला कि बी० एच० ए० एल० के बनाये हुए जो यंत्र हैं उनकी क्षमता में ३० प्रतिशत की त्रुटि है यानी अगर वह १०० के लगे हैं तो काम ७० का ही दे रहे हैं। यह लीकेज है यानी ट्यूब लीकेज है, जिससे मशीन ठंडी हो जाती है। हमने ओबरा में इस बारे में एक का विश्लेषण कराया, तो पाया ५० मेगावाट के एक यंत्र का हजार घंटे ट्यूब-लीकेज, जोकि डिजाइन की त्रुटि के कारण था, बन्द करना पड़ता है। जब ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है तो उसका प्रभाव हमारे उत्पादन पर सीधा पड़ता है।

इसी तरह हाइड्रोजनरेशन है। वह भी अपनी जगह पर कई बार प्रकृति के ऊपर निर्भर करने लगता है। इसको मैं साफ करना चाहूंगा। जो रिहन्द डैम है उसका एक न्यूनतम बिन्दु है ८३० और उसका अधिकतम बिन्दु है ८८५। इससे आप पानी ज्यादा नहीं ले सकते हैं। होता यह है और नदियों में भी यह बात है, रिहन्द में हमारा रिजरवायर है, पानी को हम बन्द कर सकते हैं। ज्यादा पानी होता है तो उसे बहा देना पड़ता है। रिहन्द का जो स्टैन्ड बाई-सपोर्ट मानकर चलाना चाहिए, चलाना पड़ता है। बाकी नदियों का हाल यह है कि नदियों में पानी बरसात में आया और पानी बढ़ता गया तो हमें बिजली उससे जनरेट करनी पड़ती है और इसीलिए जब बरसात के दिनों में थर्मल बिजली की मरम्मत में भेजते हैं, तो पानी आ जाने के कारण नदियों से हायड्रो-स्टेशन से हम बिजली लेते हैं लेकिन नदी का पानी जाड़ा आते-आते कम होने लगता है। जब रिहन्द रिजरवायर ठीक से काम किया और प्रकृति ने हमारा साथ दिया तो वह बाई-सपोर्ट के रूप में खड़ा रहता है। ४०० मेगावाट की मोटी-मोटी क्षमता है, उसमें से तीन-साढ़े तीन हम चला लेते हैं। अब २४ घंटे उसको हम जोत दें, तो उसका रिजरवायर ८८५ से घटकर ८३० पर आ जाता है और वह खतरे का बिन्दु है। वहां उसको हम रोक देते हैं। अब उससे लेकर आवश्यकता पूरी कर ली, तो नतीजा यह होता है कि तीन महीने में रिहन्द का जलस्तर नीचे चला जाता है। इसलिए आम आदमी देखता है कि इतनी क्षमता की मशीनें हैं और जब वह १०६८ देखता है और देखता है कि पानी इस वक्त है, जनरेशन है, तो वह सोचने को मजबूर हो जाता है। लेकिन पानी का रिजरवायर तो हमने बनाया नहीं, पानी में गत आयी तो बिजली बनती जाती है और मिलती जाती है। उसे हम शहरों के उद्योगों को भेजते जाते हैं, लेकिन पानी का स्तर जाड़ा आते-आते कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप फिर हमें अपने थर्मल स्टेशन पर बैक होना पड़ता है। इस समय यह हमारी रिहन्द, ओबरा, मातातीला की बिजली हमारी सहायक होती है।

इसलिए साम्यवर, दिक्कत यह हो जाती है कि पीक-आवर जो हमारा है, वह बरसात में न होकर नवम्बर-दिसम्बर में होता है। जब चीनी मिलें व चावल मिलें आदि चलेंगी। अब इसी नवम्बर से मार्च के बीच में प्रदेश का सारा किसान, जिसके पास ट्यूबवेल्स हैं, वह उनका अधिकतम उपयोग करेगा। इसलिए यह पीक आवर आकर खड़ा हो गया। कार्यक्षमता के परीक्षण के नाते इस समय हमें बिजली मुहय्या करनी पड़ती है। बिजली जो हम मुहय्या करने को सोच रहे हैं, उसकी हालत यह है कि हमारी आवश्यकता मोटे तौर पर पीक आवर में लगभग २५ सौ मेगावाट है, यह भारत सरकार के प्रतिष्ठान, रेलवे ट्रैक्शन सब को मिलाकर है।

[श्री रवीन्द्र किशोर शाही]

हमने कोशिश की है और हम अनुमान लगा रहे हैं कि रेनु सागर को छोड़कर जो मेसर्स हिंडालको पूरा उपयोग करता है, हम प्रदेश में पीक आवर की चुनौती के मुकाबले के लिए लगभग १९७५ मेगावाट बिजली पैदा कर लेंगे । अब जो कनेक्शन्स उसमें कायम करने हैं, १९७५ मेगावाट बिजली पैदा करने का हमारा संकल्प है जिसमें हम सबका सहयोग चाहते हैं, सारे इंजीनियरों से, सारे मजदूरों से, प्रदेश की सारी जनता से ।

फिर मान्यवर, बिजली कटौती । फिर बिजली को पूरा करने के लिए रोस्टरिंग नाम की चीज इन्ट्रोड्यूस करनी ही पड़ेगी । अभी मैं आंकड़े पढ़कर सुनाऊंगा, अगर सात-आठ वर्षों में रोस्टरिंग से मुक्त हो जाय तो यह बहुत बड़ा काम हो जायगा । अफसोस यह है कि रोस्टरिंग का जो प्रोसेस का प्रावधान शुरू हुआ वह किसानों से शुरू हुआ । प्रदेश में किसान सब से छोटा होता है । मैं व्यक्तिगत रूप से बड़ा दुखी हूं । जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा इस प्रदेश में खुशहाली नहीं होगी । लेकिन मान्यवर, दुख यह है कि किसान की खुशहाली के लिए बिजली लाइन बढ़े उसके लिए कुछ सोचा जा रहा है । इसके लिए माननीय सदस्यों ने अखबार में पढ़ा होगा कास्ट टरबाइन, इसको उत्तर प्रदेश में इन्ट्रोड्यूस करने जा रहे हैं ।

६० मेगावाट की आठ मशीनें लगाने का उत्तर प्रदेश के विशेषकर खेतिहर इलाकों में इरादा है और वह इसलिए लगाना चाहते हैं कि खेत के लिए हम लोग पानी दे पाएं । जब पीक आवर आता है, जब किसान को पानी चाहिए तो उसे पानी नहीं मिलता । आप स्थिति की गम्भीरता इससे भी अन्दाज करेंगे कि ३० वर्षों की प्रगति में केवल १४ हजार ट्यूबवेल लगे । इन १४ हजार ट्यूबवेल को ६ घंटे, ८ घंटे, १२ घंटे बिजली दे पाते हैं । यह ट्यूबवेल आम आदमी की जेब पर बोझ बन कर चलते हैं । अगर १४ हजार ट्यूबवेल को २४ घंटे बिजली देते तो हमारी धरती ऐसी है कि हम संसार के बड़े उन्नतिशील देशों के मुकाबले से अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं । लेकिन बिजली गायब है । यह इकानमी हमने प्लान नहीं की कि जितने ट्यूबवेल लगें उनकी पूरी क्षमता दें । तो गांवों में खुशहाली लाने के लिए बिजली पहुंचा कर ट्यूबवेलों को चलाने साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करता हूं कि नए कनेक्शन देने के लिए भी बिजली दी जायेगी यह दो चुनौतियां हमारे सामने खड़ी है ।

घाटे के बारे में माननीय सदस्य ने चर्चा की इसका जवाब मैं बाद में दे दूंगा, जब उत्तर दूंगा पीक आवर्स में जब गेहूं की बोआई होती है सिंचाई जोरों पर होती है तो सारे ट्यूबवेल चलाने के लिए सप्लाई अगर दी जाय तो बारह सौ मेगावाट बिजली की आवश्यकता पड़ती इसलिए हमको रोस्टरिंग करनी पड़ती है जिसके अन्तर्गत हम पुरे उत्तर प्रदेश को दो हिस्सो में बांट देते है जीरो आवर्स यानी बारह बजे रात से दो बजे तक एक हिस्से में एक हफ्ते तक बिजली देते हैं और दूसरे हिस्से में दो बजे दिन से बारह बजे रात तक बिजली देते हैं। ऐसा हम अदल-बदल करके करते हैं और इस तरह से रोस्टरिंग चलती है। अगर भगवान की कृपा हो जाय प्रकृति हमारा साथ दे और सभी लोगों का सहयोग ले लें तो मैं यह कह सकता हूं कि हम दो हजार मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है कि बिजली के हमारी जनरेशन में कोई कमी है मुझे आये के बीच में यह कहने में बड़ी खुशी हो रही है कि सारे देश में औसत थर्मल जनरेशन ५५ प्रतिशत है जबकि हमारे यहां ५८ से ६० प्रतिशत तक चलता है । इसको हम इस वर्ष ७० प्रतिशत तक करने जा रहे हैं इतनी बिजली हम निश्चय ही जनरेट करेंगे सारे देश में बिजली के जो वैज्ञानिक हैं उनमें से बहुत

आई० एम० एफ० बोर्ड में भी हमारे यहां के लोग रखे जा रहे हैं तो यह क्षमता हमारे पास है ।

जैसा कि मैंने निवेदन किया कि हमें गैस टरबाइन के लिए सैंक्शन मिल जाए तो एक साल के समय में हम गैस बाइन्डर लगाकर उत्पादन शुरू करें । लेकिन इससे जो बिजली मिलेगी वह बड़ी महंगी है उसकी इकनामिक्स को हमें वर्क आउट करना पड़ेगा लेकिन दूसरा रास्ता नहीं है चूंकि हमें उद्योगों का भी समुचित विकास करना है इसलिए हम बड़े–बड़े उद्योगों को कैप्टिव प्लान्ट लगाने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में भी विचार करेंगे उस पर चर्चा होगी और उससे जो बातें आयेंगी उन्हीं के आधार पर हम कोई निर्णय ले सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष––

शाही जी आप कितना समय लेंगे क्योंकि माननीय सदस्यों को चर्चा के बाद आपको जबाब भी देना है ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही––

मान्यवर, पन्द्रह मिनट का समय दे दें । विद्युत् परिषद् अपनी योजनाओं को अधिक से अधिक विलेज ओरियेन्टेड बना कर चला रही है और उसी के अनुसार हमने बजट को बनाया है । हमने इस बात का फैसला किया है कि अगर सिंचाई के लिए प्रदेश में कोई भी किसान दस हार्स पावर कनेक्शन की मांग करेगा तो उसे तुरन्त दे दिया जायेगा । हमने यह भी फैसला किया है कि चावल मिल, गन्ने के कृषक और कोल्हू आदि के लगाने के लिए जो लोग सामने आयेंगे, जिन्होंने यंत्र लगा लिए हैं और रेडी फार क्रासिंग, रेडी फार प्रेसिंग उन लोगों को पचास हार्स पावर तक जैसी आवश्यकता होगी तुरन्त कनेक्शन दे देंगे । हम दो तरह से कोशिश कर रहे हैं । एक तो जो आगे आयेंगे, उनको प्रायोरिटी देंगे और यह बात भी सोच रहे है कि और नीति निर्धारण समिति ने यह तय भी किया है कि १० हार्स पावर तक इन्डस्ट्रियल लोड के लिए हम कनेक्शन देंगे । एक तो ६ हजार एप्लीकेशन्स हमारे पास पड़ी थीं २५ हार्स पावर तक की लेकिन आज अगर कोई चला आए और कहे कि मैं एक मशीन गांव में लगाना चाहता हूं तेल घानी की या और किसी प्रकार की तो १० हार्स पावर तक का लोड हम उसको दे देंगे । उसके साथ–साथ हमने यह भी फैसला किया है कि कितनी भी बिजली रहे, क्योंकि बदरपुर से पिछले शासन के समय तो बिजली मिलती थी लेकिन हिमांचल प्रदेश से हमें बिजली मिले हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां से हमें मिले। बदरपुर का अगर पावर हाउस चल गया तो वहां से भी हमें बिजली मिल सकेगी । ओबरा के अन्दर एक प्लान्ट २०० मेगावाट जो दशहरे के बाद चालू हो जायगा, उसमें टीथिंग ट्रबल आयेंगी और वह दिसम्बर के बाद बिजली जैनेरेट करने लगेगा । इसके अतिरिक्त हरदुआगंज में एक और प्लान्ट आ जायगा । इस सारी बिजली को हम उद्योगों में और ग्रामीण क्षेत्रों को समान रूप से देने की बात सोच रहे हैं ।

गांवों में वसूली की हमने यह व्यवस्था कर दी है कि जिनके पुराने बकाया पड़े हुए हैं, उनसे सामान्यतः ६ किश्तों में बकाया रकम ले रहे हैं । इस बात की भी कोशिश करेंगे कि हमारे इंजीनियर्स जाकर और जांच करके हिसाब कर लें, जो पौसिबिल मिनिमम चार्ज है उस पर मिले, और पैसा जमा करने का ब्लाक स्तर पर बैंक और कलेक्शन एजेन्सी है, जो काम कर रही है, शहर में जो हमारे उपभोक्ता हैं, उनको भी हम हर प्रकार की सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं । हमारे कलेक्शन केन्द्रों के बारे में शिकायत की जाती रही हैं कि

[श्री रवीन्द्र किशोर शाही]

अच्छे लोग हमारे बीच म है हम ४०० के० वी० ए० की लाइन उत्तर प्रदेश में पहली बार बनाने जा रहे हैं। जिसके लिए यहां के लोग पुरस्कृत किए जा रहे हैं तथा महिलायें भी उसी काउन्टर पर रुपया जमा करती हैं जहां पर पुरुष और बड़ी भीड़ होने के कारण दिकवत हो जाती है। सब स्टेशन्स पर भी दिक्कतें हो जाती हैं क्योंकि पैसा अगर इकट्ठा कर भी लिया जाय तो उनके पास कोई सिक्योरिटी फोर्स नहीं होता है। तो सारे कलेक्शन की व्यवस्था को हम तेज कर रहे हैं और मशीनें मंगा रहे हैं।

इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि ब्लाक स्तर पर हमारे इंजीनियर्स एकाउन्टेन्ट्स को देखेंगे। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण की दिशा में भी सुधार लाने के जो आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं, उस सिलसिले में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम गांवों में अधिक से अधिक बिजली दें।

मान्यवर, एक दिकवत की चीज आ गयी है। हमारे ट्यूबवेल्स जहां पर लगे हुए हैं, वहां से २०० मीटर के अन्दर प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाने की इजाजत नहीं है। विभाग का विरोध चल रहा है लेकिन हमें आशा है कि इससे भी हम निकल सकेंगे। अब किसान डीजल से ट्यूबवेल चला सकेंगे। इस प्रकार की अब रेस्ट्रिक्शन्स हट गयी हैं।

जहां तक बोर्ड के कर्मचारियों का सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में भी हम ध्यान दे रहे हैं। जो जेनेरेशन का काम, मेहनत का काम कर रहे हैं, सारे प्रदेश को बिजली देने में हमारी मदद कर रहे हैं उन्हें हम हर प्रकार से पुरस्कृत करेंगे और उनको इन्सेन्टिव देंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि बिना किसी दबाव के शासन ने उन लोगों की जायज मांग मानकर ३५ रुपया का अन्तरिम रिलीफ दिया है। देश में और बहुत से बोर्ड्स हमसे भी ज्यादा दे रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहां पर कम दे रहे हैं। हम कुछ ढुलाई की छूट भी दे रहे हैं और कुछ लोगों को बाकी तरह की जैसे मेडिकल सुविधायें आदि भी दे रहे हैं।

हमारा एक और काम करने का इरादा है। हमने सर्विसेज की कैटेगरीज बना दी हैं। रेवेन्यू का आदमी रेवेन्यू में, हाइडिल का आदमी हाइडिल में और थर्मल का आदमी थर्मल में ही रहे। होता यह है कि वहां के आदमी का जो ज्ञान का संवर्धन होता है उसके अनुभव का उपयोग होना चाहिए वह उसके इधर से उधर जाने पर नहीं होता है। तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं और मान्यवर, इसके साथ-साथ इस साल विद्युत के लिए जो अनुदान पेश किया गया है, वह आपके सामने है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि जेनेरेशन बढ़े बिजली का वितरण ठीक से करने के लिए अधिक से अधिक काम किया जाय। वितरण की लाइन बढ़ायी जायं, ग्रिड को छोटा किया जाय और जो ट्रान्समिशन लासेज हो रहे हैं, उनको भी हटाया जाय। हमारा यह भी प्रयास है कि विद्युत परिषद का घाटा भी कम किया जाय। इसके अलावा जो सूद हम देते हैं, वह हमें २७ करोड़ रुपया देना पड़ता है। अब हम किस्तों को छूट कर देने से २१ करोड़ रुपया दे रहे हैं। ६५ करोड़ रुपया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपना कैपिटल आउट ले डालता तो इस तरह से जो हमारी आमदनी है और जो हमारा खर्चा है मोटेतौर पर, इस माननीय सदन की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि हमारा जो फाइनेन्स पैटर्न है वह प्रजनन पर १४८·२८ लाख रुपया खर्च करने की हमने प्रतिज्ञा की है तथा वितरण पर ८५, ग्रामीण विद्युतीकरण पर २४·७२ जिसमें सर्वे और इन्वेस्टीगेशन है इस पर ८८ और केन्द्रीय जो योजनायें हैं जैसे मुगलसराय से बिहार की लाइन तक बिजली की लाइन बनाने की बात है इस पर २० और कुल २५६ करोड़ रुपए के परिव्यय का प्राविधान हमने

इस बजट में किया है । इस धनराशि को प्राप्त करने के लिए जो संसाधन हमें प्राप्त हैं वे इस प्रकार से हैं :—

(१) इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने अन्तर्गत संसाधनों से ६५·५० करोड़ रु० का इन्वेस्टमेन्ट करेगा,

(२) राज्य सरकार से १४७·५० करोड़ रुपए का ऋण हमें प्राप्त है,

(३) जीवन बीमा निगम से १५·५४ करोड़ रुपया ऋण का प्राप्त है ।

(४) बाजार से जो ऋण हमने पलोट किया है १५·६८ करोड़ रुपया,

(५) आई० डी० बी० से १·६० करोड़ रुपया ऋण के रूप में,

(६) ग्रामीण विद्युतीकरण से १२·६८ का है और

(७) केन्द्रीय सहायता से ०·२० करोड़ को मिलाकर कुल २५६·८ हमारे आय के साधन है और यह हम परिव्यय करने जा रहे हैं ।

पिछले दिनों में ट्रान्समिशन लाइन्स और जेनेरेशन के खर्चे का भी हिसाब बनाना चाहते हैं क्योंकि उसमें ठीक नहीं बना था । इस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रजनन पर और ट्रान्समीशन लाइन्स पर उतना ही ध्यान दें । मोटे तौर पर इन बजट के आंकड़ों को प्रस्तुत करके मैंने मोटी–मोटी बातों को आपके सामने रख दिया है ।

जहां तक ट्रान्समिशन लौसेज का सम्बन्ध है यह २१ प्रतिशत से घटकर १८·८ पर आ गया है । हमारी घाटे की स्थिति इस कारण से भी है क्योंकि इन्टेरेस्ट लाइबिलिटीज ३६ करोड़ रुपए की है । इसमें हम २७ करोड़ रुपया पे कर रहे थे अभी जो ३ रुपया प्रति हार्स पावर की किसानों के मिनिमम चार्ज में घटोत्तरी की थी उसके कारण ६ १/२ करोड़ रुपए का हमारे ऊपर नया भार आ गया है और इसलिए हम यह ६ १/२ करोड़ रुपया कम कर देते हैं ।

हमने जो डिफरेन्ट सोर्सेज से अब तक रिसोर्सेज प्राप्त किए हैं, उन पर ३६ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष हमें सूद का देना पड़ता है और मैं समझता हूं कि यह माननीय सदन और इसके दोनों तरफ के लोग बिजली की इस महत्ता, आवश्यकता और प्रदेश के पिछड़ेपन को देखते हुए इस अनुदान को एक स्वर से अपनी सहमति प्रदान करके स्वीकृत करेंगे । उनके इस सहयोग की अपेक्षा करते और उनके हर सुझाव के सम्मान का आश्वासन देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५६–के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ६६–के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना है।

---

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन]

श्रीमन्, मेरा काम बहुत काफी हद तक हलका कर दिया माननीय मन्त्री जी ने, क्योंकि ऐसा मालूम हुआ कि मेरे कटौती के प्रस्ताव पर ही बोल रहे हैं। और ठीक ही है, क्योंकि माननीय मन्त्री जी ने जो कुछ कहा शायद इस बात से प्रेरित होकर कहा है कि अब तक पिछले ३० साल के अन्दर और जो पिछले जून, जबसे बोर्ड बना, तबसे अबतक कुछ मसला हल नहीं हो सका। अब लोग तो बड़ी उम्मीद और आशाओं से बैठे हैं कि जनता पार्टी की सरकार बनी है और किसान की खुशहाली सामने आयेगी, अब देखिये किस हद तक माननीय मन्त्री जी की सरकार कामयाब होती है। मुझे दुःख और खेद है कि बिजली दुनियां में जिस रफ्तार से चलती है १ लाख ८६ हजार मीटर की रफ्तार एक सेकेन्ड में उतनी ही सुस्ती की रफ्तार से माननीय मंत्रिगण और शासक दल ने काम शुरू किया है। श्रीमन्, आपने चेतावनी दी है कि ये ५ मिनट देर से तशरीफ लाये। अगर यही हालत रही तो भविष्य में क्या होगा, खुदा ही बेहतर जानता है।

बहरहाल, श्रीमन्, मैं सबसे पहले एस्टेब्लिशमेन्ट की बात लूंगा। बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज भी इस युग में जबकि महंगाई की हालत कहां से कहां पहुंच गयी, लेकिन बहुत बड़ी संख्या आज भी आपके यहां ऐसे कर्मचारियों की है, जो ५० रुपये से ९० रुपये के ग्रेड के हैं--चपरासी और जमादार। जिनको ७८ स्पेशल पे देते हैं। ऐसी महंगाई में ऐसे कर्मचारी जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में हैं। इस बोर्ड के अन्दर वह ९० हजार के लगभग कर्मचारी हैं। जिस संस्था की तादाद ९० हजार हो और वहां एक बहुत बड़ी तादाद को ५५ से ९० के ग्रेड में रखा जाय वहां कितना संतोष होगा, कितनी उनमें काम करने की इच्छा होगी यह आप स्वयं समझ सकते हैं।

दूसरी तरफ जो बोर्ड है, जिसमें ७ मेम्बर हैं जिनकी तनख्वाह ३ हजार ५० रुपये फी महीने बनती है और एक ही महीने में वह १३,५०० रुपया हासिल कर लेते हैं, तो यह कुछ समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा एक और ६०-६५ का फर्क जिस संस्था के अन्दर हो वहां कैसे सुचारु रूप से कर्मचारी और अधिकारी काम करेगा, यह समझ में आने वाली बात नहीं है।

(इस समय १२ बजकर ५० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शिवमंगल सिंह पीठासीन हुए।)

१९७४ में एस्टैब्लिशमेन्ट में सिर्फ २ चीफ इंजीनियर थे, १९७७ में ९ हो गये। १९७४ में दो एडीशनल चीफ इंजीनियर थे, ७७ में २१ हो गये। ७४ में ५० सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर थे, जो ७७ में १५० हो गये। तो टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन जो हुआ है उसका कोई खास कारण अगर आप देखें क्या है तो यह है कि इस बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनके सोचने का ढंग कुछ ऐसा है कि वह समझते हैं कि शायद शक्ति भवन के एयर कंडीशन भवन में बैठ कर ही गांव-गांव में बिजली लग जायगी और उसका स्वरूप यह है कि उन्होंने अपने समय में जो आफिसर्स की तादाद बढ़ाई, वह दो हजार से बढ़ कर ३ हजार हो गयी, यानी ५० प्रतिशत आफिसर्स की तादाद बढ़ी। लेकिन कर्मचारियों की तादाद केवल श्रीमन्, ३ प्रतिशत बढ़ी। तो इससे नतीजा निकलता है कि आफिसर्स को बढ़ाते हुए वह समझते हैं कि जो एग्जिक्यूटिव इंजीनियर हैं, जो

सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर है या चीफ इंजीनियर है वही जाकर देहात में खम्भे खड़े करेगा और तार खींच देगा। तो इस पूरी संस्था के अन्दर आपस में जो बड़ा असंतोष है उसका मुख्य कारण क्या है कि जो क्लास थ्री और फोर का कर्मचारी है उसको ओमन, भत्ता किसी किस्म का नहीं, लेकिन माननीय चेयरमैन साहब की निगाह में आफिसर्स की सेवाएं पूरी लेने के लिए उनको कार अलावेंस अलग, स्कूटर अलावेंस भी आफिसर्स को मिलेगा, सिटी अलावेंस भी उनको मिलेगा और जो अटैच्ड हैं हेडक्वार्टर से उनको अटैचमेन्ट का अलावेंस मिलेगा और स्टाफ को कुछ नहीं मिलेगा। और फिर उसमें भी खास-खास चहेते लोग हैं, जिनको दूसरे लोगों को सुपरसीड करके उनको तरक्की देने की बात है। वैसे भी केसेज बहुत हैं। चाहे किसी को एडिशनल चीफ इंजीनियर बनाया हो, चाहे वह माथुर साहब हों, चाहे हरपाल सिंह जी हों। बहरहाल, वह कैसे-कैसे लोग हैं, जिनके खिलाफ विजिलेन्स की रिपोर्ट है कि ये सर्विस में रहने लायक नहीं हैं। अब जरा हरिजनों की तरफ आइये। चीफ इंजीनियर के दफ्तर में क्लास-१ में कोई हरिजन अधिकारी नहीं, क्लास-२ में कोई हरिजन नहीं, क्लास-३ में केवल ८·८ परसेन्ट। क्लास-४ में अलबत्ता २४ परसेन्ट हैं, उसमें पानी पिलाने वाले वगैरह सब मिला कर हैं। अब बोर्ड के अपने कार्यालय में आइये तो वहां ·९ परसेन्ट क्लास-१ में, ·९ परसेन्ट क्लास-२ में और सिर्फ ८ परसेन्ट क्लास-३ में। कानपुर में ६·५ परसेन्ट क्लास-२ में और ८·६ परसेन्ट क्लास-३ में। यह तो है हरिजनों का और जब आप मुसलमानों की तरफ आयेंगे तो आज जितने भी मुसलमान अफसर हैं सब परेशान हैं, चाहे खां साहब हों, चाहे अन्सारी साहब हों, चाहे कुरेशी साहब हों, चाहे जफर साहब हों। यह जो डिससैटिस्फैक्शन बढ़ रहा है इसका क्या होना है यह तो खुदा ही बेहतर जानता है।

दूसरी तरफ अपना सोचने समझने का ढंग है। जब पूरा शक्ति भवन एयर कंडीशन्ड है तो दिल्ली के अन्दर कोई मकान क्यों न एयरकंडीशन्ड हो भले ही ५ हजार रुपये महीना देना पड़े, भले ही ३५ हजार रुपये एयरकंडीशन करने में लगें और भले ही देहरादून के अन्दर होटल वालों को दो-दो महीने का एडवांस दे कर लेना पड़े। दूसरी तरफ जब हम ९० हजार मजदूरों को लेते हैं कि उनका क्या हस्र है? तो जो तसफिया १९ जुलाई को हुआ था आजतक वह पूरा नहीं किया गया, वेज बोर्ड के मातहत जो ऐग्रीमेन्ट हो गया वह पूरा नहीं किया गया। इसीलिये ११-१२ तारीख को टोकेन स्ट्राइक के तौर पर आपको चेतावनी दी गयी है माननीय मन्त्री जी होशियार हो जाइये, अगर आप १९ तारीख को किये गये तसफिया को लागू नहीं करेंगे तो दीवाली डार्क होगी। ७-८ तारीख से ये कर्मचारी हड़ताल पर चले जायेंगे और १० तारीख को दीवाली अंधेरी होगी।

चूंकि बिजली का मामला है इसमें हर जगह आंकड़े बहुत आयेंगे। जो कुछ आंकड़े हैं, जो किताब माननीय मन्त्री जी ने दी है उन्हीं में से लिये हुये वह आंकड़े हैं। वह आंकड़े सही हैं या गलत इसकी सारी जिम्मेदारी माननीय मन्त्री जी के ऊपर है, हमारी नहीं है। मैं जितने भी आंकड़े प्रस्तुत करूंगा इन किताबों मे ही प्रस्तुत करूंगा।

कैपेसिटी इंस्टालेशन की जो बात कही बड़ी अच्छी बात कहीं कि मैं यह करूंगा, वह करूंगा। माननीय मन्त्री जी ने स्वयं मान लिया कि पीक डेज में किसानों को २४ घंटे बिजली नहीं दे सकेंगे। यह भी आपने मान लिया कि

श्री रियासत हुसेन

जब तक रोस्टरिंग नहीं करेंगे तब तक सबको बिजली नहीं दे सकते। और जब रोस्टरिंग का नम्बर आता है, जब गर्दन कटने का बारी आता है तो गरीब की ही गर्दन कटती है, किसी बड़े की नहीं काटी जाती। यह चेतावनी माननीय मन्त्री जी ने आज दे दी कि आने वाले दिनों में जब नवम्बर से पीक डेज शुरू होंगे, सब चीजें मिलें वगैरह चलेंगी तो किसान को अभी से चेतावनी दे दी कि होशियार हो जाओ, हमारे बस की बात नहीं है कि हम किसानों को बिजली दे सकें। याद रखिये इसी माननीय सदन के अन्दर पिछले दिनों जो बिजली मन्त्री थीं उन्होंने कहा था कि हम १२ घंटा बिजली देंगे किसानों को और अगर नहीं देंगे तो इस्तीफा दे कर चले जायेंगे। उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने इस्तीफा तो नहीं दिया लेकिन जनता ने उनका निकाल बाहर किया कि आप अपना रास्ता नापिये। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी, आप भी जो आश्वासन दें इस सदन में, थोड़ा सोच समझ कर दें।

यह किसान का मामला है, ८३ फीसदी किसान देहात के अन्दर रहता है, अपने खेत को पांच पानी देना चाहता है। अगर आपने आश्वासन दिया और वह पूरा नहीं हुआ तो श्रीमती राजेन्द्र कुमारी जैसा हाल आपका कहीं न हो जाय, इतका आप भी ध्यान रखें। आपने जो कहा कि १८ घंटे बिजली दे दिया, तो साहब आपने कौन सा तीर मार दिया? २२ जून से आप शासन में आये, उसके बाद बरसात शुरू हो गयी, बहुत से कोल आये भी नहीं हुए, आपने कहा कि १८ घंटे हमने बिजली दे दी, जब जरूरत नहीं थी। आपने जो कैपेसिटी इन्सटालेशन करना बताया ७४-७५ में १८४१ मेगावाट, आपका प्रोडक्शन हुआ, ६२० मेगावाट आपकी इन्सटाल्ड कपेसिटी में से केवल ६०० था, कंजम्पशन ४६८ मेगावाट। अब आपका ७६-७७ में बढ़कर २९१९ करने का विचार है। प्रोजेक्ट ७७-७८ में २५८·८८ करोड़ की स्कीम और इन्सटालेशन स्कीम में ३०० मेगावाट और एक्सटेंड हो जायगा। इसके ऊपर श्रीमन् आपका आशय यह है कि ७८-७९ में ३,२२१ मेगावाट हो जायगी। गैस टरबाइन की बात को, आपका उससे प्रोडक्शन ४२० मेगावाट होगा और सुनिन ऊंचाहार विस्तार प्लान में कर रहे हैं, उसमें भी ४२० मेगावाट होगा दोहरी घाट आपकी परियोजना है, उसमें भी ४२० मेगावाट होगा। मैं तो इतने संदेह में पड़ गया कि ये तीनों स्कीमें आपकी ४२० में हैं, तो यह खतरे से पड़ गयी कि होगी कि नहीं होगी। यह श्रीमन् बड़े खतरे की बात हो गयी। खैर खुदा करे ४२० हो जाय, बड़ी अच्छी बात।

अब श्रीमन् जरा उसमें यह भी देखने की बात है हालांकि इसमें आप दोषी कम हैं, दोषी तो हमारे मिश्रा जी हैं ही, आप लोग कह कर छूट ही जायेंगे, मगर गौर कीजिए, चाहे मिश्रा जी सरकार की शक्ल में बैठें, चाहे आप बैठें, दोष न मिश्रा जी का है, न आपका, इसका दोष है विद्युत परिषद् का, जो सारे लोग बिजली बनाने के जिम्मेदार हैं। वह तो जिम्मेदारी ले लेते हैं, चूंकि इस माननीय सदन के अन्दर आने की किसी की इजाजत नहीं है, दूसरा आकर बैठेगा, ५०० रुपये जुर्माना ठुक जायगा। लेकिन श्रीमन्, बड़े शर्म और लज्जा की बात है। सबसे बड़ा सूबा हमारा उत्तर प्रदेश सब से ज्यादा पानी, पहाड़ जहां पर बारहों महीने बर्फ आती है, पानी की कोई कमी नहीं है। महाराष्ट्र जैसे सूबे से आप कितना पीछे हैं। महाराष्ट्र का ७४-७५ में जो इन्सटाल्ड कंपेसिटी थी, उसकी दो करोड़, सात लाख, ३ हजार किलो वाट और जनरेशन में उन्होंने जो किया तो उनके यहां १० लाख ७९ हजार ५४ किलो वाट आवर्स का जनरेशन

है और जो कंजप्शन है वह ९ लाख ३७ हजार १२ का है। तो उनके यहां लासेज तो बराये नाम गये। अब जरा अपने यहां नजर डाले वह १ लाख ८४ हजार का १९७५-७६ में रहा। तो इतना अपने यहां लाइन लासेज हैं। जनरेशन के बारे म जैसा मैंने पहले बताया कि वह इंस्टाल्ड कैपेसिटी का १/३ होकर ६ लाख २० हजार ३७ रह गया। और इसमे से जो कंजप्शन हुआ वह ४ लाख ६८ हजार १९ होकर रह गया। यानी आपकी इंस्टाल्ड कैपेसिटी कम और जनरेशन भी कम लेकिन लाइन लासेज ज्यादा। उनके यहां ५० प्रतिशत जनरेशन है इंस्टाल्ड कैपेसिटी के मुकाबले में। आपके यहां २ लाख का लाइन लास हो गया। तो इसमें किसकी जिम्मेदारी है। उनके यहां भी तो बोर्ड है। उनके यहां इतने लासेज क्यों नहीं है। लाइन लासेज को लें तो कहा जाता है कि लाइनें खराब हैं तो क्या इन लाइनों को कोई मेम्बर जाकर ठीक करेगा? लासेज के बारे में यह भी कहा जाता है कि मोटर खराब हैं, बिजली की चोरी होती है, बिजली के बिलों का वक्त पर न बनना, बिजली के बिलों का खाते में न चढ़ाया जाना। तो इन चीजों को कौन ठीक करेगा। आप कहते हैं कि लासेज अब घटकर १८ रह गया है तो ठीक है, प्रोग्रेस करें तो अच्छा है। तो श्रीमन्, यह स्थिति है। महाराष्ट्र के मुकाबले में हमारा सर नीचे झुक जाता है।

अब आइये कर्जे की तरफ। ७६-७७ मे बोर्ड पर ४ हजार ९१७ लाख रुपये का कर्ज था, एल० आई० सी० वगैरह का लेकिन वह ७७-७८ में बढ़कर ५ हजार ५५० लाख हो गये। तो कर्ज तो बराबर बढ़ता रहा है और बिजली बोर्ड का घाटा भी बराबर बढ़ता चला जा रहा है। मैं समझता हूं कि बोर्ड इतने घाटे में आ गया होगा कि अगर पूरा शक्ति भवन नीलाम कर देंगे तो भी आप सूद, असल कर्ज और घाटे को पूरा नहीं कर सकेंगे। यह बिजली बोर्ड की हालत हो गयी है। क्यों यह हालत हो गयी है इस पर जरा गौर कीजिये। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनको बहुत ताकत दे दी है। इस समय सारी शक्ति जो चेयरमैन साहब हैं उनके अंदर निहित है। उन्होंने अर्थ बायर खरीद लिया ३५ लाख रुपये का सन् ७५ में १३ लाख का डेमरेज चला गया। मैं ज्यादा बातों में नहीं जाना चाहता, जरूरत नहीं है।

एक किताब आपके यहां से मिली है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट है इसमें लिखा है, मैंने इसको वक्त लगाकर गौर करके पढ़ा तो जो इसमें है आप गौर कीजिये। इसमें २५ केसेज ऐसे हैं, जिनमें ६ करोड़ ६० लाख ४७ हजार रुपये का घपला है। मैं तफसील में नहीं जऊंगा जो बड़े-बड़े केसेज हैं उनको मैं बतलाये देता हूं। ताकि आप मालूमात कर सकें। श्रीमन्, जो लापरवाही बरती गयी और जगह-जगह पर जो माल पड़ा है, जिसमें डेमरेज बगैरह देनी पड़ी तो हर डिवीजन और सर्किल में ७३-७४ में २६ लाख रुपये डेमरेज वगैरह का देना पड़ा। ७४-७५ में ४१·७ लाख रुपया देना पड़ा। ७५-७६ में २५·५ लाख रुपये का डेमरेज देना पड़ा।

इसके अलावा आपने जो स्टील का प्रोक्योरमेंट किया तो उसके हिसाब में गड़बड़ घोटाला है, ७६-७७ में ८·८२ लाख रुपये का है। मुखतलिफ यूनिटों में स्टील डम्प पड़ा है। हजारों रुपयों का नहीं पड़ा है बल्कि २९३ लाख रुपये का स्टील डम्प पड़ा है। आपके यहां बहुत से प्रोजेक्ट हैं, जिसके अन्दर डिक्लेयर कर दिया गया है कि यह स्टील, लोहा बेकार गया है वह भी ११६ लाख ६६ हजार रुपये का है। रिवर साइड पावर हाउस में जिसमें कोयला पड़ा है वह २१ लाख ४९ हजार रुपये का है। स्टोर

[श्री रियासत हुसैन--]

मई १९७७ में ३९·२६ लाख है। १९७५-७६ में ४·४८ लाख है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में ५·९६ लाख का घोटाला। रिकवरी में २,४१,००० रु० का घोटाला है। अर्थ वायर बिलो क्वालिटी खरीदा गया, जो ३५·२१ लाख रु० का है। इसमें आपकी गल्ती नहीं है बल्कि असली चीज गुरु घंटालों की हुई है। उन पर यदि आपका कंट्रोल है तो जो दिया है वह ठीक है वर्ना इससे कोई फायदा नहीं है।

अब श्रीमन्, जो बड़ी-बड़ी परचेजें की गयी हैं उनमें एक दो फैक्टरी ऐसी हैं जिनसे खास ताल्लुक है जैसे कलकत्ते की एस० ए० ई० कम्पनी और इसकी दूसरी कम्पनी ई० एम० सी० है। इनको रिबेट इक्जेम्पशन दिये गये हैं। इनका टावर बना देने का एग्रीमेन्ट था। जो इसमें पुर्जे बनते हैं उसके लिये वेस्टेज आफ स्क्रेप स्टील इन टावर इरेक्शन में ५ प्रतिशत की छूट दी जाती है लेकिन इसको बढ़ाकर १० प्रतिशत ४०० के० वी० ओबरा, कानपुर में दे दिया गया है। तो यह सारी गड़बड़ियां मान्यवर, कब तक चलेंगी? हमें कोई परेशानी नहीं थी यदि यह माननीय सदन से कर्जा न लें। बोर्ड में यदि पब्लिक का पैसा न लगा हो तो हमको कोई परेशानी नहीं थी चाहे बोर्ड वाले सब खा जाते। ऋण की इतनी बड़ी ग्रान्ट दे रहे हैं तो फिर इस पर क्यों न हम गौर करें?

मान्यवर, ट्रान्सफारमर की चोरियां ३.३ करोड़ की हो जायं। उस पर क्या कार्यवाही आपने की है? कंज्यूमर की तरफ ३० करोड़ बकाया है। जो बिजली खर्चे में आती है उस पर मैं बताऊं कि डोमेस्टिक इस्तेमाल में ३३ किलो वाट आवर्स खर्च में आती है, कामर्शियल में १४, इंडस्ट्रियल यूनिटस में ३२२, पब्लिक वर्क्स में ८, स्ट्रीट लाइट में ३ और रेलवे में १३, इस तरह टोटल ४६० का कंजम्पशन है। इसमें ३२२ इंडस्ट्रियल यूनिट्स का है। इसमें जो मेजर बकाया है वह बड़ी-बड़ी फैक्टरीज पर निकलेगा। लेकिन छोटे किसानों से अमीन मय कलेक्शन चार्जेज जोड़कर १० प्रतिशत लगाकर कुर्की करके बिजली के चार्जेज वसूल करता है। यदि किसान इससे बचना चाहे और आपके विभाग में जमा करना चाहे तो भी वह १० प्रतिशत से नहीं बचेगा। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा माननीय मन्त्री जी ने कहा कि बिजली के विकास के बगैर प्रदेश तरक्की नहीं कर सकेगा तो यह सही है। लेकिन हालत क्या है? देहात में जायं। खम्बे खड़े हैं। बिजली नहीं। मीटर में चोरी। विभाग के जरिए सारा गड़बड़ घोटाला हो रहा है। आपने खुद कहा कि १ लाख २५ हजार गांवों में कुल १३ हजार में बिजली पहुंच पाये हैं।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अगर आप ईमानदारी से चाहते हैं कि विद्युत परिषद् पर कंट्रोल हो सके तो आप उसके ढांचे को बदलिये। अब तक जो बना हुआ है वह अपने नहीं बनाया है, जब आप कहते हैं कि इंकलाब आ गया तो फिर इसमें इंकलाब लाइये। उसमें आपके चेयरमैन और दो मेम्बर रहें, इस माननीय सदन के दो मेम्बर हों, एक कौंसिल से मेम्बर रखें, एक रिप्रीजेन्टेटिव कर्मचारियों का रहना चाहिए और एक कंज्युमर्स का होना चाहिए तब आपका बोर्ड सुचारु रूप से चलेगा।

दूसरा सुझाव यह है कि ५८ साल की एज लिमिट फिक्स जैसे सरकार में है वैसे ही यहां भी होनी चाहिए चाहे चेयरमैन हो या मिस्त्री। उसके बाद न कोई एक्सटेंशन और न कोई रिइम्प्लायमेन्ट।

तीसरा यह है कि हर जोन में फ्लाइंग स्क्वेड बनावें जो डायरेक्ट चेयरमैन के मातहत हो, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसके साथ हो जो साथ में जाकर बिजली की चोरी को पकड़े । अगर आप चाहें तो फिर शहर भी जोड़ दीजिये ।

चौथी बात यह है कि आपके यहां गाड़ियों का बहुत दुरुपयोग होता है । इसमें मेरा सुझाव है कि बोर्ड की गाड़ियों का एक रंग हो और उसके चारों तरफ खिड़की पर मोनोग्राम लगे हों, जिससे यह मालूम हो सके कि यह विद्युत् परिषद् की गाड़ी है । जो जीप्स है वह सर्किल के मातहत कर दें बजाय इसके कि वह एस० डी० ओज के अन्डर में है । इससे बड़ा दुरुपयोग होता है । हर सर्किल में एक स्टोर विद फुल पावर्स कर दीजिये । छोटे पावर हाउसेज पर एस० डी० ओ० इंचार्ज है । वहां एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहना चाहिए । अभी तो यह है कि ट्रिपिंग्स होती है । फेल्योर होता है । किसी की जिम्मेदारी नहीं। आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जिम्मेदारी रखें । इसी तरह से आ० ई० सी० को स्कीम को दुबारा बनावें । आपके जगह–जगह खम्बे लगे हैं लेकिन बिजली नहीं । आपने कहा कि ३१ तक हो जायगी । अगर हो जायगी तो आपके नारे लगवायेंगे । जो ट्रिपिंग्स होती है उनके लिए एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को जिम्मेदार बनायें । एक बड़ी परेशानी पड़ती है कि आपने आर्डर दे दिया माल बनाने के लिये, माल रेलवे स्टेशन पर पड़ा है, क्योंकि इधर पैसा नहीं है उसको छुड़ाने के लिये । इसलिये जब भी आर्डर पेश करें तो आर्डर के मुताबिक फन्ड्स भी भेज दें ताकि जो रेलवे को चार्जेज देने पड़ते हैं, वे न देने पड़े ।

दूसरा सुझाव है कि बोर्ड के कालेकारनामों पर जुडीशियल इन्क्वायरी बिठाइये । बोर्ड के जो माननीय सदस्य हैं, उनकी जुडीशियल पावर्स के साथ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कालेकारनामों को देखने के लिये जुडीशियल इन्क्वायरी बिठाइये ।

जो कर्मचारी सस्पेन्ड करें, उनमें तीन महीने से ज्यादा कोई भी कर्मचारी सस्पेन्ड नहीं रहना चाहिए । यह न हो कि २/३ साल तक वह मुअत्तल पड़ा रहे क्योंकि ऐसा होने पर फिर वह इनडिसिप्लिन फैलाता है ।

एलाउन्स फेसेलिटी आदि जैसे उनको देते हैं, वैसे स्टाफ को भी दें । स्कूटर एलाउन्स है, कार एलाउन्स है या हाउस एलाउन्स इत्यादि हैं, ये अटैच्ड स्टाफ को भी दें ।

जो प्रमोशन के मामले हैं, उनको चेयरमैन साहब के रहमोकरम पर मत छोड़िये । बोर्ड में एक पैनल बना द जो प्रमोशन आदि के मामले देखें ।

मान्यवर, इन बातों को सामने रखते हुये मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं । मैंने जो भी आंकड़े दिये हैं सही या गलत, वे उसी किताब से दिये हैं जो माननीय मन्त्री जी ने दिया है । इसी आशा के साथ कि आज बहस के बाद माननीय मन्त्री जी कुछ ऐसे फैसलों का ऐलान करेंगे जिससे कि प्रदेश में यह बात हो जाय कि आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ढंग से काम करने के लिये तयार हो गय है ।

*श्री रामअधार (जिला आजमगढ़) —

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय विद्युत् मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, आज प्रदेश में जनता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम अधार---]

पार्टी की सरकार है । मैं सोच रहा था कि आज विद्युत के बारे में कुछ नयी घोषणायें, परिवर्तन की बातें, आवेंगी, लेकिन जो कुछ माननीय मन्त्री जी ने विद्युत के बारे में कहा, उसमें वे ही पिटी-पिटाई बातों के सिवा और कुछ नहीं मिला । मुझे तो महसूस हो रहा था कि विद्युत परिषद को बनाने के लिये माननीय मन्त्री जी ढाल का काम कर रहे थे । मैं मानता हूं कि विद्युत परिषद का गठन १९५९ में किया और उसके बाद विद्युत परिषद आटोनामस बाडी बना दिया गया । हमारे प्रदेश का जितना भी बजट है, उसका ४० प्रतिशत इस पर खर्च है । ४/५ अरब एक व्यक्ति के हाथ में चला जाता है । जब सदन में बजट आता है, तो माननीय मन्त्री जी उसमें ढाल का काम करते हैं । सदन का अंकुश नहीं रहा है । आज उत्तर प्रदेश में जनता की सरकार है । मैं जानना चाहता हूं कि हरियाणा महाराष्ट्र और पंजाब के मकाबिले में आज उत्तर प्रदेश में बिजली क्यों महंगी है । इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी घोषणा करें कि बिजली क्यों महंगी है । मैं समझता हूं कि विद्युत परिषद में जितना भ्रष्टाचार है, अनियमिततायें हैं; धांधली है और इनकी वजह से जो घाटा है और यहां अफसरों के रखरखाव, सुविधा आदि में जितना रुपया बर्बाद होता है, वह विद्युत परिषद किसानों और उद्योग पतियों से वसूलना है । मेरा निवेदन है कि जो कुछ भी घाटा है, उसकी जांच करायी जाय । मैं समझता हूं कि विद्युत परिषद में एक बार जांच करा दी जाय कि आखिर वहां घाटा क्यों है, तो उचित होगा । लेकिन आज तक कभी भी मन्त्री महोदय ने नहीं कहा कि इसके लिय आयोग बैठायेंगे । मैं मांग करता हूं कि विद्युत परिषद घोटालों के बारे में आयोग बैठाया जाय । मेरा आरोप है कि विद्युत परिषद के अन्दर करोड़ों का घाटा है । इसके लिये मैंने प्रधान मन्त्री जी, मोरार जी देसाई और चौधरी चरण सिंह जी को पत्र दिय और माननीय मन्त्री को भी पत्र प्राप्त हो गया होगा लेकिन मुझे दुखः है कि उसकी जांच की घोषणा नहीं की गयी ।

बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि किसानों को चौबीस घन्टे पानी मिलेगा लेकिन २२-९-७७ से अचानक बिना जनता को कोई सूचना के बिजली बोर्ड के द्वारा बिजली की कटौती दस घन्टे हो गयी । मैंने यह प्रश्न सदन के अन्दर उठाया । माननीय मन्त्री जी ने कहा कि १८ घन्टे बिजली मिल रही है बकाया कटौती । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी बरसात खत्म नहीं हुई अभी से बिजली का यह हाल है तो मार्च और जून आते-आते प्रदेश की जनता का क्या होगा ? बिजली का मामला इतना गम्भीर है । जिस तरीके से अधिकारी कांग्रेस राज्य के अन्दर काम करते थे, मैंने कहा था मन्त्री जी से, विद्युत परिषद उनके हाथ में नहीं रहेगा तो माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि अब वह जमाना बदल गया । मैं देखूंगा विद्युत बोर्ड में भ्रष्टाचार कैसे पनपता है । इस प्रकार की बातें तो मैं कई बार यहां उठा चुका हूं । आज नई चीजें बताना चाहता हूं ।

■ मान्यवर, आपके माध्यम से म कहना चाहता हूं कि आपके यहां ठेकेदारी का नियम है । इतने दिन के अन्दर यदि ठेकेदार काम नहीं करता है तो उसकी सिक्योरिटी जब्त होगी, लेकिन विद्युत बोर्ड ने तीन कम्पनियों को जिनका सम्बन्ध संजय गांधी के एक दोस्त कमल लाल से है उन को आर्डर दिया ठेके के अन्दर । आदेश की एक कापी मेरे पास है । इसमें दिया गया है। आफिस आफ सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर, इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन सर्किल, डेटेड ६-२-७६ नं० ५६२, इ० टी० सी० १-४, कम्पनी का नाम एम०/एस० एस० ए० ई० इन्डिया लिमिटेड, फैक्टरी

टिरेश, कलकत्ता। दूसरी कम्पनी है ई० एम० सी० स्टील लिमिटेड, कलकत्ता १७। ये संजय गांधी के जो दोस्त हैं उनकी कम्पनी है। मान्यवर इस की आर्डर की कापी मेरे पास नहीं है। इसमें दिया गया है कि।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं और माननीय मन्त्री जी बातों में लगे हुये हैं। कम से कम इधर ध्यान तो दें।

श्री राम अधार—

मान्यवर, यह आर्डर १० दिसम्बर, १९७५ का है और उसमें लिखा गया है कि अगर ७५ में काम करोगे तो कन्ट्रेक्ट रेट के अलावा २५ प्रतिशत रुपया और मिलेगा, १९७६ में काम होगा तो ३५ प्रतिशत कन्ट्रेक्ट रेट से एक्स्ट्रा मिलेगा, १९७७ में काम होगा तो ४५ प्रतिशत अतिरिक्त रुपया कन्ट्रेक्ट रेट से मिलेगा और १९७८ में काम होगा तो ६० प्रतिशत अतिरिक्त धन कान्ट्रैक्ट रेट से मिलेगा। मान्यवर, आज तक किस कन्ट्रैक्ट ला के अन्दर यह नहीं है कि आप छूट दें कि इतने देर में काम करोगे तो इतना और अधिक रुपया मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि दो तीन काम इस कम्पनी को दे दिये गये हैं। लेकिन इसने काम शुरू नहीं किया। १९७८ में काम करेंगे तो कन्ट्रेक्ट रेट से ६० प्रतिशत अधिक रुपया मिलेगा। मान्यवर यही नहीं यह कमल लाल की जो फर्म है इसके बारे में मैं कई बार कह चुका हूं। एक नया मामला उठा रहा हूं। मान्यवर, १४ फरवरी १९७६ को कान्टेक्ट हुआ। इसमें लिखा है कि "फिफ्टी थाउजेन्ड इज प्रोवाइडेड इन दी कन्ट्रैक्ट हैज बीन टीटेड एज विदड्रान"। मान्यवर यह था कि ५० हजार रुपये इस कम्पनी ने विद्युत बोर्ड को देने थे लेकिन ए माफ कर दिये गये इस कम्पनी को पचास हजार रुपये अपने पाकेट में रख लीजिये, विद्युत परिषद को मदद दीजिए यह कान्ट्रेक्ट उनके साथ भी किया गया कि आप ७८ में काम करेंगे तो ६० परसेन्ट कांट्रेक्ट रेट से अधिक मिलेगा और इस कमला नाथ फर्म से यह तय हुआ कि १०० टन लोहा विद्युत परिषद अगर किसी कम्पनी को देती है तो ९५ फीसदी सामान लेती है लेकिन कमलानाथ फर्म को १० परसेन्ट छूट दी जायगी। जब शोर मचा तो विद्युत परिषद ने यह आदेश निकाला २४ जून, १९७७ को कि सब को ५ परसेन्ट की छूट दी जायगी।

इसके अलावा विद्युत परिषद की तरफ से सन १९७४ में एक केन्द्रीय स्टोर बनाया गया और उसके इंचार्ज माथुर साहब नियुक्त किये गये जो भ्रष्टाचार के जनक थे। यह स्टोर इसलिये बनाया गया कि उतने ही मूल्य का सामान रखा जायगा जितनी खपत होगी। जब यह स्टोर भरा गया तो उसमें ५४·५४ करोड़ का माल था। लेकिन उसमें सामान कम होने के बजाय ७५ के आखिर तक ६८·५३ करोड़ का माल जमा हो गया। कम्पट्रोलर एन्ड आडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट ७५-७६ में साफ लिखा है पृष्ठ १३०-१३१ पर कि इसकी सारी जिम्मेदारी विद्युत परिषद् तथा उसके चेयरमैन पर है। स्टोर की स्थापना इसलिये की गयी थी कि उसमें माल उतना ही भरा जायगा जितनी खपत होगी लेकिन माल खत्म भी नहीं हुआ बल्कि और खरीद लिया गया इसलिये कि कमीशन मिले। बजट तो पास हो होगा क्योंकि जनता पार्टी की सरकार को चलाना है लेकिन चुनाव के समय प्रदेश की जनता के सामने जो यह वायदा किया गया था कि विद्युत परिषद का पुनर्गठन होगा उस सम्बन्ध में सरकार शीघ्र कदम उठाये। मन्त्री महोदय विद्युत परिषद की ढाल न बनें और उसका पुनर्गठन करें और जांच करायें। ऐसा न होने

[श्री राम अवतार —]

पर सरकार की तथा माननीय मन्त्री की इमेज जनता के सामने खराब होने का अन्देशा है । विद्युत का मामला बड़ा नाजुक है । बिजली का सम्बन्ध छप्पर से ले कर महल तक का है । अगर सरकार ने सही कदम नहीं उठाया तो जनता पार्टी बदनाम हो कर रहेगी । मन्त्री जी से या किसी से हमारा मनमुटाव नहीं है लेकिन लगता है मन्त्री जी को बहुत दुख हो रहा है मेरी बातों से । मैं उनसे कहूंगा कि यह हंसी मजाक की बात नहीं है । अगर विद्युत परिषद का पुनर्गठन नहीं होगा तो फिर विद्युत परिषद रहेगा या विद्युत मन्त्री रहेंगे ।

श्री कमल किशन पाण्डेय (जिला पिथौरागढ़)—

मान्यवर, क्रांति एक दम से तो आती नहीं है, उसमें भी समय लगता है । माननीय मन्त्री जी ने एक शुरूआत की है और कुछ सदन को आश्वासन भी दिये हैं लेकिन उनको पूरा करने में कुछ समय तो लगेगा ही । फिर भी तीन महीने में जो कार्य हुआ है उससे उनकी नीयत साफ जाहिर होती है । एक सबसे महत्वपूर्ण काम माननीय विद्युत मन्त्री जी ने इस बार यह किया है कि हिंडालको को बिजली में कटौती को । कई बार लोग इंडस्ट्रीज वरसेज एग्रीकलचर का स्लोगन उठाते थे लेकिन किसी में यह हिम्मत नहीं थी कि बड़े उद्योगपति को या बड़े कारखाने को बिजली में कटौती करें ताकि किसानों को उसका फायदा पहुंचाया जा सके । पहली बार एक समाजवादी कदम उठाया गया है उसके लिये मैं मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं । साथ ही साथ श्रीमन् माननीय मन्त्री जी ने यह भी विश्वास दिलाया है कि जहां तक हो सकेगा गांवों को बिजली की रेगुलर सप्लाई की जायेगी और उसका पूर्ण प्रयास किया जायेगा । उसके लिए उन्होंने यह भी कहा है कि अगर टाउन में या शहरों में कटौती की जरूरत हुई तो वह निःसंकोच की जायेगी । यह एक महत्वपूर्ण घोषणा है । देश की उन्नति गांवों से ही हो सकती है जब तक 'बैक टू दि विलेजेज' का स्लोगन पूरा नहीं करेगी तब तक हमारा डेवलपमेन्ट नहीं हो सकता है । इसी लक्ष्य से मान्यवर, मन्त्री जी ने यह घोषणा की थी कि १० हार्स पावर से चलने वाले टयूबवैल्स एवं कृषि फार्मस आदि जो हैं या ५० हार्स पावर तक जो ग्रामीण उद्योग हैं जो कि कृषि से सम्बन्धित हैं उनको बिजली देंगे । इससे शासन की नीयत मालूम हो जाती है कि उनका लक्ष्य 'बैक टू दि विलेजेज' का पूरा होगा ।

श्रीमन्, कुछ आलोचनायें भी की गई विद्युत परिषद के बारे में अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उनको दूर किया जायगा । उसका गठन इस सरकार ने तो किया नहीं । उसको अगर ऐसी दृष्टि से गठित किया गया है कि उसे एक स्टेट बना दिया जाय उस पर कार्यवाही करनी होगी । जो कमियां हैं मैं समझता हूं कि मन्त्री जी दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे ।

श्रीमन्, बिजली देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है । पानी और बिजली दोनों जरूरी है देश की उन्नति के लिए । क्योंकि इनरजी के बिना किसी तरह की प्रोग्रेस सम्भव नहीं है । मैं मन्त्री जी का ध्यान विशेषरूप से पहाड़ों की ओर दिलाना चाहता हूं । वहां पर जंगल ही इनरजी के सोर्स हैं लेकिन कुछ प्राकृतिक दिक्कतों के जंगलों का फैलिंग कम करना आवश्यक हो गया है । जब यह सोर्स आफ इनरजी हट जाता है तो पहाड़ों में कोई दूसरी चीज नहीं रह जाती है जो कि सोर्स आफ इनरजी हो सके । तेल और गैस या कोयला जो हैं इनका ट्रांस्पोर्टेशन चार्जेज बहुत हो जाते हैं और वह हर गांव तक पहुंच भी नहीं सकते । यह जो रैसेजेज या दूसरे साधन हैं वह भी वहां नहीं है और न चल सकते हैं । जैसा

कि माननीय रियासत हुसैन जी ने पहाड़ों की नदियों के बारे में कहा उनमें बिजली बन सकती है । तो मैं मन्त्री जी से यह सिफारिश अवश्य करूंगा कि वह पहाड़ों की तरफ विशेष ध्यान दें क्योंकि वही एक सोर्स है जो गावों तक पहुंच सकता है जिसमें ट्रांसफारमेशन की रिकरिंग कास्ट नहीं आती है केवल मूल में लाईन लगाने में खर्च होगा उसके बाद रिकरिंग कोई खर्च नहीं होगा ।

इसके साथ ही इरिगेशन के लिए भी बिजली की सख्त जरूरत है । बिना लिफ्ट इरिगेशन के वहां पानी नहीं पहुंच सकता है और बिना पानी के खेती नहीं हो सकती है जिस खेती पर ८० प्रतिशत लोग निर्भर हैं । खेती की प्रगति के बिना उनका भला नहीं हो सकता है । मान्यवर, मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि उन्होंने जितनी घोषणायें की है उसमें यह भी घोषणा करें कि पहाड़ों के लिए विशेष ध्यान दिया जायगा । इन शब्दों के साथ मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं और माननीय रियासत हुसैन जी के कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं ।

श्री राज किशोर तिवारी (जिला जौनपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में से १०० रुपये की कमी की जाय, कमी करने का उद्देश्य...

श्री अधिष्ठाता--

प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है । आप अपना सीधे भाषण करें, प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ माना जायगा ।

श्री राज किशोर तिवारी--

मैं समझता हूं , वह हमें करना चाहिए यह प्रतीक रूप में है। खैर, मान्यवर, मुझे आपसे निवेदन करना है कि जहां तक बिजली की सप्लाई का सम्बन्ध है, हम लोग उससे बहुत दुखी हैं । हमारे जिले के मड़ियाहूं तहसील में आए दिन एक-एक सप्ताह तक बिजली बन्द रहती है और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि दिन और रात अंधेरे में ही लोगों को बितना पड़ता है । हमारे निर्वाचन क्षेत्र में मौजा भुवनीगंज, एक छोटा सा बाजार है, यहां के लोगों ने अपने मकानों में बिजली कनेक्शन के लिए सन् ७२ से आवेदन दे रखा है, लेकिन दुख है कि अभी तक उनको कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ।

इसी तरह टाउन एरिया, मड़ियाहूं की हरिजन बस्ती की भी दशा है, जबकि उनको प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन वहां पर बावजूद बड़े प्रयास और दौड़ धूप के बाद भी कनेक्शन नहीं दिए गये हैं । जबकि बार बार प्रयास करके उसे प्राथमिकता सूची में लाया गया है। मड़ियाहूं कस्बे के खैरुद्दीनगंज, बेलवा, भरेलिया टोला मोहल्ले आदि में भी हरिजन बस्तियां हैं, लेकिन उनको कनेक्शन नहीं दिया गया है ।

इसी तरह से अन्य बहुत से गांव हैं, जहां पंपिंगसेटों के कनेक्शन के लिए लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन विद्युत विभाग वाले लोगों को बिजली कनेक्शन न दे कर तरह तरह से परेशान करते हैं, दौड़ाते हैं । यह उन्हीं को और कनेक्शन देते हैं, जो उनको द्रव्य देते हैं । जौनपुर शहर में मु०उमरपुर हरिब्यानपुर और वार्ड बोलनगंज

[श्री राज किशोर त्रिवेदी--]

के लोगों ने दर्जनों की संख्या में आवेदन पत्र दे रखे हैं, किन्तु उन्हें भी बिजली नहीं दी गयी है । तब मुझे यही शिकायत करनी थी, विद्युत मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि जहां बिजली के कनेक्शन नहीं मिले हैं, शीघ्रता से दिलाने की कृपा करें ।

श्री कृष्णा राय--

मान्यवर, आज हमारा प्रदेश खतरे से गुजरने जा रहा है, क्योंकि पिछले बार यह जो बोर्ड के चेयरमैन साहब थे, उन्होंने गन्ने और गेहूं की फसल को सड़ा स मवा दिया और इस साल ऐसे समय पर हड़ताल होने जा रही है जिससे बवाई गेहूं की होगी ही नहीं । कारण यह है कि कई यूनियनों को मिला कर दो यूनियन बन गयी और जो चेयरमैन और मन्त्री जी के पालतू लोग थे, उनसे मिलकर बोर्ड के चेयरमैन और मन्त्री जी ने बात कर ली और घोषणा किया कि कल पैसा बढ़ा दिया । लेकिन पैसा उनका नहीं बढ़ा है, जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं और गावों में जाते हैं । उनको पैसा कम दिया गया है, लेकिन जो बैठे रहते हैं ठंडे घर में उनको पैसा ज्यादा दिया गया है । तो आपसे यह कहना है कि हमारे मन्त्री जी की खेल-कूद में रुचि ज्यादा है, इनको छोड़ दिया जाय और जो माननीय मुख्य मन्त्री हैं, वह विद्युत ले लें, तो प्रदेश का भला हो सकता है । और किसानों को खेती करानी होती तो इनसे शीघ्र विद्युत ले लेना चाहिए ।

दूसरी बात यह कहनी है कि जब भी मैं देवरिया जाता हूं, तो यह समझता हूं कि शिक्षा मंत्री यही हैं, कालीचरण नहीं हैं क्योंकि इनके कारण से पूरे देवरिया में सभी विद्यालयों में झगड़ा, अनशन, हत्याग्रह शुरू हो गया है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय कृष्णा राय, कृपया आप विद्युत पर बोलें, शिक्षा की बात इसमें नहीं है ।

श्री कृष्ण राय--

बिजली पर बोल रहा हूं । यह हड़ताल हो जायेगी तो गेहूं की बोवाई नहीं होगी । यह प्रदेश नष्ट हो जायगा, अगर हड़ताल से बचाया नहीं । यही तो कह रहा हूं । माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन कर रहा हूं कि बिजली कर्मचारियों के मामले में हस्तक्षेप करें, अपने हाथ में लें, और मुलझाएं, नहीं तो बहुत हालत खराब हो जायगी । यही तो कह रहा हूं और क्या कह रहा हूं ?

दूसरी बात यह कहनी है कि तीन महीने से जब से यह मंत्री हुए हैं हमारे क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल में इमरजेंसी में बिजली लगाई गई थी, जहां बच्चों की पढ़ाई होती है, मास्टर और बच्चे हैं, लेकिन उनको बिजली नहीं और पड़ोस में तेल की घानी लगी हुई है और वहीं पर हमारे बच्चे बगल में शिक्षा पढ़ते हैं और परेशान हैं ।

तीसरी बात आपसे यह कहनी है, जहां तक बालिगा का सवाल है, यह मंत्री जी परिषद् में चेयरमैन के खिलाफ थे, यह चेयरमैन बहुत खराब है । यहां कितने ही आदमी बैठे दिखाई दे रहे हैं, पहले बोल रहे हैं कि खराब है । पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा हो गई है, आखिर इनसे दोस्ती क्यों ? दोस्ती का

कारण क्या है ? यह पूछना चाहिए आपको, विद्युत मंत्री से पूछना चाहिए। इमरजेंसी में जब उधर बैठे रहे, तब बिजली गायब और अब कहां से आ गई ? इन्होंने घोषणा कर दी २४ घंटे बिजली देंगे। इन पापियों से क्यों नहीं पूछा गया ? क्यों नहीं निकाल बाहर करते हैं ? हमारा यह कहना है कि तम्बू का कपड़ा हट गया, सारी चोप और खम्भे वही, सड़ियल पड़े हुए हैं। जब तक सड़ियल, घने हुए, सड़े हुए, भ्रष्ट अधिकारी नहीं हटाए जायेंगे तब तक हमारे प्रदेश की कोई उन्नति नहीं होगी, चाहे कोई विभाग हो, खास कर बिजली विभाग तो हमारा जो कहना है, यही कहना है। हमारे रियासत भाई हमसे ज्यादा बोलते हैं, वह तो लाल टोपी पहने हैं। इन्हें पिछड़े हुए, कमजोर वर्ग का नाम लेना चाहिए। लेकिन हरिजन और मुसलमान का नाम लेकर इन्होंने जहर फैलाया है। हम तो यही कहेंगे, बिजली का प्रस्ताव जो है, उसका मैं समर्थन कर रहा हूं। वह तो ठीक है। लेकिन हमारा विश्वास बिजली मंत्री पर से हट गया है। इनसे बिजली का काम नहीं चलेगा। हमारा यही कहना है कि जल्दी बालिगा को हटाएं। अगर बालिगा को नहीं हटाते हैं तो समझ लीजिए कि आप बदनाम हो जायेंगे। इसलिए बालिगा को हटाएं और प्रदेश को बचाएं। यही हमको कहना है और जो देवरिया में काम करते हैं शिक्षा मंत्री का उसको छोड़ दें।

श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

माननीय, प्रदेश की तरक्की के लिए ऊर्जा की सबसे बड़ी आवश्यकता है, इसमें कोई सन्देह नहीं। जब ऊर्जा के बारे में हम विचार करते हैं तो सबसे अच्छा साधन हमारे पास बिजली है। बिजली के मामले में किसी व्यक्ति को या व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं है। लेकिन यह निश्चित बात है कि हमारे प्रदेश की तरक्की दूसरे प्रदेशों और देशों की तरह बिजली के साथ जुड़ी हुई है।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बिजली के मामले में २०-२५ सालों से उत्तर प्रदेश में उतनी तरक्की नहीं की जा सकी है, जिस प्रकार से हमारे साधन इस्तेमाल हुए। श्रीमन, साधन उपलब्ध न करा पाना, बिजली की पूरी क्षमता के मुताबिक काम न ले पाना और जितनी बिजली बनती है उसका भी सही वितरण न कर पाना यह सारी की सारी समस्याएं विद्युत परिषद से जुड़ी हुई है। इसमें दो राय नहीं है कि अगर आप पिछले दिनों के आंकड़े देखो तो पता चलेगा कि हम सिंचाई में जितनी बिजली खर्च नहीं कर पाते, उससे अधिक बिजली छीजन में चली जाती है, उसकी चोरी होती है। कैसे होती है ? यह टेक्निकल सवाल है। इसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन विधान सभा में हमें यह बात देखनी होगी कि यह कितनी शर्मनाक बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश में बारह हजार तीन सौ चौंतीस किलो वाट घंटा बिजली सिंचाई पर खर्च की जाती है और १६,९३३ किलो-वाट घंटा छीजन में नष्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि दूसरी जगहों पर छीजन में बिजली नष्ट नहीं होती। लेकिन हम अपने यहां की तुलना और देशों से नहीं कर सकते, फिर भी देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबले जैसे महाराष्ट्र में या अन्य सूबों में बिजली की छीजन की औसत दस फीसदी है और उत्तर प्रदेश में इसका औसत तैंतीस फीसदी है। यह क्यों होता है कैसे होता है ? इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है ? इतनी गाढ़ी कमाई के पैसे से बिजली के यंत्र खरीदे जाते हैं फिर भी हमारी इतनी बिजली नष्ट हो जाती है इस बात पर हमें गौर करना होगा और देखना होगा कि दोष कहां है और दोषी कौन है उस दोष को जनता पार्टी की सरकार को खोज कर दूर करने का प्रयास करना होगा।

[श्री रमाशंकर कौशिक---]

पिछले ३० सालों से बिजली विभाग में, विद्युत् परिषद् में, जब से विद्युत् परिषद् बनी तब से विद्युत् परिषद् में जिस ढंग से बिजली के मामले को लेकर जो विवाद की स्थिति चल रही है उससे हमारे प्रदेश की तरक्की होगी या नहीं होगी, इसमें मुझ सन्देह है। मैं तो यह कहता हूं कि बिजली के मामले से हमारी तरक्की जुड़ी हुई है इससे हमारी रोजी-रोटी जुड़ी हुई है और यह सवाल जुड़ा हुआ है कि हम कैसे दूसरों के समक्ष बैठने के योग्य हो सकेंगे ?

यह इतना बड़ा मामला है इस मामले पर हमें पुनः विचार करना होगा कि बिजली की हिफाजत और समुचित व्यवस्था कैसे करें जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे और दोषी व्यक्ति को दण्ड नहीं देंगे तब तक बिजली की वर्तमान स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। एक अजीब तरीका पिछले कई सालों से चला आ रहा है और वह यह है कि जब बिजली की कमी होती थी ५०, ६० या ७० फीसदी की तो पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार कहती थी कि बरसात में पानी कम बरसने के कारण ऐसा हुआ है।

हमारे प्रदेश में कुल बिजली जो बनती है उसमें से यानी ६२ हजार ३७ लाख किलोवाट घंटा जो बिजली हमारे यहां पर बनती है उसमें से १५ हजार ८९९ लाख किलोवाट घंटा ऐसी बिजली है जो पानी से पैदा होती है और बाकी या तो ताप से या गैस से या तेल से पैदा होती है। पानी की बिजली लगभग एक चौथाई अर्थात् २५ प्रतिशत ही है और जब पानी का संकट होता है तब कह दिया जाता है कि ६०-७० प्रतिशत कटौती बरसात में पानी न होने के कारण बिजली के उत्पादन में हुई है। मुझे यह जानकारी मिली है कि विद्युत् विभाग में गत २०-२५ सालों से ऐसी मशीनों का इस्तेमाल हुआ है जो मशीनें हिन्दुस्तान में काम करने लायक नहीं थी या इन मशीनों के लायक यहां पर कोयला पैदा नहीं होता है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि पिछले शासन ने जैसा कि मेरी जानकारी है रूस के सहयोग से या रूस की मशीनों के इस्तेमाल से बिजली का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की है। इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि अगर हमारे यहां पर वैसा कोयला ही पैदा नहीं होता जो उन मशीनों को पूरी क्षमता में काम करने में विवश करे तो इन मशीनों को लगाने से क्या फायदा ? मैं माननीय विद्युत् मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इसकी जांच करायें और बिजली से जो हमारे देश और प्रदेश की तरक्की जुड़ी हुई है उसमें हम राजनीति का प्रवेश न होने दें और दूसरे देशों से भी जहां से हम मशीनें लें, वे हमारी परिस्थिति के ही मुताबिक हों, उन्हीं को हमें लेना चाहिए और इसमें देर नहीं करनी चाहिए।

एक सुझाव मेरा और है। हमारे प्रदेश में बिजली का कन्जम्पशन प्रति-व्यक्ति ६१ यूनिट है। नागालैंड और त्रिपुरा जैसे छोटे प्रदेशों के मुकाबले कुछ ज्यादा है। अगर इन सूबों को निकाल दिया जाय तो हमारा जो कन्जम्पशन है वह सब सूबों से कम है। हमारा ६१ प्रतिशत, महाराष्ट्र में १७७, हरियाणा में १२५, पंजाब में १३२ यूनिट कन्जम्पशन है प्रति व्यक्ति। तो इस हिसाब से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की तरक्की नहीं हो पायेगी। जो इस बात को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, इसलिए यहां पर तरक्की नहीं हो रही है यह बात सही नहीं है। हमारे यहां पर जो ईन्धन की व्यवस्था है, जो हमारी बुनियादी चीज है, जिससे हम तरक्की कर सकते हैं, जैसे बिजली है उसमें अव्यवस्था हो गई है। वे लोग असमर्थ हैं नये संसाधनों को खोजने में और उनको ठीक से इस्तेमाल करने में, इन मशीनों को पूरी क्षमता से चलाने में।

पैसे की कमी के कारण भी बिजली की व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी है, कमी भी है। मांग तो बढ़ती है लेकिन इस मामले में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं जैसे हम एक किलो चीनी खाने वाले को २ रुपए में देते हैं और एक किलो से ज्यादा खाने वाले को ४ १/२ रुपए में चीनी देते हैं उसी हिसाब से विद्युत् मंत्री जी से मेरा नम्र सुझाव है कि वह बिजली के किराये म, पैसों में इसी व्यवस्था के आधार पर सोचें। यानी जो जरूरत के इस्तेमाल के लिए बिजली दी जाय उसका पैसा कम हो और जो विलासिता के लिए दी जाय, एयर कंडीशन के लिए दी जाय, उसका पैसा ज्यादा हो। उसी ढंग से जो उद्योग उपयोगी चीज बनाते हैं उनके पैसे में कमी हो और जो विलासिता की चीजें बनाते हैं उनसे अधिक लिया जाय। जो उद्योग हमारे देश की आम जनता के इस्तेमाल की चीजें बनाते हैं, जैसे फर्टिलाइजर हैं और छोटे-मोटे काम हैं उनके वास्ते कम रेट रखा जाय..।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री रमा शंकर कौशिक--

उससे बड़े-बड़े उद्योगपतियों पर अंकुश लगेगा और उनसे पैसे ज्यादा वसूल होंगे।

(श्री हरिचरण यादव का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य--

मेरा तीसरा नम्बर है..

श्री अधिष्ठाता--

सबको समय मिलेगा,..आगे पीछे की कोई बात नहीं है।

*श्री हरिचरण यादव (जिला सुलतानपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो लेखानुदान प्रस्तुत किया गया है, मंत्री जी द्वारा मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं माननीय विद्युत् मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जो गत वर्ष में कांग्रेसी हुकूमत थी उसके जाने के बाद खेती पर बिजली अधिक देने के लिए जो उन्होंने बड़े उद्योगपति हिंडालको की बिजली काट दी, वास्तव में उसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। जहां पर उत्तर प्रदेश में प्राथमिक साधन इतने आ चुके हैं कि अगर विद्युत् परिषद् अपनी क्षमता का प्रयोग करती, अगर उस पर विशेष ध्यान दिया जाता तो कोई वजह नहीं है कि खेतों की सिंचाई के लिए विद्युत् की कमी पड़े और हमलोग आकाश की तरफ देखें और इस वैज्ञानिक युग में भी खेतों की सिंचाई के लिए विद्युत् उपलब्ध न हो सके।

मान्यवर, बहुत खम्भे लगा दिए गए गांव में और मुख्य रूप से जब संजय गांधी अमेठी लोक सभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने लगे तो बड़े खम्भे लगाए गए और आश्वासन दिया गया कि हरिजन आबादियों में भी बिजली पहुंचा दी जायगी। तो उस समय वहां हरिजन बस्तियों में खम्भे लग तो गए लेकिन बिजली नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिचरण यादव—

पहुंची। अब विद्युत् मंत्री जी से निवेदन है कि वहां बिजली पहुंचा दें तो यह ज्यादा अच्छा होगा। वह तो हारने वाले का वायदा था, जो पूरा न हुआ लेकिन जीतने वाले की तरफ से वायदा पूरा कर दीजिए।

मान्यवर, सुल्तानपुर म ४०० के० वी० का एक पावर हाउस है और उसके इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर ने मिल करके कुछ नियुक्तियां की है। उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वह नोट कर लें कि उन धांधलों की जांच करने के लिए ३-३ प्रार्थना-पत्र दिए। बड़ा अफसोस है कि उनकी कोई जांच नहीं की गई और वह इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर ने एक-एक हजार रुपया तक लेकर नियुक्तियां की है। खुला आरोप है कि खुले रूप से रुपया लेकर नियुक्तियां की जा रही हैं और जब विद्युत्-गृह बन रहा था तो किसानों की सारी जमीनें ले ली गयीं। एक बिस्वा जमीन भी किसी-किसी के पास नहीं रह गई है। शासन की नीति और कानून के प्रावधान के मुताबिक पहले उन लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए नौकरी में, जिनकी जमीन छीन ली गई हैं, लेकिन इसका खुलकर उल्लंघन किया गया। प्रार्थना-पत्र दिए गए लेकिन कोई जांच नहीं कराई गई। मुख्य मंत्री जी को भी एक पत्र दिया गया और उन्होंने भी परिषद् के चेयरमैन को लिखा कि इसकी जांच कराई जायगी और दो-दो महीने बीत गए। माननीय सूचना राज्य मंत्री गए थे उसी समय यह सवाल उठाया गया। इंजीनियर ने कहा कि इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। अगर इस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया तो बहुत बड़ी निराशा उनमें उत्पन्न होगी जिनकी सारी जमीन छीन ली गई है।

यहीं पर मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि वहां पर ऐसे भी हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनकी जमीनें भी ले ली गई हैं और उन्होंने प्रार्थना-पत्र भी दे रखे हैं लेकिन उनको नौकरी में नहीं लिया गया और न उनका कोटा ही पूरा किया गया। वहां के विधायक लोगों ने लिख कर भी दिया लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस तरह से अगर उदासीनता बरती जायगी तो अधिकारियों का मन और बढ़ जायगा। आज वह इंजीनियर खुल कर कहता है कि हम मनमाने ढंग से काम करेंगे। सेवायोजन का यह नियम है कि इम्प्लायमेंट आफिस से नाम मांगे जायेंगे। लेकिन कोई नाम नहीं मांगा गया और मनमाने ढंग से नियुक्तियां की जाती हैं।

इसके साथ ही जहां पर बिजली के ट्यूबवेल्स लगाए गए थे और बाद में इंजन खराब हो गए वहां भी रुपया वसूल किया जा रहा है और जब से वसूल होना चाहिए तब से वसूल न करके मनमाने ढंग से सूची बना देते हैं और रुपया वसूल करते हैं। तो इस प्रकार से जो भ्रष्टाचार फैल रहा है मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसकी जरूर जांच करायें।

*श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं बिजली सम्बन्धी अनुदान में कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्यों ने यह बात बिल्कुल सही कही है कि आज की जिन्दगी के लिए बिजली उतनी ही जरूरी है जितनी जिन्दा रहने के लिए हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता है। महान् क्रान्तिकारी लेनिन ने अक्तूबर क्रान्ति के पश्चात् कहा था कि विद्युतीकरण समाजवाद है। आज हम कह सकते हैं कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस देश की प्रगति के लिय, इसके विकास के लिए विद्युत के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते हैं, माननीय मंत्री जी का यह बजट अनुदान बहुत महत्वपूर्ण है और हमें खुशी होती है कि हमलोग इसमें बढ़ोत्तरी करने में उनका मदद करते, लेकिन जो वर्तमान सरकार की इस सम्बन्ध में नीति है उससे असंतुष्ट होकर ये बातें हमको कहनी पड़ रही हैं। बिजली के उत्पादन के लिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि जो लोग इसके उत्पादन में लगे हों उनकी शिकायतों को दूर किया जाय, उनको संतुष्ट रखा जाय, उनको प्रोत्साहन देकर जिन्दगी की इस बहुत जरूरी चीज का उत्पादन करने में मदद की जाय। लेकिन इस समय प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के बीच में जितना जनअसंतोष है उसको देखते हुए प्रदेश की जनता आशंकित है कि जितनी बिजली आज मिल रही है वह भी भविष्य में शायद न मिले।

इसी सदन के सामने माननीय मंत्री जी ने पिछली जुलाई में जब बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की वापसी के सम्बन्ध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये हमलोगों ने मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था तो मंत्री जी ने बिजली कर्मचारियों से बात करके इस बात की घोषणा की थी कि जो हड़ताल होने वाली थी वह टल गई। बहुत राहत हुई थी प्रदेश की जनता को और इस सदन के माननीय सदस्यों को कि अब विद्युत के उत्पादन में गतिरोध नहीं पैदा होगा। लेकिन अभी हाल ही में विद्युत कर्मचारियों ने बहुत बड़े-बड़े मुजाहिरे इस प्रदेश की राजधानी में किए। और उन्होंने शासन से अनुरोध किया है कि जो मौजूदा मौआहिदे, वादे सरकार ने उनसे किये थे उनको पूरा किया जाय और हिन्द मजदूर संघ के लोग जो हड़ताल के विरुद्ध थे, उन्होंने भी माननीय, इन प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, उन्होंने प्रदर्शन किया और वह भी मौजूदा सरकार की नीति से असंतुष्ट हैं और वह भी चाहते हैं कि इस विवाद को समाप्त किया जाय।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त समिति ने ५ सितम्बर को एक खुला पत्र शासन को लिखा, जिसमें मांग किया था, ईद के पूर्व बोनस (एक्सग्रेशिया) वर्ष १९७६-७७ की अदायगी की व्यवस्था कीजिए, वेतन विवाद के निपटारे में जान-बूझकर पैदा किये गये गतिरोध को समाप्त कीजिए, अपरेन्टिसों की ट्रेनिंग अवधि एक माह बढ़ाने के निर्णय का आदेश जारी कीजिए और इन्हें स्थायी काम में लगाने हेतु व्यवस्था के लिये इस समय का सदुपयोग कीजिए १९-७-७७ को हुए समझौते की उपेक्षा और उल्लघन को समाप्त करके समझौते का आदर कीजिये और उसका पालन कीजिए। लेकिन एक महीने से ऊपर होने के बावजूद भी वेतन समिति की बैठक नहीं बुलाई गयी और इन कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश की करोड़ों जनता की तरफ से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि किसी प्रकार की प्रतिष्ठा के प्रश्न को इस सम्बन्ध में न बना कर उनकी समस्याओं को सुनें। एक पत्र विधायकों को कर्मचारी संघ के लोगों ने भेजा है और यह जानकर माननीय, बड़ा तकलीफ हुई कि उन्होंने कोशिश की माननीय मन्त्री जी से और मुख्य मन्त्री जी से मिलने की, लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उनसे मिलना वाजिब नहीं समझा। एक तरफ तो बहुत खुशी है कि आप अपने को जनता सरकार कहते हैं, लोक तंत्र का दावा करते हैं और हम चाहते हैं कि आप उन परम्पराओं की रक्षा करें, आपसे कोई मिलना चाहता है, उनसे अगर मिलेंगे नहीं, समस्याओं को समझेंगे नहीं तो कैसे समस्याओं का समाधान करेंगे, यह बात समझ में नहीं आती। अगर बिजली का उत्पादन बन्द

[श्री देव कुमार--]

हो गया, तो इस प्रदेश की जनता के ऊपर क्या मुसीबत पड़ेगी, इसकी कल्पना आप करें । एक घंटा अस्पतालों में बिजली बन्द हो जाती है तो क्या परेशानी हो जाती है, जिनके आपरेशन होते है, जो बीमार होते हैं, वे काम ठप हो जाते हैं । आप कृपा करके इस समस्या का समाधान करने के लिए उनसे बात करें । अगर कुछ लोगों के रेगुलर होने का सवाल है, मुझे अवगत कराया गया है, लेजर असिस्टेंट हैं हमारे प्रदेश में १२-१३ लोग, सैकड़ों की तादाद में रेगुलर कर दिये गये हैं, केवल १२-१३ को अभी तक रेगुलर नहीं किया गया है, जो भी समस्यायें हैं इस विभाग को अगर इस देश को, प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो बिजली के उत्पादन को बढ़ायें, बिजली के उत्पादन में लगे हुए लोगों को संतुष्ट कीजिए ।

एक बात मैं कहना चाहता हू माननीय मन्त्री जी से, कई स्टेटमेंट्स दिये, कि आप बिजली के उत्पादन को व्यक्तिगत हाथों में सौंपना चाहते हैं और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के बारे में जो आपके स्टेटमेंट्स ट्रान्सफारमर्स जनरेटर्स के बनाने के बारे में, उससे विदेशों में जो हमारे ट्रान्सफारमर्स के जनरेटर्स की मांग हो रही थी, जहां तक मेरी जानकारी है, मध्य एशिया, यूरोप देश के आर्डर्स आ रहे थे कि आपके यहां से ट्रान्सफारमर्स जायेंगे, लेकिन आपने कहा कि हम विदेश से ट्रान्सफारमर्स मंगायेंगे, क्योंकि हमारे जो ट्रान्सफारमर्स हैं, उनसे काम नहीं चल रहा है । इससे हमारे हैवी इलेक्ट्रिकल्स की साख गिरी है । ऐसा करने से देश का अहित होगा ।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया अपने भाषण को समाप्त करें ।

श्री देव कुमार--

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं । मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस मुल्क के हित में, इस देश की तरक्की के हित में आप इस व्यवस्था को व्यक्तिगत हाथों में कतई देने की बात न सोचें और जो उत्पादन मशीनरी का कारखानों में हो रहा है उसके बारे में आप ऐसी राय देंगे तो देश का अहित होगा। मैं समझता हूं कि नीतियों में परिवर्तन करके आप नीतियों को जनता के बीच में ले जायेंगे । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अशफाक (जिला गोण्डा)--

मोहतरिम वजीर, रोशनी और रोशनी के तसव्वुर से जिंदगी के अंधेरे जहनों में उजाला, बिजली के जरिये से फैलता है । इस उजाले को प्रदेश के कोने-कोने में फैलाने के लिये वजीर साहब ने जो बजट पेश किया है । मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । बिजली के तसव्वुर से रोशनियों के शहर जेहनों में उभरने लगती हैं । लेकिन अगर इसके अमल को देखा जाय तो मोहतरिम ३० सालों से यह सारा का सारा प्रदेश बिजली की सख्त कमी को महसूस करता रहा है । बिजली के बजट पर, उस बिजली जिसका ताल्लुक रोशनी से है, लेकिन मैंने देखा कि इसमें, पेश्तर हजरात, जिनके जेहनों में अंधेरा है, वह एकतरफा कार्यवाही पर लगे हुये थे । बड़े दुख की बात है कि प्रदेश की तरक्की के लिये ऐसे लोग क्या सोचेंगे और क्या कर सकते हैं और कैसे इस सरकार को सहयोग दे सकते हैं ।

रही बात अपने जनपद की, गोंडा की तो मुझे कहने में जरा हिचक नहीं है कि ३० सालों के अंदर सरकार तो क्या कभी-कभी खुदा भी मेहरबान नहीं होता है ।

पूरे का पूरा जिला जिसमें खासतौर से बलरामपुर, जिसमें एक स्टीम पावर हाउस था उसको पिछली सरकार ने अपने हाथ में लेकर उसकी सारी व्यवस्था को चौपट कर दिया । वह पावर हाउस जो सारे जिले को सप्लाई देता था अब बिल्कुल अपंग होकर रह गया है । इसी में तरक्की देने के लिये पिछली सरकार ने एक प्लान बनाकर १३२ के० वी० की योजना बलरामपुर में शुरू की । मोहतरिम उस योजना को, उस प्लान को कागज पर बनाया गया। उसकी तामीर शुरू की गयी मगर उसको कनेक्शन, उसकी सप्लाई कहां से दी जाय यह खुद उनको पता नहीं था । जब इस बारे में मालूम किया गया तो यह कहा गया कि इसकी प्राथमिकता को कम कर दिया गया है । मैं कहना चाहूंगा कि जब प्राथमिकता कम कर दी गयी तो उसमें सिविल वर्क्स पर साढ़े सात लाख रुपये और इलेक्ट्रिकल वर्क्स पर साढ़े सात लाख रुपये यानी १५ लाख रुपये क्यों खर्च किये गय ? जब प्लान नहीं था तो पिछली सरकार ने १५ लाख रुपये का नुक्सान क्यों किया । मैं जनता पार्टी के मौजूदा वजीर से कहना चाहूंगा कि ऐसे दोषी अधिकारियों को फौरन सख्त से सख्त सजा दिया जाय ।

महोदय, गोण्डा जनपद की कुछ समस्याओं की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । खासकर कर्नैलगंज इलाके के ५० गांव ऐसे हैं जो अंधेरे में हैं मुजहना, बादुल्ला नगर, उतरौला आदि बिजली की कमी से तरस रहे हैं बिजली की कमी से सिंचाई नहीं हो पायी है और सिंचाई न होने के कारण पूरे जनपद में सूखे की स्थिति है । मान्यवर, मेरा सुझाव है कि बलरामपुर में उस स्टीम पावर की क्षमता बढ़ाई जाय और जो १३२ के० वी० का स्टेशन तामीर किया गया है उसको जल्दी से जल्दी चालू कराया जाय । ताकि गोन्डा में जिन लोगों ने आटा चक्की के लिये एप्लाई कर रखा है उनको जल्दी से जल्दी कनेक्शन दिये जा सकें । मोहतरिम, अपने शहर में बेश्तर सड़कें और गलियां बिना रोशनी के रहती हैं । मालूम करने पर पता चला है कि कनेक्शन के लिये लोगों ने एप्लाई कर रखा है लेकिन कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं । चूंकि कुछ इस्टीमेट लोगों के बनाये नहीं जाते हैं और जिनके बना दिये जाते हैं वह बड़ी रकमों के बना दिये जाते हैं और यदि बनाने वालों की जेबें गरम कर दी जाती हैं तो इस्टीमेट कम कर दिये जाते हैं । इस बार जब मैं घर गया तो मालूम हुआ कि पावर हाउस के लोगों ने कहा है कि इस बार दो महीने के बिल तैयार नहीं हुये हैं । इसीलिये ४ महीने का बिल इकट्ठा दिया जायेगा । इसलिये मन्त्री जी से गुजारिश है कि ऐसी स्थिति से बलरामपुर शहर को बचाया जाय ।

मोहतरिम, १५ लाख के खर्चे को जिसके सम्बन्ध में मैंने अभी इशारा किया था, खासकर, कहा जाय तो बोर्ड के लोग दोषी इसमें पाये जायेंगे । इस सम्बन्ध में मन्त्री जी से अनुरोध है कि तुरन्त कार्यवाही करें । बलरामपुर में बहुत से बिजली मजदूर ५-६ साल से अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं, उनको स्थायी करन के लिये प्राथमिकता दी जाय । इन सुझावों के साथ-साथ में इन बिजली मजदूरों के बारे में एक सुझाव और देना चाहता हूं कि वह अपनी मांगों के लिये एक हंगामा खड़ा कर देते हैं तो उनसे मैं कहूंगा कि वह ऐसा न करें और यहां बैठे हुये माननीय सदस्यों से कहूंगा कि ऐसी बातों को छोड़ दें जिससे जेहन में उजाला फैलने के बजाय कालिख फैलती हो । इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

बाबू राम शुक्ल, क्या वह नहीं हैं ?

[श्री अधिष्ठाता--]

(उनके खड़े न होने पर) श्री दीना नाथ सेवक।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है कि मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न परसों उठाया था कि माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब किसी माननीय सदस्य को बुलायें तो नियम है कि जब माननीय सदस्य खड़े हों तो उनकी ओर माननीय अधिष्ठाता महोदय, देखेंगे और फिर अपने विवेक से बुलायेंगे। कई बार ऐसा होता है कि एक सूची होती है तो उससे बुलाते रहते हैं और अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ३-४ दिन हुये एक माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे और उनको अधिष्ठाता महोदय ने बुला दिया। नतीजा हुआ कि बिना विवेक के सूची के अनुसार बुलाया गया था। उसी तरह अभी आपने ऐसे सदस्य को पुकारा जो सदन में उपस्थित नहीं हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि अपने विवेक का इस्तेमाल करें और किसी सूची का इस्तेमाल न करें ताकि जो नियम हैं, उनके अनुसार काम चले।

श्री अधिष्ठाता--

सत्ता पक्ष और विपक्ष से सूची आती है। जिन माननीय सदस्यों को बोलने की इच्छा होती है उनका नाम उसमें रहता है। उसी के अनुसार नाम पुकारा था। अब वह उपस्थित नहीं हैं। तो इसमें विवेक की कोई बात नहीं है।

श्री दीना नाथ सेवक (जिला रायबरेली)--

आज जो विद्युत् का बजट है बड़ा महत्वपूर्ण बजट है। यह केवल विद्युत् मन्त्री से ही सम्बन्धित नहीं है बल्कि यह कृषि से सम्बन्धित है, उद्योगों से सम्बन्धित है। उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान प्रदेश के लिए इसका और भी अधिक महत्व हो जाता है। लेकिन जब बिजली की कमी होती है तो उस कटौती का सबसे अधिक प्रतिशत कृषि म ही होता है। मन्त्री जी जो घोषणाएं कर रहे हैं उसमें कितना सफल हो पायेंगे इसमें शंका है। मन्त्री जी की स्थिति इस मामले में बड़ी दयनीय इसलिए हो जाती है कि इन घोषणाओं का पालन बोर्ड को करना है और यह उसके लिए जरूरी नहीं कि बोर्ड मन्त्री जी के कथनों का पालन ही करे। मान्यवर, यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है क्योंकि इस सदन में जो भी माननीय सदस्य बोलने खड़े हो रहे ह उनका इशारा बोर्ड की ही तरफ होता है। समझ में नहीं आता कि वही पुरानी कहावत यहां क्यों चरितार्थ की जा रही है कि लंका में राज्य चाहे किसी का हो लेकिन रानी मन्दोदरी ही रहेगी। अब मन्त्री जी की घोषणा को, वह कितना अमल में लायेंगे इसमें शंका इसलिए भी होता है कि घोषणाएं यहां पहले भी की गयी थी लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। मेरी जानकारी में एक चीज यह थी कि अभी तक कुछ लोग माननीय मन्त्री जी को विशेष महत्व देते थे लेकिन अब शायद न दें क्योंकि उनके (श्री बाजपेयी) हटने का समय और बढ़ गया है अपने आप। श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा मन्त्री जी से :

गुलिस्तां में अगर फूलों का कत्लेआम होता है।
तो सबब कुछ भी हो लेकिन बागवां बदनाम होता है।

इसलिए कारण चाहे जो भी हों लेकिन सारी बदनामी आप पर आयेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप अमल करेंगे तो प्रदेश का कल्याण होगा। विद्युत् विभाग के विकास से कृषि का विकास होगा, उद्योग का विकास होगा, आपका

विभाग इतना महत्वपूर्ण है कि इसका ताल्लुक प्रदेश के तमाम विभागों से है तमाम विभागों से संलग्न है यह विभाग । आपके विभाग में कहीं गड़बड़ी हुयी तो प्रदेश के कई विभागों का सफाया हो जायेगा, इसलिये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ माननीय मन्त्री जी अपना दामन पाक साफ रखें और अपने विभाग पर कलंक का धब्बा न लगने दें ।

अब कुछ निवेदन करने हैं माननीय मन्त्री जी से । मान्यवर, सन् ७४ में, एक बहुत ही वरिष्ठ जनता पार्टी के मेम्बर हैं, जो हमेशा विरोधी दल में रहे हैं, उन्होंने अपना विद्युत् का भार कम करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया । उनको आदेश दे दिया गया जबानी कि कम कर लीजिए । उन्होंने १० हार्स पावर की जगह ५ हार्स पावर लगा लिया । लेकिन बराबर लिखा पढ़ी के बावजूद भी उनसे १० हार्स पॉवर का ही पैसा वसूल किया जा रहा है । अभी माननीय मन्त्री जी रायबरेली गये थे । दुर्भाग्य से मैं नहीं था । लेकिन मालूम हुआ कि उनके पास भी वह प्रार्थना-पत्र लेकर आये थे और उन्होंने ही नहीं, जनता पार्टी के सारे लोगों ने कहा । तब माननीय मन्त्री जी ने आश्वासन दिया कि ठीक हो जायेगा । मान्यवर, यह चीज केवल रायबरेली के लोगों के साथ ही नहीं रही है, बल्कि आज प्रदेश में तमाम जगह पर ऐसी स्थिति है । आदेश होते हैं कि भार आपका कम किया जायेगा । फलां तारीख तक आकर के उसके सम्बन्ध में जिला स्तर पर कार्यवाही कीजिए । पोस्ट आफिस में पत्र डाल दिया । वह दो रोज लेट किसान को पहुंचा । जब किसान पहुंचता है तो कह दिया जाता है कि मियाद बीत चुकी है । इस तरह से आज किसान परेशान हो रहे हैं । मैं प्रतापगढ़ के सांगीपुर विकास खण्ड की बात कहता हूं । वहां पर तमाम किसानों ने १९७१-७२ में २५ रुपया के हिसाब से जमा कर दिया । विकास खण्ड के कर्मचारियों ने पैसा जमा करवाया, लेकिन आज तक सर्वे नहीं हुआ । जब कई बार सम्बन्ध बनाया गया, तो अधिकारियों ने कह दिया कि पैसा लैप्स हो गया, फिर से जमा करो । मान्यवर, जब सर्वे ही नहीं हुआ, जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया, तो उस २५ रुपये को जो किसानों ने वहां जमा किया था मियाद समाप्त नहीं होनी चाहिये ऐसा मैं सुझाव दे रहा हूं ।

मान्यवर, आज विद्युत् विभाग के जरिये ग्रामीण योजना के अन्तर्गत मकानों को कनेक्शन देने के लिये जितनी भी लाइनें खींची गयीं हैं उनमें यह स्थिति है मान्यवर, कि आपातकालीन स्थिति के दौरान जब कोई आदमी बोल नहीं सकता था, गरीबों के नाम पर बड़े-बड़े लोग फायदा उठा रहे थे, तो ऐसे तमाम गाँव प्रदेश में हैं हरिजनों के नाम पर लाइन ली गयी है, लेकिन वह हरिजनों के मुहल्ले में नहीं पहुंची । वह इन्हीं बड़े-बड़े लोगों के मुहल्लों तक पहुंची है । इस सम्बन्ध में मान्यवर, हरिजनों ने सैकड़ों की संख्या में प्रार्थना-पत्र दिय हैं, लेकिन विभाग ने कह दिया कि अब आगे लाइन नहीं पहुंच सकती, जहां पहुंच गई, वहीं पहुंच गयी ।

श्री कमला प्रसाद सिंह (जिला जौनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय रियासत हुसैन साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं, मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से अपने जनपद जौनपुर की जो बिजली की समस्या है, उसके बारे में उनको बताना चाहता हूं । मान्यवर, हमारे यहां आये दिन बार-बार बिजली कटती रहती है । तमाम लोग परेशान रहते हैं । पिछले दिनों बिजली की इतनी कमी थी कि सूखा पड़ गया था पानी नहीं मिल

[श्री कमला प्रसाद सिंह--]

रहा था । लोग चाहते थे कि अपनी फसलों को किसी तरह सींचें और उनको कुछ फायदा हो सके । लेकिन आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी को यह भी बताना चाहता हूं कि बार-बार बिजली रहते हुये भी अव्यवस्था पैदा की गयी थी । इस तरह की शिकायतें मुझे मिलीं कि जो लाइनमैन होते थे वह कनेक्शन ही काट देते थे और जब किसान लोगों ने उनको खुश किया तो बिजली देते थे । इस तरह जान बूझ कर अव्यवस्था पैदा की गयी । मेरा क्षेत्र शहर से सम्बन्धित है । मैंने देखा कि जब कभी बिजली दो-तीन घण्टे गायब रहती है तो लोग पानी के लिए तड़पने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं । अलग से उनके पास पानी पीने के लिए कोई साधन नहीं है । शहर में कुंआ या और इस प्रकार की चीज नहीं है, हैण्ड पाइप नहीं है । बाल्टी ले कर के दरिया की तरफ दौड़ते हैं । अगर सार्वजनिक कुंआ आदि देख लिया तो वहां पर ऐसी लाइन लग जाती है जैसे राशन के दुकान में लगती है । तो मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अव्यवस्था इस प्रकार की होती है, लोग परेशान होते हैं, आये दिन कठिनाई होती है, इसे माननीय मन्त्री जी को देखना चाहिए । इस तरह से बहुत से अधिकारी बिजली विभाग के अव्यवस्था पैदा करते हैं उनको भी माननीय मन्त्र जी आपको देखना चाहिए ।

मेरे जनपद में बहुत सी हरिजन बस्तियां हैं । वहां पर बिजली लगाने की बात थी । सड़क के किनारे जहां थोड़ी सी दूरी थी वहां ले जा कर खम्भा लगा दिया एक बल्ब लगा दिया लेकिन तमाम हरिजन बस्तियां ऐसी ही पड़ी हैं जिनमें बिजली की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है ।

मैं माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की मन्शा है । सरकार चाहती है कि लघु उद्योग को बढ़ावा मिले लेकिन जिन लोगों के पास पम्पिंग सेट हैं वे लोग न तो चक्की बैठा सकते हैं न तेल पिराने के लिए स्पीलिन्डर बठा सकते हैं । तो मेरा निवेदन है कि उनको इस तरह की छूट देनी चाहिए । अगर उनके पास पम्पिग सेट है तो अपने छोटे-मोटे धन्धे चला सकें ।

मान्यवर, ट्रान्सफार्मर की चोरी की भरमार ह । जब कभी यह शिकात की जाती है कि लाइन नहीं आई तो कहा जाता है कि ट्रान्सफार्मर खराब है लेकिन जब पता लगाया जाता है तो पता लगत. हैं कि ट्रान्सफार्मर चोरी चला गया है । तो मेरा निवेदन है कि इसकी देख-रेख होनी चाहिए और आये दिन जो अव्यवस्था रहती है उसे माननीय मन्त्री जी को अधिकारियों को कड़े निर्देश देकर दूर करनी चाहिए और अधिकारियों से निर्देशों का पालन कराया जाना चाहिए । हमारे यहां इतनी अव्यवस्था है कि लोग बिजली के लिए तड़पते हैं । शहर से सम्बन्धित होने के नाते पानी के लिए परेशान होते हैं ।

नगरपालिका ने बल्ब दिये हैं लगाने के लिए और बल्बों को लगाने का काम बिजली कर्मचारियों का है । बल्ब बिजली कर्मचारी लेकर जाते हैं और लगाने के बाद तुरन्त देखा जाय तो लगता है कि शायद वही बल्ब है । उसी को लगा कर वे लोग नगरपालिका से कह देते हैं कि बल्ब बदल दिया गया है । इस प्रकार सारे लोग अंधेरे में ही रह जाते हैं । इस तरह की चीज जो बिजली कर्मचारी करते हैं इस पर भी निगरानी रखकर उनको इस तरह के निर्देश देने चाहिए कि वे गलत काम न कर सकें ।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)---

अधिष्ठाता महोदय, आज यह विद्युत् मंत्री द्वारा जो यह बजट प्रस्तुत किया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं। विद्युत् उत्पादन और वितरण के सम्बन्ध में उनके सामने बहुत से सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं लेकिन मैं उनके सामने कुछ स्थानीय और व्यवहारिक कठिनाइयां जो किसानों को होती हैं, प्रस्तुत करता हूं। गांवों में किसानों को जो बिजली दी जाती है उसकी देखभाल के लिये जो लाइन-मैन रखे जाते हैं उनको जब बिजली खराब होने की सूचना दी जाती है तो उसको ठीक करने में वे बहुत तत्परता नहीं बरतते हैं। मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है हाल में, जिसमें यह बतलाया गया है कि आगरा जनपद के अकोला ब्लाक में रिठौरा गांव में एक बिजली का तार टूट गया और उसकी सूचना लाइनमैन को लगातार दो दिन दी गयी लेकिन वह उस तार को ठीक करने नहीं आया। कुछ हरिजन महिलायें खेत में चारा काटने गयीं। उस तार ने एक महिला को पकड़ लिया। दूसरी महिला ने जब छुड़ाने की कोशिश की तो दूसरी को भी पकड़ लिया। इसी तरह से तीसरी और चौथी को भी उस तार द्वारा पकड़ गयी। जब यह खबर पास में काम करने वाले एक नवयुवक दिलीप सिंह को मिली तो फावड़े के बेंट से उसने किसी तरह से उन महिलाओं को बचाया लेकिन उस तार द्वारा जो पहली महिला पकड़ी गयी थी उसकी मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गयी। उस महिला का नाम मैं नहीं जानता लेकिन उसके पति का नाम रोशन है पुत्र मनभोता, निवासी अकोला ऊधर है। उसके तीन चार छोटे-छोटे बच्चे हैं। रोशन हरिजन जाति का है उनकी माली हालत बहुत खराब है। मैं मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि रोशन पुत्र मनभोता, निवासी अकोला ऊधर को कुछ न कुछ आर्थिक सहायता अवश्य दी जाय। दुख की बात तो यह है कि वह तार अभी तक इस माननीय सदन के सामने बोलने वाले सदस्य के खेत में पड़ा हुआ है, उस तार को तुरन्त ठीक करा दिया जाय जिससे इस प्रकार की और कोई अप्रिय घटना न घटने पाये।

दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि जब बिजली की कमी होती है और उसकी कटौती की जाती है तो उस समय किसानों को रात्रि में बिजली दी जाती है इससे किसानों को बड़ा नुकसान होता है क्योंकि उनकी खड़ी हुई फसल रात्रि में पानी देने से गिर जाती है। इसलिये यह बिजली की कटौती रात्रि में की जाय, दिन में न काटी जाय ताकि दिन में उनको पानी मिल सके जिससे उनकी कमाई हुई फसल को किसी तरह का नुकसान न पहुंच सके। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह फतेहपुर सीकरी क्षेत्र है। उसमें बिजली बहुत कम गांवों में दी गयी है। मैं मंत्री महोदय से यह आग्रह करूंगा कि मेरे क्षेत्र में अकोला ब्लाक में कराहर, डावली, अखवाई, गहरकिला जैगारा, बसेरी चाहर गांवों को तथा अछनेरा ब्लाक में पनवारी, अटूस, नागर कठवाई, अरदाया, हसला, सांधन तथा कचौरा गांवों की तथा फतेहपुर सीकरी ब्लाक में दुल्हारा, सामरा, जाजऊ, दूरा, डाबर तथा बैमन गांवों को बिजली प्रदान की जायगी। इसके साथ मेरा यह भी निवेदन है कि गांवों में जो ट्रान्सफार्मर्स की चोरी होती है। वह बिजली विभाग में काम करने वाले लाइनमैनों की सांठ-गांठ से ही होती है। गांव के लोग इस तरह की चोरी करने से डरते हैं लेकिन उन लोगों को चोरी करने से डर नहीं लगता जिनको उसकी टेक्नीक इन लाइनमैनों के द्वारा सिखा दी जाती है और उन्हीं के द्वारा यह चोरी करवाई जाती है। इसलिए विद्युत् विभाग इस ओर ध्यान दे और जो कर्मचारी दोषी पाये जायं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय जिससे कि किसानों को बिजली न होने से नुकसान न उठाना पड़े।

[श्री बदन सिंह—]

माध्यवर, इसके साथ ही साथ हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि बिजली विभाग में सुधार की आवश्यकता है और जब तक इसे सुधारा नहीं जायेगा तब तक किसानों की खेती में किसी प्रकार की प्रगति नहीं हो सकती। बिजली का खेती से बहुत सम्बन्ध है । सदव इस बात का ध्यान रखना चाहिय कि किसान को फसल की बुवाई से कटाई तक जब पानी की आवश्यकता हो उस वक्त युद्ध स्तर पर कोशिश की जाय कि खेती के लिए बिजली समय पर मिल जाय । इन्हीं शब्दों साथ मैं इस विद्युत् विभाग के बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और इस बजट का समर्थन करने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं । हमारे विरोधी दोस्तों को समझना चाहिये...।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)—

माध्यवर, हमें भी मौका मिलेगा या नहीं ?

श्री मान सिंह आजाद—

जिनकी ओर से यह प्रस्ताव आया है यह कटौती किसके लिए कर रहे हैं । माध्यवर, मैं आपके द्वारा एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे साथी लोग जो विरोध में बैठते थे उस वक्त इस बात की चर्चा करते थे कि जब हम इस ओर बैठेंगे तो हम इस बात को लेकर प्रदेश की उन्नति के लिए सोचेंग । मुझे इस बात का दुख है कि जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो हमारे इलाके में बिजली एक दिन भी नहीं आई और जसे ही यह गवर्नमेन्ट बनी जनता पार्टी की तो मैंने माननीय शाही साहब से एक दिन कहा और उसी भोर से बिजली आने लग गई । मैं अधिष्ठाता जी आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि वह गड़बड़ी जो थी विभागीय आफिसरों की वजह से थी और जब आपने आज्ञा की तो बिजली आ गई । इस वक्त मंत्री जी चले गये वह सुने उस वक्त लोगों के पास बिल आये हैं तो वह पैसा उन्हीं आफिसरों से वसूल किया जाय ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि बिजली से ही सिंचाई होती है । जैसे अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने लड़ाई लड़ी थी और उनको यहां से भगाया था उसी तरह से आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर आज जनता पार्टी ने जालिम सरकार को हटाया । मैं और मंत्री जी साथ में लखनऊ जेल में थे उस उक्त यह बात कहते थे कि किसानों के कष्ट बहुत ज्यादा बढ़ गये उसे हटाया जाय और किसानों को सुविधा दी जाय । आज हम इस ओर बैठे हैं मैं मंत्री जी का ध्यान उन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं । आज से कुछ दिन पहले मैंने एक लम्बी सी दरख्वास्त काफी दस्तखतों के साथ इनको दी थी और कहा था कि भाई आज बिजली बन्द क्यों है जैसे कि इलेक्शन के दिनों में थी और तब आपके आदेश से दूसरे दिन बिजली आ गई थी । आज फिर हमारे इलाके म वही बात है सिंचाई के दिनों में बिजली क्यों नहीं आ रही है । हमारे इलाके में बहुत चोरी हो रही हैं उसकी आप चेकिंग करें । जैसा कि हमसे आप कह रहे थे कि मैं एक रात बलरामपुर अस्पताल में गया और वहां पर जो लोग ड्यटी में थे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वह नहीं पाये, तो आप उस रास्ते को क्यों नहीं अपनाते हैं । इस विभाग की चेकिंग क्यों नहीं करते जब हम विरोध में उधर बैठते थे तो इस बात की चर्चा करते थे । आज यह क्या बात है कि जनता सरकार के हम लोग हैं और आजादी दिलाने वाले लोग हैं । इसका माने क्या है ? हमारे इलाके में चोरी हो और एक दिन भी आप जुर्रत न करें इस मलिहाबाद क्षेत्र में देखने की कि बिजली आई या नहीं आई । तो मैं फिर दूसरे दिन मिला । तो आखिर यह किसका दोष है । जनता पार्टी और लोकनायक जयप्रकाश ने जनता का आवहन किया है कि हम जनता को न्याय देंगे, सुविधा देंगे और स्वच्छ प्रशासन देंगे, तो इसके चलते यह कैसे मिलेगा । आप जनता पार्टी के मंत्री हैं, आपने जनता को न्याय और स्वच्छ प्रशासन देने की बात कही है । आज क्या बात है कि हमारे क्षेत्र में, बगल में बिजली नहीं आई और घरों में चोरी हो । मलिहाबाद यहां से कोई दूर नहीं है, वहां और पूरे कस्बे में चोरियां हुई और हो रही हैं । मंत्री जी विभागीय अफसरों का क्यों नहीं आवाहन करते हैं । मैं तो कहूंगा कि प्रदेश और हिन्दुस्तान में यह जो क्लास-वन और क्लास-टू की बात करते हैं और पूंजीपति अपने को क्लास-वन कहते ह, जो गर्व के साथ कहते हैं कि सरकार हम चलाते हैं, जब तक इसको जड़ से मिटाया नहीं जाएगा, तब तक कुछ यहां होने वाला नहीं है । जब तक इसके खिलाफ हिन्दुस्तान में एक बगावत नहीं होगी, इनके खिलाफ हम सब मिलकर एक क्लास-वार नहीं करेंगे, तब तक किसान तरक्की नहीं कर सकेगा और जनता पार्टी भी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकेगी ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया, आप बैठ जायं ।

श्री मान सिंह आजाद--

हमारे क्षेत्र में माल ब्लाक में हरिजनों की बस्ती बनी है, उसमें बिजली के तार जुड़े हैं, लेकिन बिजली नहीं दी गयी है । उसे तुरन्त दिया जाए । इन बातों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं ।

(व्यवधान)

*श्री हरी सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे इस पर बोलने का आपने अवसर दिया । वैसे जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उन्हें चाहिए भाई चारे के नाते । क्योंकि यह ऐसा विभाग है, जिससे हमारी खेती, उसे हमारे उद्योग धन्धे और हमारे बहुत से कार्य चलते हैं और उससे देश और जनता का अति लाभ होता है । सवाल यह है कि यह पूरब वाले हमेशा चिल्लाते रहते हैं । (व्यवधान) वहां मैंने देखा है वहां तो ट्यूबवेल हैं नहीं लेकिन यह चिल्लाते बहुत हैं । लेकिन जहां पश्चिम में ट्यूबवेल लगे हैं, कारखाने चल रहे हैं, वहां भी बिजली समय पर नहीं पहुंचती है । अब इसमें दोष किसका है । मैं समझता हूं, जो कल-पुर्जे ठीक करते हैं, इसमें उनका दोष है । विभाग को इसे देखना चाहिए । एक तो वैसे ही रात में चोरी से बिजली जलती रहती है, जिसका कुछ पैसा वसूल नहीं होता है । लोग ऐसे तार फिट कर लेते हैं कि चाहे जितनी बिजली खर्च करें, लेकिन मीटर पर नहीं आता है । ऐसी ही तमाम बिजली की चोरी कल कारखानों में होती है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरी सिंह---]

जितने डिमार्टमेन्ट में काम करने वाले लोग हैं, इनका उन बिजली चोरों से पैसा बंधा रहता है। मेरे जिले मेरठ में बहोली, सतवाये गांव में जहां पावर हाउस है, छदरे गांव के एक वेदपाल किसान ने कहा कि श्रीमान् इजाजत दे दीजिए ट्यूबवेल लगाने की तो उसका एस्टीमेट २५ हजार रुपया का भेजा गया। तो उसने कहा कि कनेक्शन के ही इतने रुपये, इतने में तो ट्यूबवेल भी नहीं लगता है। और उसने कहा कि उसके खेत में ही खम्भा लगा है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं, अभी वह दो हजार रुपया रिश्वत दे दे, तो तुरन्त मंजूर हो जाएगा और बिजली लग जाएगी। इन चीजों को डिपार्टमेन्ट बिलकुल नहीं देखता है। यहांसे कोई आदमी नहीं बैठा है, जो इसको ठीक कर दे, भाई चारे में समझ कर।

आप ताज्जुब करेंगे कि इनके छोटे से छोटे कर्मचारी की इनकम इतनी है, जितनी बड़े से बड़े अफसर की नहीं है। उनके ठाठ निराले हैं। माननीय मंत्री जी खुद जा कर कारखानों और खेतों की हालत देखें।

पचास हजार का बिल आ रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है। इसमें और देखभाल करन वाला कोई नहीं। मैं विद्युत मंत्री जी से निवेदन करूंगा वह स्वयं, गांव और शहरों में, और जा कर निरीक्षण करें। सबसे पहले मेरठ जिले का दौरा करे। पश्चिम से शुरू करें। यह रह गये पुरबिया, वह ट्यूबवेल लगायेंगे इन्डस्ट्री लगायेंगे कोई काम करते नहीं। यह प्रान्त हमेशा से पिछड़ा हुआ रहा है। इसमें पूर्व पश्चिम का सवाल नहीं है। प्रदेश की उन्नति का सवाल है। पूर्वी जिलों में इंडस्ट्री फैलायी जायं। बिजली के पावर हाउस कम हैं। हमारे पास साधन मौजूद हैं और पावर हाउस लग सकते हैं। लेकिन आपका कर्मचारी वर्ग सही नहीं है। क्योंकि उनकी तनख्वाह और भत्ता कम है। अगर उनकी तनख्वाह पूरी कर दी जाय तो जो करप्शन बढ़ रहा है हर मुहकमे में, न कोई करप्शन करने के लिए तैयार है न बेइमानी, लेकिन जब उनके खर्चे पूरे नहीं होते, तब उन्हें एक आदत पड़ जाती है। इसलिए कर्मचारियों और अधिकारियों की पे बढ़ायी जाय ताकि उनको कहने का मौका न मिले कि हमारी इनकम कम है।

दूसरे अपने डिपार्टमेन्ट को देखें। जो यह व्यवस्था कर रखी है, कनक्शन का अन्दाजा करने की, इसमें बहुत रिश्वत चलती है। आप स्वयं देखें, किसी कमचारी का विश्वास न करें। इसमें इंजीनियरों को बड़ी-बड़ी रिश्वत मिलती है। हमारे भाई बन्द हैं सब इस लिए हमें सारी बातें मालूम हैं। बिजली की ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जायं, कनेक्शन दिये जायं और किसानों के बिजली के रेट बढ़े हैं उसको एकदम कम किया जाय।

*श्री जयराम (जिला गाजीपुर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मंत्री जी का ध्यान इस विभाग की तरफ ले जाना चाहता हूं।

महोदय, पिछली सरकार की भी घोषणाएं किसानों के हित में बराबर होती थीं और बिजली के बारे में जब जनता पार्टी की सरकार बने तो पूरे देश में यह चर्चा चली कि कांग्रेस के लोगों ने पानी बहा कर बिजली गायब कर दी थी। अब हम देश को बिजली देंग। बरसात का मौसम था, मंत्री जी का ऐलान था कि बिजली हम २४ घंट देंगे। लेकिन जब पानी की जरूरत पड़ी, तो देश में क्या बिजली की दशा है जो आपके सदन में माननीय सदस्यों ने आज ही इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात की चर्चा शुरू कर दी जब कि अभी बरसात खत्म नहीं हुई है । अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से चाहूंगा कि बिजली के बारे में जितनी आप घोषणा कर चुके जो पम्पिंग सेट या जो स्टेट ट्यूबवेल लग चुके हैं उनकी संख्या बहुत कम है। उसके बावजूद भी अगर इनको आप बिजली सही रूप में दे पाएं तो देश का बहुत बड़ा भला हो जायगा । किसी से कर्जा लेकर पम्पिंग सेट लगाये हुए हैं । आज किसान की यह स्थिति है कि वह साधन जिनके द्वारा वह फसलों को सोचता है वह पूर्ण रूप में बिजली के ऊपर आधारित है । जब वह लहलहाती फसल को देखता है, जब फसल में दाने भरने का समय होता है या बाल निकलने का समय होता है उस समय अगर बिजली एक हफ्ते गायब हो जाती है ।

(इस समय २ बजकर ५६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

और उसको उस समय बिजली न मिले तो आप सोचें कि आपकी बिजली को वह किसान किसी तरीके से भी उसी कीमत पर नहीं लेगा यह बात वैसे ही हुई जसे आदमी के मर जाने के बाद डाक्टर जाता है तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती ।

मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि विभागीय कर्मचारियों को जो साधन दिये जाते हैं जैसे जीपों की व्यवस्था को ले लें । उन जीपों का इस्तेमाल जिन्हें करना चाहिये उनके पास तो जीपें नहीं हैं जैसे बिजली के तार और खम्भे देखने वाला लाइन-मैन है जो किसानों की कटी हुई बिजली को जोड़ता है । लेकिन जब पूरे गांव की बिजली गायब होती है तो एक दिन में मैं आप को बता दूं कि एक लाइन-मैन को २४ घंटे में अगर किसी एक लाइन पर बिजली खराब हो जाती है तो पूरे दिन भर उस पूरे फीडर की बिजली बन्द रहती है । एक जगह की खराबी को देखने के लिये दस मील १२ मील दूरी पर वह यहां से कनेक्शन काट कर जाता है और फिर वहां जोड़ कर यहां आता है । तब उस फीडर पर लाइन दी जाती है । इसलिये मेरा सुझाव है कि जो भी आपकी जीपें हैं इस मौके पर जब किसी फीडर के ऊपर खराबी हो तो आप उनका इस्तेमाल लाइनमैनों के लिये दें या उनके अधिकारियों को सूचित कर दें कि ऐसे समय में वह उन जीपों का इस्तेमाल करने के लिये लाइनमैन को अवश्य दे दें ।

मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस बात का पता लगायें कि ऐसे लोगों ने जिन्होंने दो-दो वर्ष हो गये बिजली के कनेक्शनों के लिये प्रार्थना-पत्र दे दिये हैं और आपके दफ्तरों में दौड़ रहे हैं, उनको आज तक कनेक्शन नहीं मिल पाया है । इसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा किसानों के कचहरी के बाद अगर कोई है तो बिजली का दफ्तर है । वहां पर कोई नियम नहीं है । आप लोगों के परिवारों में इस तरह के कनेक्शन जरूर होंगे तो आपको इस बात का पता नहीं चलता होगा कि बिजली का बिल कौन चेक करता है, इसका हिसाब क्या है ? उसमें क्या अदायगी होनी है ?

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि बिजली के बिल जमा करने का स्थान इतना दूर है कि हम लोग भी आसानी से बिल जमा नहीं कर पाते । गांव से आने वाला किसान समय पर बिल नहीं जमा कर पाता । आप सोचें कि एक किसान अगर बिल जमा करने जाये तो बारह बजे तक तो वह पहुंच पाता है और फिर बारह बजे बिल नहीं जमा होता है जिसके कारण उसे दूसरे दिन रात में रुकना पड़ता है । इस तरह से किसान का दो दिन का समय नष्ट होता है । मेरा निवेदन है कि बिजली के बिलों को ब्लाक स्तर पर जमा कराने की व्यवस्था करायें ।

[श्री जयराम]

मैं एक बात और कहूंगा कि आपके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जैसे एक्जिक्यूटिव इन्जीनियर सिर्फ अपने दफ्तर में बैठकर एक तरह से इस विभाग को बहुत भ्रष्ट करता है। उनको भी आप अवश्य कहें कि वे समय-समय पर क्षेत्र समितियों की जो बैठकें होती हैं उनमें वे या विभाग के कर्मचारी कोई न कोई अवश्य उपस्थित हों। मैं भी पहले प्रधान भी हुआ था और अब इस सदन का सदस्य भी हूं। मैं जानता हूं और मैंने बार-बार इसे क्षेत्रीय समिति की बैठक में उठाया है। होता यह था कि एजेन्डा पर तमाम अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम भी लिख दिये जाते थे कि यह सब आये हैं मैं बराबर ४ वर्ष तक प्रधान रहा वहां पर हमने प्रयास किया ब्लाक प्रमुख ने प्रयास किया, बी० डी० ओ० ने प्रयास किया लेकिन बिजली का एक भी अधिकारी वहां पर कभी नहीं गया। परिवार नियोजन में जब उनके ऊपर सरकार का डंडा पड़ा तो फौज टूट पड़ती थी और नसबन्दी की बात करती थी। उसके पहले हम प्रयास करते रहे लेकिन जनता की समस्याओं पर विचार करने के लिए कोई नहीं गया। इसलिए म माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे एक निर्देश दें कि क्षेत्र समितियों के अन्दर हमारे बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कोई न कोई अवश्य आया करें ताकि क्षेत्र समिति में हमारे प्रधान अपनी समस्याओं को उनके सामने रख सकें।

इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का, जो प्रस्तुत किया गया है, समर्थन करता हूं।

श्री बाबू सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से विद्युत मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और साथ-साथ कुछ सुझाव भी देना चाहता चाहता हूं। मान्यवर, आज देश की उन्नति में बिजली एक मुख्य फैक्टर है। बिजली का पर्याप्त मात्रा में मिलना अत्यावश्यक है। कृषि के उत्पादन के लिए और उद्योग की उन्नति के लिए बिजली सर्वप्रथम फैक्टर है। कृषि के उत्पादन के लिए सरकार को सबसे अधिक ध्यान किसान को बिजली को सुलभ करने और सस्ती दरों पर देने के लिए देना चाहिए।

कृषि कार्य में लगने वाली बिजली की दरें कम की जानी चाहिए। मान्यवर, आज हम देख रहें हैं कि कृषि कार्य में दिनों दिन बिजली का रेट बढ़ाया जा रहा है, हम उसके विपरीत आप से प्रार्थना करते हैं कि आपके माध्यम से मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें। कृषि काय में कम से कम २४ घंटे बराबर बिजली देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरे बिलों का प्रत्येक माह न लेकर वर्ष में दो-तीन बार भुगतान लिया जाना चाहिए, क्योंकि हर माह भुगतान होने में देखा गया है कि कृषकों को बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

इसी के साथ-साथ मंत्री जी ने बड़े पावर चालित कोल्हू और थ्रेशर आदि के सम्बन्ध में जो घोषणा की कि जो कहीं बिजली स्वयं तथा तत्काल लेना चाहे तो उसकी व्यवस्था तुरन्त कर दी जायगी, इसके लिए हम मंत्री जी को धन्यवाद अदा करते हैं। इसी के साथ-साथ नलकूप लगाने के सम्बन्ध में एक ऐसी व्यवस्था की हुई है कि जो एल० डी० बी० से कर्ज लेगा उसे ही प्राथमिकता दी जायगी, लेकिन मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि सभी कृषकों के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। अगर कोई अपने पैसे से नलकूप लगाना चाहता है तो उसे भी बिजली उसी प्राथमिकता से मिलनी चाहिए। आम तौर पर यह देखा जाता है कि रात्रि के समय गावों में बिजली

नहीं पहुंचती है । मेरे क्षेत्र में मुजफ्फरनगर में बघरा क्षेत्र है उसमें कई ग्रामों में खम्बे खड़े हैं लेकिन ग्राम लालहा खेड़ी, बहौना कलां, बहुत से क्षेत्र ह जहां खम्बे खड़े ह, तार लगे है लेकिन बिजली नहीं पहुंचती है ।

इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि के साथ-साथ छोटे उद्योगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जैसी कि हमारी सरकार की नीति है । थ्रेशरों, सलकरों आदि को बिजली मिलने में प्राथमिकता होनी चाहिए । जनपद मुजफ्फरनगर म लाइन ऐसी बेकार पड़ी हैं जिनमें २४ घंटे में मुश्किल से २-४ घंटे ही बिजली पहुंच पाती है, जैसे करोंदा लाइन, झिजामइन लाइन । तो इस तरह से देखने में आया है कि बड़े-बड़े उद्योगों में बिजली की अव्यवस्था प्राय दिन हो रही है । ये अधिकारीगण के साथ फैक्टरी के मालिक मिलकर भारी मात्रा में फायदा उठा रहे हैं और बिजली की चोरी बड़े पैमाने पर हो रही है । जहां तक कृषि का सम्बन्ध है उस ओर विशेष ध्यान नहीं है, लेकिन बड़े उद्योगों में सभी बड़ी-बड़ी फैक्टरियों में बिजली की चोरी हो रही है और उस सम्बन्ध में उसको चेक करने के लिए कोई कठोर व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है । मान्यवर, रियासत हुसैन जी ने जो सुझाव बिजली बोर्ड के सम्बन्ध में दिया है, इसका ढांचा बदलना चाहिए । इससे बोर्ड में जनता के प्रतिनिधियों का रहना जनहित में होगा ।

बिजली के बिलों में परेशानियां आये दिन रहती हैं । गलत बिल भेज दिये जाते हैं । कुछ महीनों के जो पिछले बिल दिये जाते हैं वे बिल फिर भज दिये जाते हैं । इसमें बड़ा घोटाला सा रहता है । इसलिए कृषकों को आये दिन बड़ी परेशानी रहती है । मान्यवर, इस पर ध्यान दिया जाय ।

बिजली के कनेक्शन देने में पुरानी परिपाटी जो चली आ रही है उसमें कुछ आमूल-परिवर्तन होना चाहिए । कृषकों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है और भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ता है । माननीय मंत्री जी इस तरफ भी ध्यान देने की कृपा करें ।

इसके साथ अन्त में मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि अधिकारी लोग हमारे ब्लाक स्तरों की मीटिंग जो ग्राम विकास के लिए होती हैं उनमें वह शामिल नहीं होते हैं । उन्हें कृषकों की कठिनाइयों का कोई विशेष ध्यान नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं बिजली का बजट का समर्थन करते हुए धन्यवाद देता हूं ।

*श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विद्युत् मंत्री जी का भाषण बड़े ध्यान से सुना । मैं यह आशा करता था कि विद्युत् मंत्री जी जनता की भावनाओं को ध्यान रखते हुये और माननीय सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखते हुये आज इस सदन में घोषणा करेंगे कि वह राज्य विद्युत् परिषद् का पुनर्गठन कर रहे हैं और राज्य विद्युत् परिषद् के वर्तमान अध्यक्ष को हटाकर उनके खिलाफ जांच आयोग बिठा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय शुक्ल जी, एक बात का ध्यान रखना चाहिये कि लोक आयुक्त हमारे प्रदेश में कायम हो चुका है । यहां पर कोई वह बात नहीं कहनी चाहिये जो अभियोग हो, क्योंकि यह सदन किसी जांच कमेटी में अपने को परिवर्तित नहीं कर सकता है । उसकी जिम्मेदारी तो माननीय मंत्री जी की है । जो आलोचना

[श्री अध्यक्ष]

विभाग की हो सकती है । वह आप करें । पुनर्गठन की बात आप कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति या किसी पदाधिकारी का नाम लेना यहां पर ठीक नहीं है, क्योंकि यहां पर जो आप कहेंगे उसका बचाव करने के लिये वह व्यक्ति नहीं आ सकता है ।

श्री राम अधार--

जांच करने की मांग तो सरकार से हो रही है ।

श्री अध्यक्ष--

सरकार से कीजिये । नियम यह है कि अगर कोई सदस्य किसी सदस्य पर आरोप करता है तो वह तुरन्त उसका प्रतिवाद अपने ढंग से कर सकता है । लेकिन जो व्यक्ति सदस्य नहीं है उसको तो यह सुविधा नहीं है । तो आप विभाग की आलोचना करें, जो भी सुझाव आप दे सकते हों, वह दें और बाकी यह तो मंत्री जी का कार्य है, पुनर्गठन करें या न करें ।

*श्री बाबूराम शुक्ल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य विद्युत परिषद में आज जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है, जितनी अनियमिततायें व्याप्त हैं मेरा ऐसा ख्याल है कि शायद प्रदेश के दूसरे किसी विभाग में नहीं होगा और यही कारण है कि आज राज्य विद्युत परिषद दिवालियेपन के कगार पर है । मुझे कुछ सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि राज्य विद्युत परिषद का लगभग ५० करोड़ रुपया आज उपभोक्ताओं पर बकाया है जिसको वसूल करने के लिये कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये जा रहे हैं । विद्युत परिषद के अध्यक्ष महोदय ने ४ मई, १९७७ को कानपुर के एक पत्रकार सम्मेलन में स्वयं स्वीकार किया था कि विद्युत परिषद का २५ करोड़ रुपया किसानों पर, २० करोड़ रुपया विद्युत उपभोक्ताओं पर और ५ करोड़ रुपया बिहार सरकार पर बकाया है । अभी मैंने एक प्रश्न पूछा था जिसका मुझे लिखित उत्तर मिला सदन में कि केवल कानपुर के उद्योगपतियों पर लगभग ४ करोड़ रुपया बकाया है । इस बकाया धन-राशि की वसूली के लिये कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा रहा है ।

विद्युत परिषद में अनियमितताओं और वहां के अधिकारियों की उपेक्षा नीति के उदाहरण अगर मैं आपको देना चाहूं तो जुलाई और अगस्त में कानपुर रीवर साइड पावर हाउस में दो बार आग लगने से वहां की मशीनें क्षतिग्रस्त हुई । अगस्त मास में जो आग लगी उसके परिणाम स्वरूप शहर में ४८ घंटे अन्धकार रहा । मेरा ऐसा अनुमान है कि दोनों बार आग लगने से लगभग २० लाख रुपये का नुकसान केस का हुआ है और लाखों रुपये के उत्पादन की क्षति हुई है क्योंकि कारखाने सब बन्द हो गये थे । यह बात बहुत कही जाती है कि जो पानी के बिजली के कारखाने हैं वहां अगर जलस्तर कम हो गया तो बिजली का उत्पादन कम हो जाता है, लेकिन जो बिजलीघर कोयले से चलते हैं वहां पर बिजली का उत्पादन क्यों कम होता है केवल इसलिए कि वहां के अधिकारियों की लापरवाही, मशीनों के रख-रखाव के बारे में लापरवाही । इस सम्बन्ध में मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, पनकी थर्मल पावर हाउस की रिपोर्ट ऐसी है कि १९७६ में एक वर्ष के अन्दर पनकी पावर हाउस में १२७ बार आग लगी । इससे करीब १ करोड़ रुपये की क्षति हुई । पनकी पावर हाउस की दो मशीनें ३२५-३२५ मैगावाट की है, दो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मशीनें ११०-११० मेगावाट की हैं। एक मशीन पिछले ८ महीने से खराब पड़ी है। अगर यह मशीन एक दिन बन्द रहती है, तो २५ हजार रुपये का नुकसान होता है। यह नुकसान कितना बड़ा नुकसान है। यह केवल अधिकारियों और वहां के इंजीनियरों की लापरवाही से हो रहा है। इस प्रकार अध्यक्ष महोदय रिवर साइड पावर हाउस जो है, उसमें जो एक मशीन अगस्त मास में खराब हुई थी, उसकी रिपेयरिंग टेम्परेरी की गयी है, उसका खतरा है कि पता नहीं वह मशीन कब खराब हो जाय।

आज सम्पूर्ण प्रदेश के विद्युत् कर्मचारी आंदोलन के मार्ग पर हैं। उन्होंने सरकार को हड़ताल की नोटिस दी है। सरकार ने अभी तक विद्युत् परिषद् में भी कोई उनके वेतन में एकरूपता लाने का प्रयास नहीं किया। हाइडिल का कर्मचारी दूसरा वेतन, हरदुआ का कर्मचारी दूसरा वेतन, केसा का दूसरा, पनकी का दूसरा वेतन पाता है, इन सबके वेतन में एकरूपता लाना बहुत आवश्यक है और यह काम जल्द हो जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार ने एक वेतन समिति नियुक्त किया था, उसके अध्यक्ष विद्युत् परिषद् के वर्तमान अध्यक्ष थे, तीन महीने हो गये, समय समाप्त हो गया, लेकिन उस वेतन मिति की कोई बैठक हो नहीं हुई कि जिसमें निर्णय लिया जाता। कानपुर में बिजली की जो बिलिंग है, वह इतनी असंतोषजनक है कि वहां के बिल नियमित रूप से उपभोक्ताओं के पास नहीं पहुंचते। मीटर की रीडिंग कई-कई महीने तक नहीं होती। मीटर रीडर्स अपने दफ्तर में बैठकर कार्ड भर देते हैं। जितने कानपुर के अन्दर घर हैं, उसके हिसाब से उतने मीटर रीडर्स वहां पर नहीं हैं। इस प्रकार से गलत बिल पहुंचते हैं। ६-६ महीने के बिल एक साथ पहुंचते हैं, जो गरीब उपभोक्ता है, उसको बिल के भुगतान में कठिनाई होती है। कानपुर शहर का इतना विस्तार हो गया है, कि वहां पर कलेक्शन सेन्टर इतने कम हैं, उनको अगर बढ़ाया नहीं जायगा, तो बहुत कठिनाई होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

माननीय विद्युत् मंत्री जी ने बजट प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं, जब मैं समर्थन करता हूं तो मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि बिजली एक आवश्यक अंग बन गयी है इस जीवन की। जब बिजली आवश्यक अंग बन गयी है, तो इसको इसी निगाह से देखना भी होगा। श्रीमन् बत्ती तो बुझा दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

बत्ती बुझा दिया।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

आपका विभाग जो है कामर्शियल और शोसल दोनो कम्बाइंड है। तो आपके दफ्तरों की आज जो हालत हो गयी है वह बदलनी चाहिये। आपके यहां कोई आदमी जाता है तो उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिये। कोई परेशान होकर आया है बिजली के लिये तो उसकी तकलीफ को आपको समझना चाहिये। लेकिन उससे इस तरह से बातें की जाती हैं, हमने देखा कि आपके विभाग में जब कोई आदमी जाता है तो एक एडमिनिस्ट्रेटर की साइट से उसको देखा जाता है। ऐसा मालूम होता है कि किसी प्रशासक के यहां आ गये हैं। तो जैसा मैंने मंत्री जी से कहा कि आपका विभाग कामर्शियल भी है सोशल भी है तो आप सोशल निगाह से

[श्री गनेशी लाल चौधरी]

देखें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप गरीबों को रोशनी पहुंचा सकें और गरीबों को कम पैसे पर, जिस तरह से किसानों का गेहूं कम कीमत पर बिकवाया जाता है अगर उसी तरह से आप उसको कम कीमत पर बिजली दे सकें तो मैं आपका बड़ा आभारी हूंगा।

आपके विभाग में जो रिजवशन है उस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं। मेरे सामने एक पुस्तिका है 'उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों, कार्यालयों के कर्मचारियों की कुल संख्या में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की संख्या का प्रतिशत'। अगर आप देखें तो आपके विभाग में श्रीमन् जो आपका कार्यालय है उसमें प्रथम श्रेणी में अनुसूचित जाति का कोई आदमी नहीं है। द्वितीय श्रेणी म कोई भी आदमी नहीं है। तृतीय श्रेणी में केवल १२ प्रतिशत कर्मचारी हैं। अगर राज्य विद्युत परिषद् में देखा जाय तो ६ प्रतिशत प्रथम श्रेणी में और .६ प्रतिशत द्वितीय श्रेणी में तथा ८ प्रतिशत तृतीय श्रेणी में और १२ प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं। इसी तरह से अगर आप कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई में देखें तो ६.५ प्रतिशत द्वितीय श्रेणी में है और प्रथम श्रेणी में कोई भी कर्मचारी अनुसूचित जाति का नहीं है। तृतीय श्रेणी में ८.६ प्रतिशत का रिजर्वेशन है। तो यह स्थिति हरिजनों की आपके विभागों में है। ३० वर्ष हो गये हैं, लेकिन इनकी संख्या पूरी नहीं हुई है, इसको आप भरने की कोशिश करें।

मैं आपके सामने एक्सीडेंट की बात कहना चाहता हूं। एक्सीडेंट आपके विभाग में ज्यादा हो रहे हैं। आपका विभाग बढ़ रहा है तो आदमियों और जानवरों की जानें आपके विभाग की लापरवाही से जा रही हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह से रेलवे में, रोडवेज में जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है....

श्री अध्यक्ष---

गनेशी लाल जी, यह जो आपका विभाग कहते हैं, तो मेरा तो कोई विभाग नहीं है। (हंसी)

श्री गनेशी लाल चौधरी---

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं। तो जब कोई भी आदमी आपकी कमी की वजह से मर जाय तो कम से कम १० हजार रुपये की क्षतिपूर्ति जरूर करें। एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं जब कोई एक्सीडेंट होता है तो आप इन्क्वायरी कराते हैं। मेरे यहां दो एक्सीडेंट हुये। दोनों में इन्क्वायरी कराई गयी तो जिम्मेदारी आपने किसकी फिक्स की, स्किल्ड कुली की। श्रीमन्, देखिये बड़े-बड़े इंजीनियर हैं। अगर कहीं रेल एक्सीडेंट हुआ तो मिनिस्टर इस्तीफा दे देते हैं इसलिये मैं कहूंगा कि आप नियम बनायें कि जब आपकी गल्ती से एक्सीडेंट हो तो वहां की इक्जीक्यूटिव इंजीनियर इस्तीफा दे। तब जाकर आपका विभाग कुछ ठीक हो सकता है।

यह जो आपने अभी बिजली के बिलों की करेक्शन की बात करवायी है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इसमें म आपको यह बताऊं कि आपके अफसरों की गलती की वजह से बिजली के बिलों का करेक्शन सन् ६२ से और इसके पहले से पड़ा है। रिकवरी मेमो ईशू हो जाते हैं और आदमी परेशान किया जाता है। है। बिजली नदारद है लेकिन बिजली के बिल आ रहे हैं। तो इसको देखने की क कृपा[illegible]रें।

मान्यवर, सीतापुर जिले में ए० सी० और कुछ डी० सी० के कनेक्शन हैं। तो जो थोड़े २-४ कनेक्शन डी० सी० के हैं उनको जल्दी से आप समाप्त करवा दें ताकि जो दोहरी समस्या है वह न खत्म पावे। किसानों को बिजली देने के बारे में मुझे कहना है कि उनको दिन में बिजली दें और रात में देने से उनको खेतों में पानी लगाने में तकलीफ होती है और कोई जानवर भी काट सकता है। इसलिये किसानों को दिन में बिजली दें।

मान्यवर, मुझे यह भी निवेदन करना है कि जो हड़तालें होती है और उनसे जो किसानों को नुकसान होता है जैसे गेहूं सूख गया तो आप इंश्योर करें कि यदि विभाग में हड़ताल होगी तो जो किसानों को नुकसान होगा उसकी क्षति पूर्ति हम करेंगे। इन शब्दों के साथ जो बजट प्रस्तुत है उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन् एक पुस्तिका हमारे सामने है पंच वर्षीय योजना उत्तर प्रदेश, वालूम १, १९७४ से लेकर १९७९ तक। इसके पेज १६७ से मैं शुरू करता हूं। इसमें एक नक्शा है, उसी के बाद दूसरा नक्शा है। सरकारी किताब है जिसको मैं देख रहा था।

एक सदस्य--

मान्यवर, कोरम नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

मिश्र जी, आप बैठ जायं। कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई)

श्री श्यामधर मिश्र--

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि किताब में जो एक नक्शा है उसमें ३ खाने हैं। इन्स्टाल्ड कैपेसिटी बिजली की १९५१ से लेकर १९७८-७९ तक, १९७३-७४ तक जो प्राप्ति हुई है और जनरेशन जो बिजली बेची गई। दूसरे नक्शे में कितने गांव और टाउन में बिजली दी गयी। आप देखें कि १९५०-५१ में नक्शे के अनुसार एक हजार मेगावाट के लगभग भी बिजली नहीं थी और आज इन्स्टाल्ड कैपेसिटी १९७३-७४ में २ हजार मेगावाट है। १९७८-७९ में जो चौथी पंच वर्षीय योजना का उद्देश्य बनाया गया। चार वर्ष पहले उसमें ४ हजार किलो मेगावाट का लक्ष्य रखा। इसी प्रकार जनरेशन में संख्या है।

दूसरा नक्शा यह है कि टाउन्स और गांव जिनके विद्युतीकरण हुये थे १९६० से पहले गांव कोई नहीं थे। १९६० से शुरू होता है। इस नक्शे के अनुसार २ हजार गांव में लगी और अब ३० हजार जो गांव वह कहते हैं, वह पूरी तरह इलेक्ट्रोफाइड नहीं है। और उद्देश्य रखा गया सन् १९७८-७९ तक करीब ७५ हजार का। उसी तरह से टाउन्स का है।

मान्यवर, यह एक दूसरी पुस्तिका है "उत्तर प्रदेश में विद्युत प्रसार" १९७६-७७ में इसके अनुसार १४०१ करोड़ की पूंजी लगी है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्याम धर मिश्र---]

विद्युत् में आज तक सालाना २०० करोड़ का काम होता है। इसके माने यह है कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संस्थान है। अब आप श्रीमन् देखें कि ५१/५२ में ०.१७९ मिलियन किलोवाट, इसके माने करीब डेढ़ लाख यूनिट बिजली थी। आज क्या है? माननीय मंत्री जो ने स्वयं बताया १९०० मेगावाट प्रोडक्शन। इसके माने यह कि करीब २५ वर्षों में १५ गुना उत्पादन ज्यादा हो गया और क्षमता २५ गुना हो गयी। मैं यहां उत्पादन की बात पर ज्यादा जोर दे रहा हूं।

एक बात और कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में २५ वर्ष के अन्दर बिजली पैदा हुई है २ हजार मेगावाट वह उतनी ही है जो भारत में आजादी के बाद थी। आज वहां करीब २० हजार मेगावाट के हो गयी यानी १० गुना हो गयी और हमारे यहां भी कुछ ऊपर हुई है। यह संख्या मैं आपके द्वारा दी गयी पुस्तिकाओं से ही ले रहा हूं, इधर-उधर के आंकड़े नहीं हैं। ५१/५२ में ७ यूनिट प्रति व्यक्ति कंजम्पशन होता था। ५९ की संख्या है पूरे भारतवर्ष में ८६ की। इतना कह सकता हूं कि पूरे भारत में और पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली कम है। लेकिन यह भी सही है कि जितना फीसदी इस विभाग में पैदावार इस २५ वर्षों में बढ़ी करीब-करीब हजार परसेन्ट के ऊपर बढ़ी है। न सिंचाई में इतनी बढ़ोत्तरी हुई, न सड़कों में हुई, न किसी और दूसरे विभाग में हुई। केवल इस विभाग में इतनी बढ़ोत्तरी है, लेकिन फिर भी यह कम है। क्यों कम है, उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पावर एनर्जी सर्वे कमीशन और पावर इकनोमी कमेटी की रिपोर्ट मेरे सामने है। सेन्टर और स्टेट्स ने भी यहां गतियां कर दी। इन्होंने यह लगा दिया कि और चीजों की आवश्यकता ७, ८ परसेन्ट बढ़ेगी और पावर की १५ या १६ परसेन्ट बढ़ेगी। इसलिए अगर बहुत बढ़ाया तो पन्द्रह-सोलह परसेन्ट बढ़ाया। लेकिन, श्रीमन्, यह भी बहुत कम निकला। उत्तर प्रदेश में १५/१६ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के हिसाब से बिजली नहीं घटनी चाहिये लेकिन हुआ क्या? जो बात प्लानिंग कमीशन की थी और जो बात यहां की थी, दोनों गलत साबित हुयी। साबित क्या हुआ? करीब २२ प्रतिशत हर साल हुयी और यह क्षमता इसी हिसाब से बढ़ती तो हम मीट करते।

तो तृतीय पंच वर्षीय योजना में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में और पंचम पंचवर्षीय योजना में कमियां हो गयीं, जिनका परिणाम उत्तर प्रदेश भोग रहा है और पूरा देश भोग रहा है यह आज भी मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिये नहीं कह रहा हूं बुराई करने के लिये या तारीफ करने के लिये नहीं कह रहा हूं। आज जो सरकार केन्द्र में है, उसी तरह की सरकार प्रान्त में है। अगर इसको इस साल, अगले साल स्थिति को सुधार लें और २५ प्रतिशत हर साल इसको बढ़ाकर कम से कम ५ वर्षों में १५० प्रतिशत इन्सटाल्ड कैपेसिटी बढ़ा दें तब तो पांच वर्षों में कर सकेंगे, नहीं तो केवल बयान देने से नहीं होगा। बयान तो दिया था कि २४ घण्टे देंगे, लेकिन नहीं दे पाये, आपकी दिक्कत है। मान्यवर, मैं इस पुस्तिका में जो उत्तर प्रदेश में विद्युत् प्रसार के सम्बन्ध में है, इसके पहले पेज पर लिखा हुआ है :---

"ज्ञातव्य है कि वर्ष १९७४-७५ में २९० मेगावाट (ओबरा तापीय १०० मेगावाट, छिबरी-१८० मेगावाट, कुलहल-१० मेगावाट-२९० मेगावाट) तथा वर्ष १९७५-७६ में २४६ मेगावाट, क्षमता की नई मशीनें चालू की गई थीं। इस प्रकार, पंचम पंच वर्षीय योजना काल में प्रथम तीन वर्षों में ९४८ मेगावाट

की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता प्रणाली में जोड़ दी गयी है । कुल तीन वर्षों में एक हजार मेगावाट जोड़ दिया गया। यह वह किताब है जो माननीय मंत्री जी ने प्रसारित किया है ।

उसमें आगे लिखा है कि--

"यद्यपि वर्ष १९७६–७७ में वर्ष १९७४–७५ की अपेक्षा ४५ प्रतिशत तथा वर्ष १९७५–७६ की अपेक्षा २१ प्रतिशत अधिक विद्युत् उत्पादन हुआ परन्तु फिर भी इस वर्ष बिजली की भारी कमी रही जिसका मुख्य कारण है गत दिसम्बर, १९७६ में विद्युत् प्रणाली पर पड़ने वाला अत्यधिक भार जबकि प्रणाली द्वारा अधिकतम वार्षिक विद्युत् मांग की पूर्ति की जा रही थी और अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का कोई प्रबन्ध नहीं था ।"

मतलब कहने का कि दो वर्षों में ४५ प्रतिशत बढ़ायी गयी और एक वर्ष में २१ प्रतिशत बढ़ायी गयी, जो इस किताब म लिखा हुआ है पृष्ठ एक पर जिसको देख लिया जाय । फिर भी आज कमी है । यह कमी किस कारण है ? यह गल्ती आजकी नहीं । जब शून्य से खड़े हैं तो इन २५ वर्षों में बिजली में क्या होगा ? मान्यवर, मैं वाराणसी में एक गांव का रहने वाला हूं । इलाहाबाद के मालवीय जी हैं और वाराणसी के वह हैं । इन दोनों के बीच का रहने वाला हूं । मैं कहीं बिजली देखता था तो वाराणसी में या इलाहाबाद में । मैं अपने जीवनकाल की बात कह रहा हूं । १९५४ से बिजली देखा है कि टाउन एरिया और म्युनिसपैल्टीज में आयी है और १९६० से देखा है कि गांवों में आयी है । आज आपकी ही किताब म कहा गया है ।

श्री अध्यक्ष—

क्या मिश्र जी को उसमें कुछ संदेह है, जो बार–बार किताब को देख रहें हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी ने कहा, तो मैं बैठा था । उस तसवीर को दिखा रहा था जिस में कहा कि सात हजार हरिजन गांवों और तीस हजार गांवों में विद्युतीकरण हो चुका है । मैं जानता हूं कि तीस हजार के माने....

एक सदस्य—

कटौती के प्रस्ताव का विरोध करिये....

(लाल बत्ती जलने पर)

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, बड़ी मुश्किल है....

श्री अध्यक्ष—

आप दो मिनट और बोलिये....

श्री श्यामधर मिश्र—

तो मैं श्रीमन्, कह रहा था कोई अनुपयुक्त बात करें तो आप श्रीमन् रोकिये । मैं कह रहा था कि एक यह कारण है कि सचमुच उतना प्रोडक्शन नहीं

[श्री श्याम धर मिश्र]

हुआ जितना होना चाहिए और २० प्रतिशत, २५ प्रतिशत हर साल ग्रोथ रेट आगे की जाय। इसलिए मैं पिछली बात कह रहा हूं।

दूसरी बात श्रीमन् मैं यह कहूंगा कि घाटा है। एक तो ट्रान्समिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बहुत कम हैं। अब केवल चौथी पंच वर्षीय योजना में, इस किताब में स्वयं लिखा है। आप न एक मिनट दिया है पढ़ देता हूं, केवल चौथी पंच वर्षीय योजना से जोर दिया जा रहा है कि जितना जनरेशन पर खर्चा हो उतना ही ट्रान्समिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर खर्चा हो। बड़े-बड़े इंजीनियर लोग बैठे, गवर्नमेंट आफ इंडिया योजना के इंजिनियर बैठे और वे इस नतीजे पर आये कि बिजली के उत्पादन में फायदा तब होगा जब बड़े-बड़े ट्रान्समिशन लाइन से फीड किया जाय डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से न फीड किया जाय। यही यहां नहीं हुआ। नुकसान हो रहा है।

उत्तर प्रदेश में एक जमाना था। सन् १९६५ तक ३३ फीसदी लास हो जाता था बिजली का अब २२ फीसदी एवरेज है। ज्यादा है। नेशनल एवरेज १७-१८ है। मैं नहीं जानता इस का कारण क्या होगा? मेरी मांग होगी माननीय मंत्री जी से, मैं सुझाव दूंगा कि सेन्ट्रल जनरेशन हमारे प्रदेश में बहुत कम है सेन्ट्रल के फन्ड से जनरेशन, जैसे मुगलसराय में है, गोरखपुर में है, बदरपुर पावर स्टेशन है, जैसे एक दो जगहें और हैं। मुगलसराय, गोरखपुर में वहां झरिया और रानीगंज के पास कोयला है, भिर्जापुर के पास कोयला है वहां से ले कर तीन-चार सौ करोड़ फील्ड ले कर जनरेट करें और बिहार, उत्तरी भारत, यू० पी० को दें। इसकी सेन्ट्रल से मांग करनी चाहिए आपको। यह प्लान के अतिरिक्त होगा। वैसे ही श्रीमन् मैं यह कहूंगा कि....।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप श्यामधर जी, समाप्त कीजिए....।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, उद्योग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं एक दो प्वाइन्ट। समाप्त कर रहा हूं। यह कहना चाहता हूं कि नुकसान क्यों हो रहा है। इसमें एक वाक्य मैंने देखा कि १,४०० करोड़ की लागत में २०० करोड़ का काम। यह तो रहेगा। पूरे देश में ऐसा है लेकिन क्या कारण है? श्रीमन् यहां एग्रीकल्चरल इकानामी है। एग्रीकल्चरल इकानामी में जो उपयोग होता है बिजली का इण्डस्ट्रियल इकानामी से उसमें ज्यादा पैसा मिलता है। इण्डस्ट्रियल इकानामी ज्यादा करते हैं। अब सरकार इसके लिए क्रेडिट ले रही है कि अलम्यूनियम फैक्टरी को ८५ मेगावाट नहीं दे रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप क्रेडिट तो लें लेकिन मैं तो यह कहूंगा श्रीमन् कि क्रेडिट की बात नहीं है। आप ने ८५ मेगावाट काट दी हिन्डालको एल्यूमिनियम के लिए। हिन्डालको तो उद्योग है। आप उद्योग कीजिए तो नतीजा क्या होगा? आप की बिजली का भी काम कम होगा। चाहिए यह है उत्तर प्रदेश सरकार को कि उद्योग का काम बढ़ायें, गांवों का काम, हरिजन बस्तियों का काम बढ़ावें तब आप को फायदा होगा। इन शब्दों के साथ श्रीमन् आप को परेशान न करके बैठ जाता हूं वैसे सुझाव तो बहुत हैं। मैं तो रचनात्मक सुझाव दे रहा हूं और मैनेजर सिंह जी परेशान व्यर्थ हैं।

(श्री हरगोविन्द सिंह का नाम पुकारे जाने पर तथा श्री सुखपाल पाण्डेय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये । आप तो बराबर बोलते ही हैं । ऐसे सदस्यों को अवसर मिलना चाहिए जो नहीं बोलते हैं ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

बाद में दे दीजिए....

श्री हरगोविन्द सिंह (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली का बजट जो माननीय मंत्री जी ने पेश किया है परम्परा के अनुसार उसका समर्थन करता हूं ।

लेकिन हार्दिक समर्थन तब करूंगा जब किसानों के गेहूं को चार पानी कम से कम मिल जायं, उनका गन्ना पिर जाय और उनका गेहूं निकल जाय । यह संयोग की बात है कि जनता पार्टी की सरकार जब बना तभी वर्षा शुरू हो गयी थी और उसके साथ ही ग्रामों मे जितना बिजली का अभाव था उतनी ही बिजली की बहुतायत देखन में आई । लेकिन एक कहावत है नाऊ-नाऊ बाल कितने । उसने कहा जजमान फिक्र मत करो थोड़ी देर में सब आगे आये जाते हैं । मंत्री जी ने बिजली की योजना सदन के सामने रखी । उसका असली पता तब लगेगा जब किसानों के खेतों को पानी मिल जायगा, उनका गन्ना पूरी तरह से पिर जायगा और गेहूं की फसल सही सलामत उनके घर में आ जायगी । बिजली अन्धेरा दूर करती है लेकिन इस बिजली के विभाग में बहुत बड़ा अन्धेरा है । वैसे यह कहा जाता है कि चिराग के तले अन्धेरा होता है लेकिन बिजली में बिजली के ऊपर अन्धरा होता है । ऊपर से मेरा अभिप्राय अधिकारियों से है । इसमें जितना भ्रष्टाचार है वह ऊपर ही ज्यादा है । गांव में एक कहावत है सरकार के हर महकमें में ९ गाड़ी अन्धेर है लेकिन लोग कहते हैं कि बिजली के महकमे में १०० गाड़ी अन्धेर है लेकिन १०० गाड़ी अन्धेर बैल गाड़ी का नहीं रेल के डिब्बे का अन्धेर बतलाते हैं । मेरा अभिप्राय यह है कि बिजली में जो अन्धेर है, जो करप्शन है मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि विपक्ष जिस बात के लिये तीस साल से चिल्लाता रहा और दूर नहीं कर सका उसे वह अपने इस विभाग से दूर करेंगे ।

मैंने बिजली के बिलों को देखा है । उस पर लिखा होता है भूल-चूक लेनी देनी । जैसे एक छोटा सा व्यापारी किसी की गांठ काटता हो और उसके बिल पर लिख देता है भूल-चूक लेना देनी, उसी तरह से बिजली के मुहकमे के बिलों पर भी यही लिखा रहता है । जब विभाग का यह काम पढ़े-लिखे क्लर्कों को दिया जाता है तो ऐसी घटिया बात उन बिलों पर नहीं लिखी जानी चाहिये । जितनी बिजली उपभोक्ता ने खर्च की हो उतने ही हिसाब का बिल उसके पास जाना चाहिये । अगर वह अधिक जाता है तो यह विभाग की कमजोरी है । मैंने देखा कि हमारे यहां के किसान पर ६०० रुपये का बिल जाना चाहिये था लेकिन उस पर ६ हजार लिख कर भेज दिया गया । वह किसान घबड़ाया हुआ मेरे पास आया । मैंने जा कर देखा तो ६०० पाया । इस तरह की धांधली इस मुहकमे में चलती है । इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाय । एक और समस्या है रिकार्ड की । इसमें भी बड़ा अन्धेर होता है । माननीय मंत्री जी को आगाह करना चाहता हूं कि सारे रिकार्ड को सुरक्षित रखा जाय । कहीं ऐसा न हो विभागीय

[श्री हरगोविन्द सिंह]

अधिकारी उस रिकार्ड को जला दें । मुरादाबाद जिले में बिजली में जो अनियमितताएं और धांधलेबाजी हुई उनको छिपाने के लिये वहां के अधिकारियों ने वहां के बहुत से रिकार्ड को जला दिया । अब कोई किसान ५ साल पहले की बात पूछने जाता है तो उनके पास एक ही उत्तर है कि तब का रिकार्ड जल गया है ।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजली के दामों में वृद्धि हो रही है । किसान को इससे बहुत नुकसान हो रहा है, उसको दूर किया जाय । पहले ६० रुपये हार्स पावर का दाम उसे देना पड़ता था और मीटर लगवा दिया गया था लेकिन अब सरकार ने उसको १२ रुपये प्रति हार्स पावर प्रति माह कर दिया है जो बहुत ज्यादा है । यह ८ रुपये से किसी भी दशा में ज्यादा नहीं होना चाहिये । जो लोग बिजली का बिल जमा करने जाते हैं और उस पर जो रिबेट दी जाती है अगर ड्यु डेट पर रुपया जमा नहीं होता है तो वह रिबेट खत्म हो जाती है । यह उस ब्याज से भी जबरदस्त होता है जो गांव का महाजन लिया करता था । उसको कम से कम १५ दिन की छूट होनी चाहिये अगर कोई ड्यु डेट पर जमा नहीं कर सके तो उसके लिये यह छूट हो कि वह १५ दिन के अन्दर अगर बिल जमा कर दें तो भी उसको रिबेट मिलेगा । एक बहुत बड़ा अंधेर चल रहा है किसानों के पास बिल आते हैं कि तुम्हारी बिजली १० हार्स पावर की जगह १२० हार्स पावर की हो गई है किसान चिल्ला रहा है नहीं साहब मेरे पास इतनी हार्स पावर की नहीं है मेरे मीटर की जांच कर ली जाय । लेकिन पहले जो अभियान चलाया था मीटर की जांच करने का उन लोगों ने ठीक से नहीं किया और जो लिख दिया गया वह अमर हो गया और अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं यह ५ हार्स पावर की नहीं है । तो वह ठीक नहीं हो रहा है । बिलों में बड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं, उसको भी जांच की जाय । आपके जो इलेक्ट्रिक सबडिविजन हैं वहां पर जो जूनियर इंजीनियर हैं उनके पास कोई सामान नहीं है न तार है न केबिल हैं वे बेचारे कहते हैं कि कनेक्शन तो हम दे दें पर हमारे पास केबिल नहीं है ।

एक ओर बात है कि बिजली विभाग में जो ऊंचे-ऊंचे अधिकारी हैं वह अपने होम डिस्ट्रिक्ट में टिके हुए हैं वह बहुत बड़े-बड़े घोटाले कर रहे हैं । मुरादाबाद जिले में एक अधिकारी वहीं के हैं उन पर दो आरोप हैं एक आरोप तो यह है कि उनके खानदानी सगे भाई हैं उनका क्रशर चलता था उसमें जो बिजली प्रयोग होती थी वह अनअथराइज अंडर ग्राउन्ड थी। यह मामला सामने आया चूंकि वह बड़े अधिकारी हैं इसलिए दबा दिया गया । साथ में जिस जूनियर इंजीनियर ने यह घोटाला पकड़ा उस बेचारे का ८ बार ट्रान्सफर हो चुका है और वह किस तरह से टिक पाया है। दूसरा आरोप यह है कि जैसे कि खानदानी रागद्वेष चलता है उनके किसी खानदान के आदमी की सरिया की मिल थी बहुत बड़ा बिल बना कर भेज दिया आखिर में उसको सरिया के उद्योग को बन्द करना पड़ा वह इसलिए हुआ कि वह लोकल आदमी हैं और अपने घरवालों को पनाह देते हैं जिन पर नाराज थे उनसे बदला लेते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय हरगोविंद सिंह जी, आप समाप्त करें ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

उस अधिकारी का नाम बता दें ।

श्री हरगोविन्द सिंह--

टंडन साहब हैं। इसके अलावा जो बिजली का रोस्टिंग है वह ६ बजे से १० बजे तक नहीं होना चाहिए इस समय वह न रखा जाय १८ घंटे बिजली किसानों को कम से कम मिले। गांवों मे विद्युतीकरण किया जाय। हम शहरों में देखते हैं कि वहां गली कूचों में बिजली रहती है लेकिन गांवों में अंधेरा पड़ा रहता है। ऐश्वर्य के लिए जो बिजली खर्च की जाती है उस पर ५ गुना ज्यादा चार्ज लगाया जाय और किसानों के लिए उसका रेट कम किया जाय।

एक मेरा सुझाव यह भी है कि जो एग्रीमेन्ट फार्म होता है वह हिन्दी में होना चाहिए जिससे गांव का साधारण आदमी भी उसे समझ ले कि मुझे एग्रीमेन्ट के हिसाब से क्या-क्या चीजें बिजली मुहकमें से लेनी है जिस तरह से वह दूसरे मुहकमों से लड़ सकता है वहां इसमें भी वह लड़ सके और अपनी चीज को ले सके।

श्री अध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हुआ।

*श्री जागेश्वर (जिला फतेहपुर)---

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से जो बिजली विभाग का बजट पेश है उसका समर्थन करता हूं और उधर से जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसका विरोध करता हूं। मैं अपने क्षेत्र के विषय में चर्चा करना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र फतेहपुर जिले में किशनपुर है जो करीब २० मील लम्बा होगा और यमुना के किनारे वह बसा है। यह फतेहपुर से इलाहाबाद के बार्डर तक है। वहां एक गढ़ा कोट है जिसकी २० हजार की आबादी है वहां बिजली नहीं है। एक सिरकड़ी गांव है वहां कम से कम तीन सौ मजरे होंगे और २० हजार आबादी है वहां भी बिजली नहीं है। एक सातों गांव है जहां ४ प्रधान हैं वहां भी २० हजार की आबादी है वहां भी आज तक बिजली नहीं गई और यमुना के किनारे के विषय में निवेदन किया था, किन्तु आजतक न तो कोई वहां पर सड़क बनी और न कोई सिंचाई के साधन हुए हैं। आज हमारे क्षेत्र की जनता परेशान हुई है। कांग्रेस सरकार के तीस साल के शासन में वह कुछ नहीं कर पायी, हमारे क्षेत्र में कोई तरक्की नहीं हुई। मेरे क्षेत्र में कोई भी भला आदमी जीप तक ले जाना चाहे तो वह भी नहीं जा सकती है। मुझे अपने क्षेत्र में चुनाव के दिनों में साइकिल पर दौरा करना पड़ता है। इसलिए मेरी सरकार से अपील है कि मेरे क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया जाए। यह हमारी हार्दिक अपील है और मेरा आपसे निवेदन है कि विशुनपुर, जो टाउन एरिया है और जमुना का किनारा है, उधर बांदा जिले का बार्डर पड़ता है और इधर किशनपुर और साथ ही धाघरा की टाउन एरिया पड़ती है और नौबस्ता के होते हुए ऊंचाहार, जिला रायबरेली में पड़ता है, उस पर ध्यान दिया जाए। आज हमीरपुर में जो नदी थी, उस पर पीपों का पुल बन गया, लेकिन मैंने कई बार निवेदन किया कि वहां पर बनवाने से सरकार को भी लाभ होगा और यात्रियों को भी लाभ होगा किन्तु ध्यान नहीं दिया गया है। मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र किशनपुर में पुल अवश्य बना दिया जाए। उधर छोटेलाल जी, उपमंत्री जी के क्षेत्र में जो हिस्सा पड़ता है, वहां पर भी गंगा जी पर एक पुल बनवा दिया जाए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जागेश्वर]

बिजली के बारे में मेरे साथियों ने जो शिकायत की कि बड़ा भ्रष्टाचार है, तो वाकई में बड़ा भ्रष्टाचार है, लेकिन मन्त्रियों से हमारी अपील है कि ३० साल की हुकूमत में पिछली सरकार न कुछ नहीं किया है और न भ्रष्टाचार के बारे में कुछ किया। किन्तु जनता पार्टी ने वायदा किया है कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, किसान को कोई अधिकारी परेशान करते हैं तो उनके खिलाफ मंत्री जी को लम्बे कदम उठाने चाहिए। कोई कर्मचारी सरकार को धोखा देता है तो उसके विषय में भी भारी और गम्भीर कदम उठाने चाहिए। यह हमारी सरकार से अपील है, में उनका बड़ा शुक्रगुजार हूं।

श्री मूलचन्द्र ठाकुर (जिला मुजफ्फरनगर)---

आज विद्युत् का जो बजट चल रहा है, वह उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जिस समय बिजली की योजना बनाई गयी थी, यह सन् ४६ था, उस समय प्रत्येक व्यक्ति को ७ यूनिट मिलती थी, उसके बाद योजनाएं चलाई गयीं और आज हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को ४५ यूनिट बिजली प्राप्त हो रही है। लेकिन योजना के अनुसार ९० यूनिट प्राप्त होनी चाहिए थी। इस कमी के कारण उत्तर प्रदेश की पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। यहां एक-दो सालों के अन्दर हिन्दुस्तान को १५ अरब रुपये का गल्ला विदेशों से मंगाना पड़ा। तो इसको देखते हुए मैं विद्युत् मंत्री जी से कहूंगा कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की क्षमता है, उसको कायम रखना चाहिए और जो इसमें कमियां हो रही हैं, उनको पूरा करना चाहिए।

उत्पादन हमारे उत्तर प्रदेश में तीन जगह से प्राप्त हो रहा है, एक तो हायड्रोइलेक्ट्रिक से १ हजार अड़सठ (१,०६८) मेगावाट बिजली मिलती है, दूसरे थर्मल विद्युत् से १,५३२ मेगावाट बिजली मिलती है और तीसरे डीजल व गैस से १५ मेगावाट बिजली मिलती है। इस प्रकार कुल २,६१५ मगावाट बिजली उपलब्ध हो रही है, जबकि यहां पर और ज्यादा होनी चाहिए। जबकि यहां पर डिमान्ड ४ हजार मेगावाट की है। इस प्रकार उत्पादन में और यहां की जरूरत में बहुत बड़ा अन्तर है। इसलिए विद्युत् मन्त्री को यह चाहिए कि इसके उत्पादन को युद्ध स्तर पर तैयार करके और बढ़ा कर देश के अन्दर लगाएं। प्रदेश में तीस साल के बाद आज तक केवल ३० प्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण में आ सके हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जनता पार्टी ने जो अपने इलेक्शन में वायदे किये हैं कि हम बेरोजगारी को मिटायेंगे, गरीबी को हटायेंगे, तो उसके लिए केवल एक ही रास्ता है, छोटे-छोटे उद्योग धंधे लगवाए जायं प्रत्येक गांव में और वह उद्योग धंधे तभी चल सकते हैं जब की पूरी मात्रा में हमें बिजली मिल सके। हम देख रहे हैं कि अन्न के मामले में उत्तर प्रदेश इतना अन्न पैदा नहीं करता जितना प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से अनाज मिल सके।

मैं उत्पादन के लिए एक बात कहना चाहता हूं। अगर सरकार इंडस्ट्री वालों को यह इजाजत दे दें कि अपनी इंडस्ट्री के इस्तेमाल के लिए वह स्वंय बिजली पैदा करें। उसके बाद वहां पर जो बिजली उनकी इंडस्ट्री से ज्यादा हो, उसका डिस्ट्री-ब्यूशन हमारी विद्युत परिषद् करे। इस प्रकार इंडस्ट्रीज में जितनी बिजली लगी हुई है वह सारी देहात में दे दी जाय और जिससे बिजली के कुएं अच्छी प्रकार चल सकते हैं और पैदावार बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त आज विद्युत् विभाग के अन्दर जो दोष आये हैं हम देख रहे हैं, कि यदि किसी लाइन के तार टूट जाते हैं तो लाइन के तार टूटे पड़े रहते हैं, जब तक उस अधिकारी, लाइनमैन, पेट्रोलमैन या लाइन इंस्पेक्टर को पैसा नहीं दिया जाता है। उस समय तक वह लाइन नहीं जोड़ी जाती है। फीडर भी सुचारु रूप से नहीं चलाये जाते हैं। मीटरों की रीडिंग अच्छे प्रकार से नहीं ली जाती है। मीटर रीडर घर पर बैठे मीटर की रीडिंग

लिख देता है । इससे किसान बड़ी परेशानी में पड़ जाता है । बिलों का हाल यह होता है कि समय पर बिल नहीं भेजे जाते ह और बिल लिपिक के पास आ जाने की वजह से जो निर्धारित समय है वह खत्म हो जाता है और उससे भ्रष्टाचार उत्पन्न हो जाता है । विद्युत् भंडारों से माल चोरी किया जाता है। फिर वहां पर यह कहा जाता है कि हमारे पास कोई सामान नहीं है । बल्कि वह प्राइवेट फर्मों के अन्दर सामान बेचा जाता है । इसके अलावा बिजली में इतनी ट्रिप्स आती है, कि जब किसान के यहां पानी पहुंचता है तो ट्रिप्स आने की वजह से पानी का सदुपयोग नहीं कर पाता । और बार-बार ट्रिप्स आने की वजह से विद्युत् बहुत नष्ट हो जाती है । इसके अलावा मैं विद्युत् मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो दोष हैं इनको ध्यान में रखते हुए तुरन्त कार्यवाही की जाय ।

इसके अलावा योजनाएं जो हैं, कई प्रकार की चली हुई हैं जैसे ग्राम विद्युतीकरण जिसके अनुसार बहुत से लोग बिजली पा सकते हैं लेकिन उनको बिजली नहीं दी जा रही है । आर० ई० सी० स्कीम है । उसको भी सुचारु रूप से नहीं चलाया जा रहा है । जनपद मुजफ्फरनगर में शामली के एग्जिक्यिटिव इंजीनियर ब्लाक उदंड तथा ब्लाक थाना भवन क्षेत्र में आर० ई० सी० स्कीम को पूरा नहीं कर रहे हैं । मेरा कहना है कि उसको पूरा किया जाय । इसके अलावा एक जनता सर्विस कनेक्शन स्कीम है ।

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप समाप्त कीजिये ।

मूलचन्द ठाकुर--

उसके अन्दर बड़ी परेशानी है । यह मिलिटरी में वीर गति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं और गरीबों के लिए बनायी गयी थी । लेकिन इनको भी बिजली नहीं मिल रही है । अतः इस ओर भी तुरन्त ध्यान दिया जाय ।

हमारे यहां शामली में लाखों रुपये का घोटाला किया गया है वहां फर्जी रसीदें काटकर रुपया ले लिया गया । माननीय विद्युत् मन्त्री जी इस ओर तुरन्त ध्यान देने की कृपा करें और इसकी जांच करायें ।

मान्यवर एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि रिहन्द बांध में कभी-कभी ऐसा होता है कि पानी का लेविल कम हो जाने के कारण बिजली के उत्पादन में कमी आ जाती है आप यदि सुचारु रूप से चलाने की व्यवस्था करें जिससे आवश्यकता पड़ने पर बिजली को पूर्ति की जा सकें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय विद्युत् मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

इस पर अब वाद-विवाद समाप्त हुआ । अब कोई वाद-विवाद होना सम्भव नहीं है । (व्यवधान) आप लोग कृपया बैठ जाइये । माननीय मन्त्री जी को स्वयं ४५ मिनट से १ घंटे का समय चाहिए । मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिन माननीय सदस्यों के सुझाव नहीं आ पाये हैं, वे कृपया अपने सुझाव लिखाकर माननीय मन्त्री जी को दे दें और मन्त्री जी उन पर विशेष ध्यान देने की कृपा करें ।

श्री सुखपाल पान्डेय--[***] (व्यवधान) ।

नोट--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

सुखपाल जी ने जो कुछ कहा है वह प्रोसीडिंग से निकाल दिया जायगा। आप रोजाना चाहते हैं कि आपको समय दिया जाय आप बठ जायें।

श्री सुखपाल पान्डे—[***]।

श्री अध्यक्ष—

सुखपाल जी ने जो कहा वह प्रोसीडिंग का भाग नहीं होगा।

श्री सुखपाल पान्डेय—[***]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये आप अपना स्थान ग्रहण करिये।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—(जिला बाराबंकी)—

[* * *]

श्री अध्यक्ष—

श्री सुखपाल पान्डेय और श्री सुन्दर लाल दीक्षित ने जो कहा वह प्रोसीडिंग का भाग नहीं होगा। (व्यवधान)

*श्री रियासत हुसैन—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन के सम्मानित सदस्यों का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव पर बाद-विवाद में भाग लिया। मैंने पहले भी कहा कि एक तरह से मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन माननीय विद्युत् मन्त्री जी ने अपने भाषण में किया।

श्रीमन् बिजली का सारा काम कामर्शियल बेसिस पर चलता है लेकिन आज तक मैं एक बात नहीं समझ पाया जब कि माननीय सदन में इस बात पर पहले भी काफी चर्चा होती रही है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। माल थोड़ा और मांग ज्यादा। आपके इस पूरे विभाग में भी यही हाल है कि बिजली थोड़ी और मांगने वाले ज्यादा आज भी वेटिंग लिस्ट में हर शहर में और हर गांव में चाहे ट्यूबवेल वाले हों या इंडस्ट्रियल वाले, सबकी लाइन लगी होगी माल के लिए लेकिन माल थोड़ा और मांग ज्यादा होने के बावजूद भी यह विभाग बहुत बड़े घाटे में चल रहा है। केवल इसकी वजह जो मैंने और अन्य माननीय सदस्यों ने बतलायी इसमें और अन्य मुहकमों में इतना फर्क है कि और मुहकमों में तो करोड़ों और लाखों का घोटाला होता है, लेकिन और इसमें जोड़ा जाय तो अरबों में बैठेगा और वह गड़बड़-घोटाला यह नहीं है कि उसका पता ही न हो कि वह गया कहां ?

मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वह घाटा सिर्फ मिस्प्लेसमेंट है, जो रुपया है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नाम से किसी बैंक में जमा होना चाहिए था, वहां न जाकर उस बोर्ड के छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े-बड़े जो चीफ इंजीनियर और चेयरमैन हैं उनकी जेबों में चला गया। अगर आपके अन्दर शक्ति

नोट—[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है तो आप उनकी जेबों में से उसको निकाल लीजिए, घाटा पूरा हो जायगा। श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि इस घाटे को निकालने के लिए आपको जुडीशियल कमीशन अप्वाइन्ट करना ही पड़ेगा। जब तक आप जुडीशियल कमीशन सारे बोर्ड के कायक्रमों को देखने के लिए, जो माल खरीदते हैं उनकी जांच करने के लिए नहीं मुकर्रर करेंगे। यह तो कमीशन अप्वाइंट करने का युग है, बिवाय इसके कुछ और नहीं है, तो एक जुडीशियल कमीशन अप्वाइंट करने की उसके लिए घोषणा कर दीजिए और श्रीमन् जैसा कि सभी की मांग है, इधर के ही नहीं, आपकी तरफ के भी बैठने वाले माननीय सदस्यों की अब तक करोड़ों रुपया इस माननीय सदन ने इस बोर्ड को कर्जे की शक्ल में देने की स्वीकृति दे दी, लेकिन उसके बाद कहीं भी जांच-पड़ताल, देख-भाल, कहीं कुछ नहीं।

तो फिर दोहरा रहा हूं माननीय सदस्यों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को देखते हुए कि जब तक आप इस बोर्ड का तुरन्त पुनर्गठन नहीं करेंगे और इसको इस आधार पर करें कि जो वर्कस हैं ६० हजार, उनका रिप्रेजेंटेटिव हो, जो कैज्यूमर है उनका रिप्रेजेंटेटिव हो, जो विधान सभा के माननीय सदस्य हैं उनका रेप्रेजेंटेटिव हो, कौंसिल में जो रुपया मंजूर करते हैं ऋण के लिए हर साल बहस करते हैं, उनका नुमाइंदा हो और जो आपके इंजीनियर्स हैं उनका भी नुमाइंदा हो जब इस तरीके से पुनर्गठन होगा तब मालूम होगा उस बोर्ड के काम करने वाले लोगों को कि जो कुछ हम करेंगे उसको देखने वाले दूसरे लोग भी मौजूद हैं। यह बहुत ज्यादा जरूरी है।

आपने कहा कि १४ हजार ट्यूबवेल्स को पानी दें तब भी १२०० मेगावाट की जरूरत होगी, जोकि किसानों से सम्बन्धित हैं। इसके माने यह हुए कि आपका लक्ष्य ३,२२१ मेगावाट का, उसमें से १२०० निकाल करके फिर जो आगे बचेगा २,०२१ वह इंडस्ट्री में और दूसरे इस्तमालों में आ जायगा। कहने का मतलब यह है कि फिर भी किसान ट्यूबवेल वाला छोटा हिस्सेदार रहेगा और बड़ा हिस्सेदार जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसको आप बावजूद इसके कि सदन के अन्दर हिंडालको का इतना ईश्यू और झंझट चला और आज भी जो रेट्स हैं उसके लिए वह बहुत कम हैं, १० पैसा प्रति यूनिट हैं और किसान को जो मिनिमम गारंटी लगायी है उसका हिसाब लगाया जाय तो १२ रुपया पर हार्स पावर है उसके हिसाब से और जो सर्विस कनेक्शन हैं उसका भी बहुत ज्यादा पड़ता है।

तो कहने का मतलब यह है कि आज भी वह लोग जिन्होंने बराबर फायदा उठाया जिनके ऊपर आज भी ५० करोड़ रुपया बकाये के हैं और ४० करोड़ रुपया उन लोगों के ऊपर जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं जो चोरी करते हैं, जिनके ताल्लुकात हैं बड़े बड़ों से, जैसा कि हरगोविन्द सिंह जी ने जो कांठ के सदस्य हैं उन्होंने हवाला दिया, मैं समझता था कि उसकी कुछ न कुछ इंक्वायरी करके कुछ उस सिलसिले में हो चुका होगा। लेकिन खेद है कि अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ। उस विषय की ओर आप खासतौर से ध्यान दें। आज रेलवे को छोड़ कर बिजली बोर्ड सब से बड़ी पब्लिक अंडरटेकिंग है। लेकिन क्या हमारा बिजली बोर्ड हरियाणा के बिजली बोर्ड की जूठन खाने के लिए बना है कि जो खम्भे हरियाणा बिजली बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिये वह आप के चेयरमैन साहब की कृपा से उत्तर प्रदेश बिजली के बोर्ड ने खरीद लिये और वह जगह-जगह सड़कों पर पड़े हुए आप को मिलेंगे।

मैं ज्यादा न कह कर सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हालांकि मैंने कट मोशन रखा है लेकिन अगर आज आप दो बातों की घोषणा यहां कर दें, एक तो बिजली बोर्ड का जैसा मैंने कहा है उस आधार पर रिआर्गनाइज करने की, कि एक हफ्ते

[श्री रियासत हुसैन---]

के अन्दर-अन्दर बिजली बोर्ड का रिआर्गेनाइजेशन हो जायगा और दूसरे, १६ जुलाई को जो मुआहिदे बिजली मजदूरों के साथ आप ने किये थे उनको शत प्रतिशत तुरन्त इम्प्लीमेंट करने के लिये तैयार हैं तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लूंगा हालांकि सब लोग कहेंगे, माननीय देवबहादुर जी कहेंगे कि क्यों वापस ले लिया। इसके अलावा जितने मैंने आपको सुझाव दिये हैं, १५ प्वाइंटस हैं अगर आप उन १५ प्वाइंटस को कर लें तो मुझे और माननीय सदस्यों को भी यह आशा बंधेगी कि हमारा बिजली बोर्ड हिन्दुस्तान में एक नमूने का बिजली बोर्ड बन जायगा और इन्स्टाल्ड कैपेसिटी और कन्जपशन में जो आज भारी अन्तर है वह भी बहुत कम हो जायगा जैसा कि महाराष्ट्र के बिजली बोर्ड का है।

श्री अध्यक्ष---

अब आप समाप्त कीजिये।

श्री रियासत हुसैन---

दूसरे, विष्णुपुरी कालोनी जो आपकी है वह बुरहानपुर पावर हाउस से कनेक्टेड है। उसको आप लखनऊ से कनेक्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष---

यह तो आप नया भाषण दे रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन---

इससे उन कालोनी वालों को, लखनऊ के अन्दर जो काम करने वाले हैं आपके सचिवालय में जो काम करने वाले हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ-साथ जितने भी विकास क्षेत्र में आर० ई० सी० का काम अधूरा पड़ा है उस को ३१ मार्च तक पूरा करा दें। यह बात कह कर मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को फिर माननीय सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

*श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़ा आभारी हूं दोनों तरफ के बठे हुए माननीय सदस्यों का, जिन्होंने अपने भाषण में अनेक तरह के सुझाव रखे हैं, उन सुझावों का विद्युत परिषद के कार्य संचालन में जो सुझाव सामयिक हैं, आवश्यक हैं, अपेक्षित हैं, उनका समावेश करने का मैं उन्हें आश्वासन दे रहा हूं। लेकिन इसके साथ-साथ २-३ बातें रखना चाहता हूं, पहली बात यह कि जिन सदस्यों ने खासकर माननीय सदस्य जो उधर बैठे हैं, उन्होंने जो बजट की आलोचना की, उनसे दो विनम्र निवेदन मुझे करना है।

पहली बात यह है कि जो कुछ घोषणायें मैंने की और जिस रास्ते पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, उस भावना को उन्हें पकड़ना चाहिए। ३० साल का सारा कूड़ा-करकट का मार्ग है, वह कोई भी सरकार तीन महीने में साफ नहीं कर सकती। मान्यवर, लेकिन चलने का मैंने प्रयास किया है, रास्ते पर कदम रखने की मैंने कोशिश की है, फैसले इम्प्लीमेंट किये जायं और उसके पीछे दृढ़ता के साथ डटा जाय, इस बात का मैं निवेदन करना चाहूंगा। तीस साल तक गांव के बारे में, जहां ठीक प्रकार से विचार नहीं हुआ था, वहां गांव के बारे में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चिन्तन करके उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करना, उन्हें बिजली देना और आज भी जब बिजली का संकट है, तो उन्हें सिंचाई के लिए भरपूर बिजली देने की कोशिश और वादे तथा गांव में कनेक्शन देने की बात जो मैंने कही है कि १० हार्स पावर के इन्डस्ट्रियल कनेक्शन, ५० हार्स पावर के राइस मिल्स और कोल्हू के लिए खड़े कोल्हू के लिए व्यवस्था करना सरकार की नेक नियती का द्योतक है और उसके संकल्प का प्रतीक है।

मान्यवर, कुछ मुद्दे उठाये गये, मूल रूप से मैं उनकी चर्चा करूंगा। पहली बात कही गयी, वह यह है कि विद्युत् परिषद् में भ्रष्टाचार है मैं इसको अपने जो माननीय सदस्यों ने कहा, उससे इनकार नहीं कर सकता। ३० साल तक जिसको सेवक की जगह शासक बनाकर रखा गया और ३० साल तक नौकरशाही के साथ समझौता करके इस देश और प्रदेश में जो तंत्र चलता रहा उसके परिणाम आज भी परिलक्षित हैं।

एक सदस्य--

इसको हटाइये।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

सुनिये धैर्य के साथ। मान्यवर, जहां तक परिवर्तन की बात है, परिवर्तन की चर्चा होती है।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

आप परिवर्तन चाहते ही कहां हैं?

श्री अध्यक्ष--

आप शांति के साथ बैठिये।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

परिवर्तन होता है, लेकिन कहीं भी परिवर्तन ऐसा नहीं होता है, वह केवल फौजी शासन करता है।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

मान्यवर, परिवर्तन....।

श्री अध्यक्ष--

आप बार-बार व्यवधान डालते हैं।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

सारे विभागों को देख लीजिए। कोई भी सरकार आयेगी। सरकार की नीतियां सरकारी अधिकारियों को बाध्य करती हैं। जब सरकार के इरादों में परिवर्तन आता है। जैसे आप पुलिस विभाग की चर्चा करते हैं या अन्य विभागों की चर्चा करते हैं तो ओवर नाइट में सारा परिवर्तन नहीं हो सकता। आप विद्युत् परिषद् के पुनर्गठन की बात करते हैं, मैं इसकी भी चर्चा अंत में करूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि सारा ढांचा बदलना है, प्रायरिटी फिक्स करनी है। बिजली हमें लोगों को मुहैय्या करनी है। जहां तक आपको याद होगा जब नयी सरकार के सामने विद्युत् परिषद् का प्रश्न आया तो एक राजनीतिक दल की ओर से इस बात की धमकी दी गई, मोटीवेशन किया गया कि विद्युत् परिषद् की २० जुलाई को हड़ताल की जायगी सरकार २३ जून को आई। विभाग भी नहीं बंदे थे कि चर्चा की गयी कि हड़ताल होगी। २ साल से जब तानाशाही का

[श्री रवीन्द्र किशोर शाही---]

नग्न तांडव चल रहा था तब न मांग थी न हड़ताल थी। मान्यवर, मैं अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में बैठे हुए माननीय नेता विरोधी दल के शब्द मुझे याद आ रहे हैं। जब उन्होंने कहा था कि पूरा प्रदेश अंधकार में डूब जायगा। मैंने कहा था कि नयी सरकार प्रदेश को अंधकार में डूबने नहीं देगी। और हड़ताल नहीं हुई। हम बिजली की कमी को दूर करना चाहते हैं, बिजली मुहैय्या की जाय और कनेक्शन दिये जायं, वह काम चल रहा है। मान्यवर, देश और प्रदेश के अन्दर राजनीतिक दुराग्रह चल रहा है। मैंने यह शब्द इस्तेमाल कर दिया। उसके कारण से और उनके पीछे जो पूंजी का हाथ है, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वे सारे लोग चाहते हैं कि बिजली ठीक से न मिले। पोलीटिकल मोटीवेशन, मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूं...

एक सदस्य---

कौन कर रहा है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

मजदूर भाई गरीब हैं। उनका जीवन स्तर भी गरीबों के स्तर से बहुत ऊपर नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि हमारे भाई रमेश सिन्हा एक दूसरे सदन के नेता हैं, रोज घड़ियाली आंसू बहाते हैं।

एक सदस्य---

मान्यवर, जो इस सदन का सदस्य न हो उसकी चर्चा यहां नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जायं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि वह वहां घड़ियाली आंसू बहाते हैं तो मंत्री जी इन सब बातों को वहां कहें यहां क्यों कह रहे ह ? अध्यक्ष महोदय, एक बार मैंने वहां की चर्चा की थी तो आपने रोक दिया था कि उस माननीय सदन की चर्चा यहां पर नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष---

माननीय शाही जी....

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

मान्यवर, मैं चर्चा नहीं करूंगा।

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९७७–७८ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ५९––विद्युत विकास तथा अनुदान संख्या ९६—ऋण और अग्रिम–विद्युत (क्रमागत)

*विद्युत् मंत्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)—

मान्यवर, हमारे विभाग के जो कर्मचारी हैं वह हमारी भावना पहचानते हैं। इसलिए इस आर्थिक कठिनाई में ३५ रुपये की अंतरिम रिलीफ सब की खुशहाली का कारण बना है। बधाई का तार आया। नाराजगी इस पर जाहिर की गयी कि एक विशेष राजनैतिक संगठन से सम्बद्ध यूनियन की तरफ से कि हमने उनको बुलाकर, बठाकर, तय कर अंतरिम रिलीफ की घोषणा क्यों नहीं की। तो मान्यवर, ताते पैर पसारिये जितनी लम्बी पौर के अनुसार चलेंगे। मांग कर रहे हैं, लेकिन वेज कमेटी बैठी हुई है। सेन्ट्रल में इंडस्ट्रियल लेबर के बारे में एक कंसालिडेटेड वेज पालिसी बन रही है। लेकिन मान्यवर, उसके पहले दो बार अंतरिम रिलीफ मिला है, १९७४ के बाद। एक बार ३० रु० और इस बार ३५ रुपये। तो ६५ रुपये १९७४ के बाद अंतरिम रिलीफ उनको प्राप्त हुई है। लेकिन नाराजगी जो राजनीतिक नेता है उन्होंने इस तरह की बात शुरू किया। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई ऐसा सवाल नहीं है और सरकार की तरफ से कोई रिजर्वेशन नहीं है कि सरकार बात नहीं करना चाहती है। मैं पहला आदमी था जब मैं गया उनके बीच में। मैंने कहा कि मैं सिद्धान्ततः मानता हूं कि लोकतंत्र में आमने सामने बैठकर समस्यायें हल होती हैं और उनका सुझाव माना गया। थोड़ा राजनीतिक पुट दिया गया था। बिजली कर्मचारियों की कोई बात नहीं होगी। मेरी भावना उनके साथ है।

मान्यवर, कुछ बातें उत्पादन के सिलसिले में कही गयीं। तो मैं बताना चाहता हूं कि एक तरफ जहां इस बात की कोशिश कर रहे ह कि बिजली के जो भी जनरेशन के साधन सुलभ हैं उनसे जो भी उत्पादन हो उसका अधिकतम उपयोग हमारे प्रदेश के उपभोक्ता करें। इसीलिए बीच में लोगों ने कहा तो इस बात को तय किया गया कि सिचाई के जो साधन हैं उसमें कोई रोक नहीं है। १० हार्स पावर के जो साधन गांव में सिचाई के लिए हैं उस में किसान चाहे तो चारे काटने की मशीन लगा लें और चाहे गन्ना पेरने के लिए कोल्हू लगा लें, कोई रोक नहीं है। मशीन पर मीटर लगा देंगे और फिर चार्ज ले लेंगे। इसलिए मान्यवर, ऐसी कोई बात नहीं कही गयी जो ठीक न हो उत्पादन के बारे में। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि सरकार सचेष्ट और सजग है। गैस टरबाइन की बात मैंने कही। ३० वर्षों में यह बात सोची नहीं गयी। गैस टरबाइन लाकर हम रूरल इकनोमी में परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार जब भारत सरकार का सिंगरौली और नरौरा का पावर हाउस तैयार हो जायगा तो हमें १००८ मेगावाट अतिरिक्त बिजली उपलब्ध हो जायगी।

एक सदस्य—

क्या माननीय मैनेजर सिंह मुख्य मंत्री हो गये हैं, जो वहां बैठे हैं?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मैनेजर सिंह जी, वहां न बैठें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

माननीय रियासत हुसैन साहब ने अपने भाषण में कर्मचारियों के सम्बन्ध में कहा। उनके वेतन की चर्चा की। मैं उन्हें यह सूचना देना चाहता हूं कि विद्युत् परिषद् में कर्मचारियों का वेतन और दूसरे स्थानों से अच्छा है, उत्तम है। निम्न स्तर का कर्मचारी २६७ रु० पा रहा था अब वह ३७ रुपये की बढ़ोतरी के बाद ३०२ रु० पाने लगेगा। मान्यवर, एक दूसरी बात कही गयी सर्विसेज में डिफरेन्स की। अगर मैं फिर अपनी बात करूंगा तो शायद पंडित जी को तकलीफ हो जाय। जो हरिजनों की चर्चा करते रहे वह महज चुनाव के लिए ही करते रहे। उन्होंने इन लोगों को इस स्तर तक बढ़ाया ही नहीं कि वह इक्जीक्यूटिव इंजीनियर या और टापपोस्ट पर आ सकें। इसके लिए अब मैं क्या कहूं। टेक्निकल मामला है। मानवतावादी यहां कम है। जो टेक्निकली क्वालीफाइड हैं वही रखे जा सकते हैं। हां, इतना जरूर है कि इन लोगों में जो भी मिलेंगे उनको रखेंगे। उसके लिए कोशिश हमारी है। लेकिन चूंकि तकनीकी मामला है इसलिए उसी रास्ते से उनको पहुंचना है।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मुझे मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

जब मंत्री जी बैठ जायं, तब।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मुझे भी एक स्पष्टीकरण लेना है।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जो माननीय सदस्यों के प्रश्न होंगे, उनको आगे बता देंगे।

एक बात कही गयी कि शक्ति भवन में पावर केन्द्रित हो गया है। यह रियासत हुसैन जी ने कहा। उनकी बात मैं तस्लीम करता हूं। मैं यह जानता हूं इसीलिए हम एक योजना के बारे में सोच रहे हैं कि इसको डिसेन्ट्रलाइज किया जाय। जो हमारे जोनल इन्जीनियर्स हैं, वह पूरे सूबे को ८ भाग में बांटें। वे उनको अलग-अलग देखें और व्यवस्था करें। सर्विसेस के ग्रेड बना दिये जांय अर्बन और रूरल सर्विसेज के लिए। उसके लिए हमारा ध्यान है, हम काम कर रहे हैं। महालेखाकार के परीक्षक की आडिट रिपोर्ट को भी माननीय सदस्य ने पढ़ा सदन में। मैं जरूर चाहूंगा कि हर चीज को एक ऐसी नजर से देखने की कोशिश की जाय जिसका कोई तालुक उधर से न हो। १९७४ की रिपोर्ट आपने पढ़ा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

वह विद्युत् परिषद् के लिए था, आपके लिए नहीं, श्रीमन्।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

एक चीज आपने खरीदारी के सम्बन्ध में चर्चा की। उस स्थिति को साफ करना चाहता हूं। होता यह है कि जब प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो प्रोजेक्ट्स की डिजाइन के साथ ही डिजाइन का सामान खरीदा जाता है। इसलिए कई बार 'इन एडवांस' सामान खरीद कर रखा जाता है। उसमें दो दोष हैं, दोष भी

हैं और गुण भी हैं। दोष यह है कि बाहर से सामान लाकर खरीदारी की और गुण इसलिए है कि हमको तो काम जल्दी बनाना है। जैसे आज ओबरा का थर्मल पावर स्टेशन बनाने वाले हैं। उसकी चिमनी पड़ी हुई है। अगर आज उसके लिए आदेश करें तो कई महीने बाद वह आयेगी। अगर वह हमारे पास है तो तुरन्त इन्सटाल कर लेंगे। इस तरह से सामान के बारे में है। इस नीति के बारे में डिटेल से जायेंगे।

एक माननीय सदस्य ने कनेक्शन के बारे में कहा। मैं जरूर चाहूंगा कि कनेक्शन के सम्बन्ध में सामूहिक घोषणा अलग करूं कि कैसे कनेक्शन दिया जाय। ऐसी बात नहीं है। सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि सामूहिक घोषणा करें। बिजली के छीजन की चर्चा की गयी और ट्रान्समिशन लास की। अभी हमारे पास १०० किलोमीटर ट्रान्समीशन लाइन है। छीजन कम हो और इफसियेंसी बढ़े, इसकी ओर ध्यान है। लेकिन उन सब को करने के लिए पैसा चाहिये। उस सब के लिए जो पैसा चाहिए और सहयोग चाहिए, उसके लिए हम सब मिलकर साधनों को इकट्ठा करके आपके सहयोग से करना चाहते हैं।

एक चीज सर्विस रूल के बारे में कही गयी। मैं इसमें दो बातों को मानकर चल रहा हूं कि सर्विस रूल जो हैं वे इम्परफेक्ट हैं, पूरे नहीं हैं। नीचे के लोगों को लेकर सर्विस रूल से लेकर अप्वाइन्टमेंट के तरीके सब बनाने पड़ेंगे। आपकी शिकायत जो है कि मस्टर रोल पर कितने लोगों को परमानेन्ट करें, कितने साल वालों को परमानेन्ट करें, नीचे की भर्ती कैसे की जाय इस पर विचार करना होगा। ऊपर की स्थिति तो किसी हद तक ठीक है। नीचे की ढीली है। वह हमें बनानी है। आप को इस बात का जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूं दोनों तरफ बैठे हुए लोगों को कि किसानों की जो लाइन चल रही है उस के सम्बन्ध में और सर्विसेज के सम्बन्ध में जल्दी ही कोई न कोई रूल बन कर सदन के सामने आयेगें।

श्री राम अधार—

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न। माननीय मंत्री जी जब बोल रहे हैं तो माननीय सदस्यों ने जो सवाल किये हैं उन का जबाब हर सदस्य चाहता है कि मिलेगा.....(व्यवधान).....मैंने भी दो सवाल किये थे, मैं चाहता हूं कि उनका स्पष्टीकरण हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

राम आधार जी, आप व्यवस्था का नाम ले कर खड़े हुए और अपनी बात पूछी। व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठिये।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, एक माननीय सदस्य ने कानपुर में बिजली की चर्चा की। मैं आप सब से निवेदन करना चाहता हूं कि दो स्थितियां बनती हैं। एक तो मशीनें अपनी सीमा से, लाइफ टाइम से हम बाकी चलाते हैं। जैसे स्वीच गियर है ट्रान्सफार्मर है, उसकी लाइफ १५ साल, २० साल की थी उससे आगे हम उससे काम ले रहे हैं। वैसे ही जनरेशन प्लान्ट है। इसलिए मशीनें कभी फेल हो जाती हैं। दूसरी बात यदि इंजीनियरों के द्वारा गैर जिम्मेदारी की जायगी तो मैं पूरे सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी और कई जगह की जा रही है।

श्री राम अधार—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे (व्यवधान) आप सुन तो लें...

श्री अध्यक्ष—

राम अधार जी, आप अपनी बात कह चुके ।

श्री राम अधार—

चुप बैठा हूं, लेकिन मान्यवर, जो सवाल पूछा था उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया....

श्री अध्यक्ष—

आवश्यक नहीं है कि सब बातों का उत्तर दें ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

माननीय गणेशी लाल जी ने यह कहा कि सोसियल और कामर्शियल दृष्टि से बिजली के बारे में विचार किया जाय । कई सदस्यों ने यह कहा कि लोगों का जो स्तर है, कनटेन्शन है, या जो लोग ज्यादा बिजली लेते हैं अपनी सुख सुविधा के लिए बिजली लेते हैं और जो....(व्यवधान) । तदिक्कत यह है मान्यवर, कि बिजली के रेट तय करने में कई फैक्टरों को य करना पड़ेगा । अगर एक इण्डस्ट्री चलानी है, उद्योग चलना है तो उद्योग चलाने के लिए सरकार को यह देखना पड़ता है कि और स्टेट में उसी उद्योग को किस रेट पर बिजली मिल रही है और अगर यह नीति हम तय नहीं करते हैं तो दिक्कत यह होती है कि उद्योग अपने प्रदेश से निकल कर बाहर चला जाता है । जहां तक छोटे कनज्यूमरों का प्रश्न है उन को अलग से रेट दें तो उसमें दिक्कत यह है कि हम फैसला कैसे करे कि सिंचाई के लिए ले रहे हैं तो किस रेट से दें या उद्योग के लिए ले रहे हैं तो किस रेट से दें ? पैसे के लिए तो हम बिजली दे रहे हैं । जनरेशन रेट्स बढ़ रहे हैं लेकिन कोयले की कीमत भी बढ़ी है और जो ट्रान्सफारमर हैं उनके रेट्स भी तिगुना बढ़ रहे हैं । लेकिन यह जनरेशन रेट हटे इस बात पर निगाह है, इस पर चर्चा की जा रही है । इस बात की कोशिश की जायगी ।

श्री राम अधार—

माननीय मंत्री जी, आप पुनर्गठन कब करने जा रहे हैं, जरा बतायें ?

श्री अध्यक्ष—

राम अधार जी, जरा धैर्य रखिये ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

बिजली की चोरी की चर्चा की गयी । यह सामाजिक अपराध है और हमारे कुसंस्कारों के कारण जीवन को छूता है । दुख के साथ कहना पड़ता है कि अच्छी इंडस्ट्री वाले भी बिजली की चोरी करते पकड़े गये और छोटे किसान जो भोले भाले हैं उनका भी मीटर ब्रेक करा दिया गया । एक केस सामने आया जिसमें विद्युत् विभाग के कर्मचारी ने पैसा ले लिया ओर कनेक्शन जोड़ दिया । वह जब चला गया और दूसरा आया तो उसने काट दिया । इस सम्बन्ध में यह किया गया कि जहां तक गांव की बिजली का सवाल है १ फिक्स्ड रेट १३ रु० कर दिये गये । इस फिक्स्ड रेट पर तीन लाख किसान हैं जो ट्यूबवेल लगाये

हुए हैं। वे इस झंझट से छुटकारा पा गये। जो १० हार्स पावर का मामला है उनको १२० रुपया देना होगा। इसी तरह से जो इंडस्ट्री का सवाल है मीटर लगे हुए हैं। ठीक काम कर रहे हैं। चोरी को पकड़ने के लिये इंफोर्समेंट स्टाफ की रचना की गयी है जिसमें डी० आई० जी० रैंक का अधिकारी बोर्ड के विजिलेंस सेल का इनचार्ज है। उसके मातहत एस० पी० तथा दो सब इंस्पेक्टर और अन्य स्टाफ है। एक सहायक अभियन्ता उनके साथ लगा दिया गया है। वे लोग गाड़ी से जाते हैं और सरप्राइज विजिट्स करते ह और सरप्राइज विजिट्स के द्वारा १ करोड़ ४७ लाख रुपये का सामान या तो चोरी से जाने से बचाया गया या फाइन के जरिये से वसूल किया गया। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि चोरी का धन्धा खत्म करें और मुझे विश्वास है कि लोग स्वयं मन परिवर्तन से तथा हमारी कार्यवाही दोनों से इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे।

इसी तरह से ट्रान्सफार्मर्स की चोरी की बात की गयी। पिछले दो–तीन साल से इसकी चोरी घटी है लेकिन एक नयी चोरी कंडक्टर की शुरु हो गयी है। अब गांवों से जो लाइन निकलती है उनमें वीरान जगह पर पिछड़े इलाकों में यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है। इतने पहरेदार हम नहीं रख सकते। पुलिस की जो मंथली मीटिंग होती है पुलिस अधीक्षक के यहां अपराधों के सम्बन्ध में उसमें जो दरोगा साहबान आते हैं और जो हमारे अधिकारी हैं उनसे इस सम्बन्ध में सहयोग अपेक्षित है, समाज के लोगों से सहयोग अपेक्षित है। अपने स्तर पर यह विजिलेंस सेल पता लगाता है कि कहां चोरी हुई, कौन सा इलाका है, कहां माल गलाया गया ?

श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

ट्रान्सफार्मर्स खराब पड़े हैं या चोरी चले गये हैं जिनके कारण ट्यूबवेल्स बन्द पड़े हैं, इसके लिये आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

बतला रहा हूं। एक चीज की चर्चा की गई थी अभी माननीय सदस्य श्री राम आधार राय जी ने चर्चा की एक अर्थवायर के केस की। मैं उनसे निवेदन कर दूं....

श्री राम आधार—

आपको कई आरोप पत्र मिल चुके हैं। आज आप स्पष्ट घोषणा करें कि क्या जांच करायेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

इसकी चर्चा हाउस में की गई उसके बारे में निवेदन कर दूं कि वह आर्डर जो थे १९७३ के थे माल सप्लाई जो हुआ वह भी पहले हुआ और सबसे आश्चर्यजनक घटना उसमें यह है कि जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इस मामले की सी० बी० आई० में भेजने के लिए लिखा क्योंकि यह फर्म जो थी हैदराबाद की थी उसे ३६ लाख रु० का माल सप्लाई कराने आर्डर दिया गया उन्होंने लगभग २१ लाख का माल सप्लाई किया और उसमें लगभग ६ लाख का माल गड़बड़ निकला और जब पता चला कि अनेक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स से इन्होंने ऐसा किया तो चेयरमैन ने चिट्ठी भेजी कि यह फर्म गड़बड़ है यह लेट कर रही है इसको सी० बी० आई० को दे दिया जाय तो तत्कालीन शासन ने कह दिया कि सी० बी० आई० को

[श्री रवीन्द्र किशोर शाही]

जांच कराने की चीज नहीं है । मैंने शुरु किया है, मैंने पूछा है कि यह मामला कहां से रुक गया । आपके सामने में कह रहा हूं इस बात की जानकारी म करूंगा जहां तक आगे का प्रश्न है मैं केवल एक शब्द कहना चाहता हूं कि इंडिविजुवल। चर्चा के लिए यह सदन नहीं है और न समय है । मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी से व्यक्तिगत न लगाव और न दुराव का कोई प्रश्न है । ला आफ दि रूल को देखते हुए हम राज्य चलायेंगे जिसके लिए हम आये हैं । जैसा कि आपने बोर्ड के रिकांस्ट्यूशन की बात कही वह जन हित में नहीं है । मैंने हाउस में कह दिया कि बोर्ड कांस्टीट्यूट होगा ।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

कब तक होगा ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

यह जो आप बात कहते हैं नये आधार की उसमें दिक्कत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी रूल और ऐक्ट में एमेंडमेंट करना होगा फिर आप कहेंगे कि समय ज्यादा लगा रहे हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

नहीं कहेंगे अगर जल्दी करेंगे तो ?

श्री अध्यक्ष--

रियासत हुसैन जी, आपस में बात चीत न करें ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मैंने कहा कि सरकार इस बात के लिए सचेष्ट है, सरकार के ध्यान में है। विश्वास रखिये कोई भी बात ऐसी नहीं होगी । लेकिन यह घोषणा एक व्यक्ति के पीछे नहीं कर सकते ।

श्री अध्यक्ष--

(श्री राम अधार के खड़े होने पर) आप राम आधार जी, बार-बार प्रश्न पूछें यह उचित नहीं हैं ।

श्री राम अधार--

मंत्री जी बतायें कि चेयरमैन कब रिटायर हो रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आपको भाषण देने का अवसर मिला और आपने दो तीन दफा प्रश्न किया अब आप मंत्री जी की बात सुनें ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

दो सौ मीटर से तीन सौ मीटर की छूट जो किसानों को लाइन बनाने की बात है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

इस प्रकार मुश्किल होगा । मैं अनुमति नहीं दूंगा जब तक मंत्री जी भाषण समाप्त नहीं करते हैं ।

श्री राम अधार––

उसके बाद अवसर मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष––

हां, एक प्रश्न पूछेंगे, तो दे दूंगा ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही––

तीन सौ मीटर तक एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन तक छूट मिलने की व्यवस्था है । इससे बहुत भार पड़ जायेगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर । हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अभी हम कुछ कर सकें लेकिन तब भी बुन्देलखंड में वहां के पिछड़ेपन को देखते हुए सिंचाई, बाकी सुविधा और कनक्शन को प्रायरिटी देने की बात कही गयी है ।

रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन की मैं चर्चा करना चाहता हूं मैंने कई प्रश्नों के सन्दर्भ में इस सदन में कहा है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का जान हम लेते हैं, उसका पैसा सरकार हमें स्टेजेज में देती है । परियोजना बनाकर देते हैं, जितना लक्ष्य हमने कनेक्शन का लिखा होता है––इतना सिंचाई के लिए, इतना इंडस्ट्रियल, इतना डोमेस्टिक, वह उसके हिसाब से हमें पहली किश्त सेन्टर से मिलती है । पहली किश्त मिलने के बाद जब दूसरी किश्त की हम मांग करते हैं तो भारत सरकार उसकी छान बीन करती है और वांछित कनेक्शन प्राप्त नहीं होते तो उस योजना को पूरा करने में बाधा पड़ जाती है, पैसा नहीं मिलता है । आप सबकी निगाह में बात आई है कि कई जगह खम्भे खड़े हैं और पूरी तरह से बिजली नहीं मिल पायी है । तब इसके लिए कोशिश की जा रही है और सदन में कहा था कि ३१ मार्च तक हम कोशिश करेंगे कि पहले के गड़े तार और खम्भे जहां हैं, वहां बिजली पहुंचा दिया जाए । अब दिक्कत इसमें यह है, जिसमें आप सबका सहयोग चाहिए, आम जनता का सहयोग और दोनों पक्षों में बैठे हुए सदस्यों का सहयोग, वह कनेक्शन के बारे में है कि कनेक्शन ज्यादा से ज्यादा आएं––रुरल कनेक्शन और सिंचाई के कनेक्शन । गांव के आदमी अभी लिखना–पढ़ना भी नहीं पूरी तरह जान पाए हैं, हम इन सब भाइयों को पहुंच कर उन्हें कनेक्शन के लिए प्रेरित करें, तो जहां पूरे प्रदेश की भलाई करेंगे, विद्युत् परिषद् को भी आगे कार्य करने का अवसर मिलेगा । हालत यह है कि हजार किलोमीटर लम्बी लाइन पड़ी है, जिस पर कहीं कनेक्शन नहीं है । इसके लिए आपका सहयोग चाहता हूं, सहयोग की प्रार्थना करता हूं । आप गांव में जाइये, तो यह देखकर न लौट आइये कि गांव के एक छोर पर बिजली है, दूसरे छोर पर क्यों नहीं गयी ? यह भी आप देखें कि कितने लोगों ने कनेक्शन लिए हैं और लोगों को कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करें, उनको समझाएं, उद्योगधंधे चक्की आदी लगाने के लिए उन्हें समझाएं । यह होगा तो हमारा कल्याण होगा और लोगों का भी कल्याण होगा । वर्तमान सरकार इस बात के लिए सन्नद्ध है कि हम अधिक से अधिक लोगों को सुविधा दें और बिजली का अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाते हुए उसका वितरण और सुदृढ़ बनाते हुए, उपभोक्ताओं को जो कठिनाइयां हैं––चाहे बिल की हों या पैसे के भुगतान की उनको दूर करते हुए, हम अधिक से अधिक बिजली के उपभोग की ओर पूरे प्रदेश को प्रेरित करें।

[श्री रवीन्द्र किशोर शाही]

यह विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं और साथ ही साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिजली में कोई पक्ष का प्रश्न न बनाइये और बिजली के सवाल पर चाहे वह कर्मचारियों की हड़ताल का सवाल हो, आज की जो स्थिति है, उसमें हम सब साथ मिलकर, इकट्ठा बैठकर प्रदेश के जनजीवन चलावें और सब लोग इसमें सहयोग दें। मुझे भरोसा है, मैंने बहुत सारे मित्रों के प्रश्नों के उत्तर दिए, समय की कमी के कारण जिनके उत्तर नहीं दे पाया, वह हमसे मिल लेंगे। अन्त में आप सबके सहयोग को कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब एक स्वर से इसे पास करने की कृपा करेंगे।

श्री राम अधार—

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से तीन स्पष्टीकरण चाहता हूं। एक, माननीय मंत्री जी को हम लोगों ने कई आरोप पत्र विद्युत् परिषद् के सम्बन्ध में दिये थे, उनकी जांच आयोग द्वारा कराने जा रहे हैं ? दो, विद्युत् परिषद् के चेयरमैन का कार्यकाल इस महीने में पूरा होने जा रहा है, क्या उनकी जगह पर दूसरी नियुक्ति होने जा रही है ? तीन, प्रदेश के अन्दर अल्म्युनियम इंडस्ट्री और छोटी-छोटी इंडस्ट्री खराब हो रही हैं, उनके बारे में क्या भारत सरकार के प्रधान मंत्री और खान एवं इस्पात मंत्री का कोई पत्र मिला था ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या आप यह घोषणा करेंगे कि जब किसानों की फसल खड़ी होती है, और बिजली नानपेमेंट में काट दी जाती है, तो आप यह घोषणा करने जा रहे हैं कि किसानों की फसल के टाइम पर नानपेमेंट पर बिजली नहीं कटेगी ? यह जनता सरकार है, यह आपको घोषणा करनी चाहिए।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

मैं आपको बधाई देता हूं कि मुझे स्पष्टीकरण का अवसर दिया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, सदन के सदस्यों की भावना और उत्तर प्रदेश...

श्री अध्यक्ष—

भाषण नहीं होगा।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

उत्तर प्रदेश की विद्युत् परिषद् के अध्यक्ष के खिलाफ गम्भीर आरोप हैं, जनता के खजाने का लाखों रुपया, बिजली का सामान खरीद कर, बोगस फर्म जिनको घोषित किया है, करोड़ों रुपये का घोटाला है, माननीय मंत्री जी....

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न हो गया।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

हमारे माननीय सत्य प्रकाश मालवीय जब नेता विरोधी दल थे और विद्युत् मंत्री जब विरोधी दल में थे उन्होंने कहा था कि भ्रष्ट बालिगा को हटाया जाय और जांच की जाय। क्या सी० बी० आई० से जांच कराने के लिए तैयार हैं ? बालिगा को तत्काल हटाएंगे, ५८ साल का समय बीत चुका है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

[***]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये । अब यह प्रोसीडिंग में नहीं लिया जायगा ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के इलेक्शन के पहले ६० हजार डिफाल्टिंग कंज्यूमर्स को दोबारा कनेक्शन दिये गये, जब कि किसानों को बेइन्तहा परेशानी ट्यूबवेल चलाने में और थ्रेशिंग के लिए थी । जिस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने किसानों और अवाम का खयाल न रखा, जिसके जिम्मे करोड़ों रुपये का घोटला है, क्या मंत्री जी इस बात का अश्योरंस सदन को देंगे कि वह इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का रिआर्गनाइजेशन करने का फौरन ऐलान करेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, जहां तक रिआर्गनाइजेशन का प्रश्न है वह बिलकुल समय से और जल्दी किया जायगा । (व्यवधान) सरकार उसको करेगी ।

(श्री रघुवर दयाल वर्मा के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

आप बिलकुल बीच में व्यवधान न डालिए आप लोग बैठिए । रघुवर दयाल जी, मैं अनुमति नहीं दूंगा । आपने प्रश्न किया । मैं बाध्य नहीं कर सकता ।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

एक नीति सम्बन्धी सवाल है ।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी उत्तर नहीं देंगे ?

श्री देव कुमार--

एक सवाल मान्यवर, अपने भाषण में मैंने इनको उठाया था । माननीय मंत्री जी ने अपने सार्वजनिक भाषणों में, समाचारपत्रों में बयान दिया है कि बिजली उत्पादन का काम व्यक्तिगत लोगों के हाथों में देने जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न नहीं है ।

श्री देव कुमार--

इसमें सरकार की क्या नीति है ?

[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

नीति क्या बताई जाय आप पहले से चले जाते हैं और बाद में पूंछते हैं, इसकी नीति क्या है ?

श्री राम अधार--

[***]

श्री अध्यक्ष--

मैं अनुमति नहीं दूंगा आप बैठ जाइये । राम अधार जी ने जो कहा है, वह प्रोसिडिंग का भाग नहीं होगा ।

श्री राम अधार--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष--

राम अधार जी आप बैठिये ।

श्री राम अधार--

मैं नहीं बैठूंगा....(व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष--

इस प्रकार का आचरण नियम के विरुद्ध है ।

श्री राम अधार--

मेरी बात सुन लीजिए । हमारी बात न सुनी जाये तो....

श्री अध्यक्ष--

आपने जो प्रश्न किया मन्त्री जी को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं । आपका इतना धैर्य नहीं था कि आप इन्तजार करते । आप इनके कक्ष में जाकर पूछते । राम अधार जी आप बैठिए ।

श्री राम अधार--

आप बालिगा को क्यों नहीं हटा रहे हैं ? बालिगा के बारे में....

श्री अध्यक्ष--

आप शान्त रहिए आपको संयम से काम लेना चाहिए यह अत्यन्त अनुचित है ।

श्री राम अधार--

[***]..(व्यवधान) आप सदन के रक्षक हैं ।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रोसिडिंग का भाग नहीं होगा ।

नोट--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम अधार--

[***]

श्री अध्यक्ष--

यह अत्यन्त अनुचित है आप बैठ जायं । आपने अपना भाषण दे दिया, यह तरीका संसदीय नहीं है । जिस प्रकार का आप व्यवहार करते हैं, आप अपनी बात को किसी पर थोप नहीं सकते । आप माननीय मन्त्री जी के कक्ष में जाकर बात करें और आपको समाधान मिलेगा और अगर आप सन्तुष्ट न हो तो मेरे कक्ष में बात करें । मैं माननीय मन्त्री जी को बुलाकर कह दूंगा । आप लोग शान्ति बनाये रखें....।

श्री राम अधार--

[***]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, यह अत्यन्त निन्दनीय है, मैं आप से कहता हूं कि मुझे आपको इंगित करना होगा, आप शान्त रहिए ।

श्री राम अधार--

आप सदन के रक्षक हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जो कुछ श्री राम अधार जी ने कहा है, वह सब कार्यवाही से निकाल दिया जाय । आप बैठ जाइये, आप बार-बार अवज्ञा कर रहे हैं । आपको थोड़ा विवेक से काम करना चाहिए । यह सदन की गरिमा का प्रश्न है । आप इस तरह का व्यवहार करते हैं, जैसे कि आप को संसदीय प्रणाली का ज्ञान नहीं है । श्री राम अधार जी आप बैठिये । (श्री राम अधार के पुनः खड़े होने पर) मार्शल, आपको बाहर निकालो ।

श्री राम अधार--

मैं जा रहा हूं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, यह तरीका अत्यन्त अनुचित है....(व्यवधान)

(श्री शफीकुर्रहमान बर्क के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय बर्क जी आप बैठिये । श्री राम अधार जी आप बैठिये (घोर व्यवधान) यह इतना दुःखद विषय है कि माननीय सदस्य इस प्रकार की अव्यवस्था करते हैं, जिसकी उनसे अपेक्षा नहीं है । आप शान्त रहें वर्ना मैं आपको इंगित करूंगा, मार्शल वापस आयं ।

नोट--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम अधार--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ....

श्री अध्यक्ष--

मार्शल, आप इनको सदन से बाहर निकालिए ?

श्री राम अधार--

मैं खुद जा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठिये ?

(कई सदस्यों द्वारा श्री राम अधार को पकड़ कर बैठाने पर)

आप बैठिये । कोई माननीय सदस्य बाधा नहीं डालेंगे । आप कृपया बैठिये, यह सर्वथा अनुचित है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मार्शल आपके आदेश को पालन करने गए थे...।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

मार्शल, श्री राम अधार को बाहर निष्कासित कीजिए। मैनेजर सिंह जी मैं आपको व्यवधान नहीं डालने दूंगा । यह विशेषाधिकार की अवहेलना है। उनका यह आचरण अत्यन्त निन्दनीय है और दन्डनीय है। या तो वे सदन के सामने क्षमा याचना करें अन्यथा मैं इस प्रश्न को फिर परसों को लूंगा । मार्शल, अबकी बार यदि माननीय राम अधार खड़े हों तो इसको बलपूर्वक सदन से बाहर निकाल दिया जाय ।

श्री राम अधार--

मैं जा रहा हूं । यह बड़ी ज्यादती है (श्री राम अधार सदन छोड़कर चले गए।)

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, इनको जो तकलीफ है, मैं उसको साफ किए देता हूं ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने आज यहां पर अपनी नीति के बारे में कोई घोषणा नहीं की है, इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को प्रेस करता हूं।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित, सदस्य, विधान सभा के निलम्बन का प्रस्ताव

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए ?

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

[***] (इतना कहते हुए सदन से जाने लगे ।)

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय सुन्दर लाल जी को इंगित करता हूं ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही (विद्युत् मंत्री)--

मान्यवर, प्रस्ताव करने के पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ।..

श्री अध्यक्ष--

मैंने उनको इंगित किया है । आप प्रस्ताव कीजिए ।

(कुछ देर उपरान्त)

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय सदस्य, श्री सुन्दर लाल दीक्षित को आज भर के लिए इस सदन से....

श्री अध्यक्ष--

आप कहिए कि इन्हें सदन से निलम्बित किय जाय ?

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

यह आवश्यक नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

यह उनका आचरण तीसरी बार का है ।

श्री मैनेजर सिंह--

[* * *]

नोट--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उनको इंगित किया है, आप प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

श्री मैनेजर सिंह—

[* * *]

श्री अध्यक्ष—

आप इस तरह से जिस तरह से झगड़ा करते हैं, मैं सहन नहीं कर सकता। इसको मैं सहन नहीं कर सकता। मैंने सुन्दर लाल जी को इंगित किया है...

तो मैं स्थगन करता हूं सदन का। आप प्रस्ताव नहीं रखते हैं तो मैं सदन को स्थगित करता हूं।

श्री मैनेजर सिंह—

[* * *]

श्री अध्यक्ष—

आप बठ जाइये....

श्री रवीन्द्र किशोर शाही (विद्युत् मन्त्री)—

मान्यवर, मुझे सुनने में कठिनाई है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री सुन्दर लाल जी विधायक, जिन्होंने इस तरह की बात की उनको ३ दिन के लिए निष्कासित कर दें। एक बात सफाई के तौर पर कह दूं।

श्री मैनेजर सिंह—

[* * *]

(श्री मैनेजर सिंह सदन छोड़कर चले गए।)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए। प्रस्ताव यह है कि श्री सुन्दर लाल दीक्षित जी को निलम्बित किया जाय।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

ये प्रस्ताव नहीं कर सकते। ये हमारे सदन के सदस्य नहीं हैं। यह कैसे कर रहे हैं ? मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

यह आपका कहना गलत है, श्री देव बहादुर जी का व्यवस्था का प्रश्न गलत है। वह मत नहीं दे सकते, प्रस्ताव रख सकते हैं।

प्रश्न यह है कि श्री सुन्दर लाल जी को ३ दिन के लिए निलम्बित किया जाय।

नोट—[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मैनेजर सिंह—

(पुनः वापस आकर) [* * *] (व्यवधान और शोर ।)

श्री अध्यक्ष—

यह मैनेजर सिंह जी का आक्षेप है, सदन की सारी मान्यताओं का अपमान किया है, इसको बाद में लिया जायगा ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

माननीय मैनेजर सिंह जी ने अध्यक्ष पर आक्षेप किया है, यह विशेषाधिकार का प्रश्न मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री सुन्दर लाल दीक्षित को ३ दिन के लिए सदन की अवहेलना करने के लिए, निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

एक सदस्य—

वह कार्यवाही से निकाल दिया जाय जो सुन्दर लाल जी ने कहा था ।

श्री अध्यक्ष—

वह सब निकाल दिया जाएगा और जो श्री मैनेजर सिंह ने कहा है, वह भी कार्यवाही से सब निकलवाया जायगा ।

श्री देव बहादुर सिंह—

एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं । जो सुन्दर लाल जी ने कहा है, उसके लिए जो आपने व्यवस्था दी, वह शिरोधार्य है, लेकिन राम अधार जी का आचरण रहा है, उनके सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गई है, वह इस हिसाब से उचित नहीं समझी जा सकती । उनके प्रति भी उस तरह से कार्यवाही होती तो अच्छा होता ।

श्री अध्यक्ष—,

माननीय देव बहादुर जी, मैंने शुरू में, सुन्दर लाल दीक्षित जी को पहले सदन छोड़ने के लिए दन्ड दिया था । मैंने श्री राम अधार जी को भी सदन छोड़ने के लिए कहा । पहले दिन जब सुन्दर लाल जी के सम्बन्ध में मैंने मार्शल को भेजा तो मैंने मार्शल को बुला लिया, चूंकि बार-बार वह बैठ जाते थे । अन्त में वह सदन छोड़ गए । आज इसलिए मैंने उनका निष्कासन किया । अगर इसी तरह का उनका (श्री राम अधार का) आचरण होगा तो उनको इंगित कर सकता हूं । पहली मतबा इंगित नहीं किया करते ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १५ मिनट के लिए बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

वह तो मैं स्वयं १५ मिनट बढ़ा सकता हूं । सदन का समय १५ मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है ।

नोट :—[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अनरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियमावली के नियम २६६(३) का (ख) देखे--"इस प्रकार किसी सदस्य के निलम्बित किए जाने पर पहली बार निलम्बन की अवधि ३ उपवेशनों के लिए होगी, दूसरी बार ७ उपवेशनों के लिए और अनुवर्ती अवसरों पर, यदि सदन का अन्यथा विनिश्चय न करे, सत्र की अवशिष्ट कालावधि के लिए होगी"...

तो पहली बार हो रहा है या दूसरी बार हो रहा है, इसको ध्यान में रखकर के अपना फैसला दीजिएगा ।

श्री अध्यक्ष--

यह है, जब तक सदन अन्यथा निश्चय न करे । अगर केवल यही प्रस्ताव होता कि निलम्बित किया जाय तो बाकी अवधि के लिए होता । सदन सक्षम है । स्वयं यह प्रस्ताव रखा, तीन दिन के लिए। इसलिए यह नियम के विरुद्ध नहीं है ।

१९७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-
अनुदान संख्या ५६--विद्युत विकास तथा अनुदान संख्या ६६--ऋण और अग्रिम विद्युत (ऋमागत)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५६--विद्युत विकास, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५६--विद्युत विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८३,३३,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६६--ऋण और अग्रिम विद्युत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६६--ऋण और अग्रिम-विद्युत के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६८,२६,७०,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

नियम ५१ के अन्तर्गत मुझे श्री श्यामधर मिश्र, श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री रमाशंकर कौशिक, श्री शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री गनेशी लाल चौधरी से सूचना प्राप्त हुई है जो एक ही तरह की है । वह है "दैनिक आज" तथा "जागरण" के मालिकों तथा व्यवस्थापकों द्वारा कर्मचारियों के शोषण के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा हड़ताल तथा अनशन । यह मैंने स्वीकार किया है और यह सेशन अब १७ और १८ को होगा, उचित होगा १७ या १८ में माननीय सूचना मन्त्री इस सम्बन्ध में वक्तव्य दे दें ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

श्रम मन्त्री देंगे ।

श्री अध्यक्ष---

श्रम मन्त्री या सूचना मन्त्री, कोई भी दे दें ।

दिनांक ८ अक्तूबर, १९७७ को गोण्डा जनपद की फैजाबाद सीमा पर थाना क्षेत्र नवाबगंज के अन्तर्गत टेढ़ो और सरयू नदी के बीच डाकुओं और पुलिस की मुठभेड़ में थानाध्यक्ष, श्री रामनरेश मिश्र तथा सिपाहियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---

अब आइटम नं० ६/८ अक्तूबर, १९७७ को जो घटना हुई, उसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री का वक्तव्य ।

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)---

मान्यवर, यह सत्य है कि थाना नवाबगंज के अन्तर्गत स्थित दुर्गागंज मांझा में डकैतों द्वारा चलाई गई गोलियों से पुलिस निरीक्षक, राम नरेश मिश्र तथा कांस्टेबिल बद्रीनाथ पाण्डेय तथा गंगोत्री प्रसाद चौबे की मृत्यु हुई । इस घटना का सम्बन्ध दिनांक १८/ १९ सितम्बर, १९७७ को कोतवाली देहात में पड़ी डकैती से है जिसमें राम सुधार नामक व्यक्ति की डकैतों ने हत्या कर दी थी । तद्नुसार दिनांक १९ सितम्बर, १९७७ को थाना कोतवाली देहात में अपराध संख्या ३४२ पर धारा ३९६ भारतीय दण्ड विधान का मुकदमा पंजीकृत हुआ । इसकी विवेचना श्री राम नरेश मिश्र, इन्सपेक्टर इंचार्ज कोतवाली देहात द्वारा तत्काल प्रारम्भ की गई । इस अपराध में किसी भी अभियुक्त की नामजदगी नहीं हुई थी । विवेचना से ज्ञात हुआ कि कुटिल नामक एक शातिर डकैत उस अपराध में सम्मिलित था । कुटिल को पुलिस ने दिनांक ७ अक्तूबर, १९७७ को गिरफ्तार किया और उससे पूछतांछ की । कुटिल ने पुलिस को इस डकैती में शामिल और भी डकैतों के नाम बताये । इस सूचना पर अभियुक्तगण के घर तथा उनके सम्भावित अड्डों पर पुलिस ने दबिश दी परन्तु अभियुक्तगण नहीं मिले । दिनांक ८ अक्तूबर, १९७७ को एक पुलिस दल जिसमें इन्सपेक्टर राम नरेश मिश्र, के अतिरिक्त सब इंस्पेक्टर शंकर दत्त शुक्ल सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप दुबे, कांस्टेबिल गंगोत्री चौबे, कांस्टेबिल भुजई शर्मा, कांस्टेबिल बद्री नाथ पांडे, कांस्टेबिल अब्दुल कैयूम और राम अवध

[श्री लक्ष्मण सिंह]

मौर्य थे, ने लगभग १० बजे रात्रि में दुर्गागंज मांझा मे अभियुक्तगण के घरों में दबिश दी जहां कोई भी अभियुक्त मौजूद नहीं मिला । इसके बाद पुलिस दल टेढ़ी नदी पार करने के लिए घुसवा घाट पर नाव पर सवार हुआ और जब आधी नदी पार कर चुका तो घुसवाघाट के दक्षिण ओर से पुलिस दल पर एकाएक फायरिंग शुरू हो गई । फायरिंग से कांस्टेबिल भुजई प्रसाद, कांस्टेबिल बद्री नाथ पांडे, कांस्टेबिल गंगोत्री प्रसाद तथा निरीक्षक राम नरेश मिश्र को गोलियां लगी । पुलिस दल ने भी आत्म रक्षा में जबाबी गोलियां चलाई । कुछ देर बाद बदमाशों की ओर से गोली चलाना बन्द हो गया । नाव पर निरीक्षक श्री राम नरेश मिश्र, कांस्टेबिल गंगोत्री चौबे और कांस्टेबिल बद्रीनाथ पाण्डे की मृत्यु हो गयी । कांस्टेबिल भुजई गोलियों से घायल हुआ । आड़ की दृष्टिकोण से बदमाशों के पास उपयुक्त स्थान था लेकिन इसके विपरीत पुलिस दल बगैर किसी आड़ के छोटी सी नाव पर सवार था । समस्त प्रतिकूल परिस्थितियों में पुलिस दल फायर करता रहा और उसने उच्चकोटि के साहस का परिचय दिया, जिससे दल के ५ सदस्य तथा दो ग्रामीणों की जान व पुलिस के हथियार बच गये अन्यथा जिस विषम परिस्थिति में पुलिस दल दुर्भाग्यवश पड़ गया था उससे किसी के बच निकलने की सम्भावना नहीं थी । इसके बाद सब-इंस्पेक्टर शंकर दत्त शुक्ल तथा दल के अन्य सदस्यों ने स्वयं थाना नवाबगंज जा कर सारी घटना की सूचना दी जिस पर थाना नवाबगंज में अपराध संख्या २२५ धारा १४७/१४८/१४९/३०७/३०२/३३२ भारतीय दण्ड विधान का अभियोग पंजीकृत हुआ । पुलिस अभियुक्तगण को बन्दी बनाने के लिए सतत प्रयास कर रही है । इस घटना के ४८ घंटे के भीतर ही इस गिरोह का एक सदस्य कुख्यात डकैत कन्धई पुलिस की मुठभेड़ में मौजा खेमपुर थाना नवाबगंज में मारा गया । आशा है कि शीघ्र ही अभियुक्तगण बन्दी बना लिये जायेंगे । डकैत कन्धई के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने और पुलिस की व्यापक गश्त के कारण स्थानीय जनता में किसी प्रकार का भय व्याप्त नहीं है । यह कहना कि जनपद का पुलिस प्रशासन आतंकित है, सही नहीं है ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो पुलिस कर्मचारी डाकुओं को पकड़ने के लिए गये थे और जिनकी मृत्यु हो गयी है उनको क्या सरकार मुआविजा देगी और उनके बाल-बच्चों के जीवन निर्वाह के लिए क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, इन्सपेक्टर, श्री राम नरेश मिश्र के परिवार को २५०० रुपये और दोनों सिपाहियों के परिवारों को १-१ हजार रुपया दिया गया । इसके अतिरिक्त ग्रप स्कीम से रुपया उनको मिलेगा और उनके आश्रितों को नियमानुसार नौकरी भी दी जायेगी ।

श्री बांके लाल--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह जो डाकू पुलिस दल पर फायर किये थे, उनकी संख्या का कुछ पता चला है स्थानीय पुलिस को कि नहीं और कितने लोग थे उस दल में और कौन-कौन, कहां-कहां के थे, उनके नाम क्या हैं और उनके स्थान क्या हैं ?

दिनांक ८ अक्तूबर, १९७७ को गोंडा जनपद की फैजाबाद सीमा पर थाना क्षेत्र नवाबगंज के अन्तर्गत टेढ़ी और सरयू नदी के बीच डाकुओं और पुलिस की मुठभेड़ में थानाध्यक्ष, श्री राम नरेश मिश्र तथा सिपाहियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, ३ आदमियों का पता चला है। श्री राजा राम, निवासी दुर्गागंज, श्री राम, निवासी अयोध्या, श्री राम केवल, निवासी ग्राम गंजा थाना पूराकलंदर जिला फैजाबाद । जो कन्हई था वह मारा गया ।

श्री राम नरेश पान्डेय (जिला देवरिया)--

एक प्रश्न हमारा है ।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनमें से कौन-कौन से लोग गिरफ्तार किये जा चुके हैं। और अगर गिरफ्तारी नहीं हुई है तो गिरफ्तारी के लिए कौन सी कार्यवाही की जा रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने अभी कहा है कि वहां स्थिति गड़बड़ नहीं है तो इन १५ दिनों में गोण्डा जनपद में कुल कितनी चोरी डकैती, राहजनी, कत्ल की घटनायें हुई हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, अभी कोई डकैत गिरफ्तार नहीं किया गया है । प्रयास किया जा रहा है । यह घटना बहुत पुरानी नहीं है । दूसरे आपने जो हत्या डकैती लूट का सवाल किया तो सारे जिले के आंकड़े यह हैं । १९७५ में डकैती की एक, लूट की १४, हत्या की ३ तथा आगजनी की २ घटनायें हुई । १९७६ में डकैती की ३, लूट की १, हत्या की २ तथा आगजनी की २ घटनायें हुयीं । १९७७ में वहां डकैती की २, लूट की ४, हत्या की एक तथा आगजनी की २ घटनायें हुयीं । हैं ।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

मैंने यह पूछा कि इस बीच में १५ रोज के अंदर वहां इस प्रकार की कितनी घटनायें हुई हैं । मंत्री जी ने ७५ से लेकर आंकड़ा दिया । तो मैं कहना चाहता हूं कि १८/१९ सितम्बर, से लेकर वहां कितनी घटनायें हुयीं । आप कहते हैं कि स्थिति सामान्य है । मेरा कहना है कि वहां पर इस घटना में सब इंस्पेक्टर के मारे जाने से वहां गांव के लोगों और पूरे जनपद में आशंका की स्थिति पैदा है । इस बीच में रोजाना घटनायें हो रही हैं तो १८/१९ सितम्बर से लेकर इस बीच में कौन-कौन सी घटनायें हुई हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

इसके तो कोई आंकड़े नहीं मंगाये गये । वैसे जो आपने कहा कि जनता भयभीत है तो उसमें मैंने निवेदन किया था कि डाकू कन्हई को पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार दिया है । बाकी डकैतों के कुछ नाम मालूम हो गये हैं । यह सूचना आई है कि पुलिस बहुत मुस्तैदी और सतर्कता के साथ कार्यवाही कर रही है ।

श्री राम नरेश पाण्डेय--

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो कन्हई डाकू मारा गया तो क्यों उसकी मृत्यु तत्काल हो गई या मरने के पूर्व उसने कोई बयान दिया था जिससे क्लू का पता लग सका ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, कन्हई जो डाकू मारा गया तो उसके मारे जाने की विस्तृत सूचना अभी नहीं आई । वैसे वह मुठभेड़ में मारा गया । स्पष्ट है कि मौके पर मारा गया ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य का प्रश्न है कि मृत्यु के पहले कोई उसका बयान हुआ है ।

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, इसके बारे में कोई सूचना नहीं है ।

श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोंडा)--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ७ अक्तूबर, १९७७ को जब कुटिल बदमाश को गिरफ्तार किया गया और इंस्पेक्टर, श्री मिश्र डकैतों को पकड़ने जा रहे थे तो क्या एस० पी० को इसकी सूचना थी ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, जो सवाल था उसमें पूछा नहीं कि एस० पी० को पहले सूचना दिया । जो सूचना आयी है उससे ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि एस० पी० को कोई पहले जानकारी थी ।

श्री बिष्ण प्रताप सिंह--

मान्यवर, गोण्डा जनपद के एस० पी० का जो रवैया है उससे मैं भी भयभीत हूं । इस डकैती में जो सूचना दी गयी थी वह इंस्पेटक्र को या एस० पी० को दिया, तो बोहड़ इलाके में ८ सिपाहियों का भेजा जाना क्या मुनासिब था ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, एस० पी० को ऐसी कोई सूचना नहीं दी गयी । यह सही है कि वह बोहड़ इलाका था । वहां ऐसी कोई सूचना नहीं है कि रोज ऐसी कोई वारदातें होती थीं । डकैती हुई उसमें एक व्यक्ति मारा गया । इसी संबंध में वहां पुलिस गयी थी लेकिन डकैतों ने गिरोह बनाकर हमला किया । यह दूसरी घटना हुई जिसकी अधिकारियों को कोई सूचना नहीं थी कि वहां रोज पुलिस भेजी जाती थी या रोज डकैती होती थी ।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस जगह यह घटना हुई है, कोतवाली इंस्पेक्टर और पुलिस कर्मचारियों के मारे जाने की, वह थाना कोतवाली के हल्के में पड़ता है या नहीं ? यदि नहीं, तो उस थाने की कितनी फोर्स क्या डकैतों को पकड़ने के लिए भेजी गई ?

दिनांक ८ अक्तूबर, १९७७ को गोण्डा जनपद का फैजाबाद सीमा पर थाना १२६५
क्षेत्र नवाबगंज के अन्तर्गत टेढ़ी और सरयू नदी के बीच डाकुओं और
पुलिस की मुठभेड़ में थानाध्यक्ष, श्री राम नरेश मिश्र तथा सिपाहियों
की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, नदी के बीच में वह घटना हुई । थाना नवाबगंज है । कोतवाली देहात की जो पुलिस गई थी उसमें वहां के इंस्पेक्टर और सिपाही थे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो कहा कि एक डकैत कन्हई मारा गया तो मरने के पहले उसका कोई बयान लिया गया कि नहीं ? डकैत कुटिल ने और डकैतों के नाम पते बताये होंगे तो उनकी गिरफ्तारी के लिए अपने कोई कार्यवाही किया है कि नहीं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, ऐसा है कि कोई डकैत बाद में पकड़ा नहीं गया पुलिस की जानकारी से डकैत कन्हई मारा गया है ।

श्री बांके लाल--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस कांस्टेबिल की सूचना पर कि फलां जगह बदमाश हैं, जो फोर्स गयी उसके साथ वह कांस्टेबिल गया था कि नहीं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, कांस्टेबिल की सूचना पर नहीं । गांव का वह आदमी था और वह साथ में था ।

श्री राम नरेश पाण्डेय--

मान्यवर, यह सुना है कि कुटिल को ७ अक्तूबर, १९७७ को गिरफ्तार किया गया और पूछतांछ की गयी । दिनांक ८ अक्तूबर, १९७७ को फिर डकैती पड़ गयी । तो मैं जानना चाहता हूं कि ७ तारीख को गिरफ्तार कर तत्काल उसको रिहा जमानत पर कर दिया गया या जेल में भेजने के बाद जमानत उसकी हुई ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

डकैती की जो पहली घटना हुई उसमें कुटिल को गिरफ्तार किया गया था और उससे पूछतांछ की थी ।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, १७ तारीख को ११ बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४५ मिनट पर सोमवार, १७ अक्तूबर, १९७७ के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

१५ अक्तूबर, १९७७

सत्य प्रिय सिंह

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।